खण्ड-351, अंक-4
बुधवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1903
(1 अप्रैल, 1981 ई0)

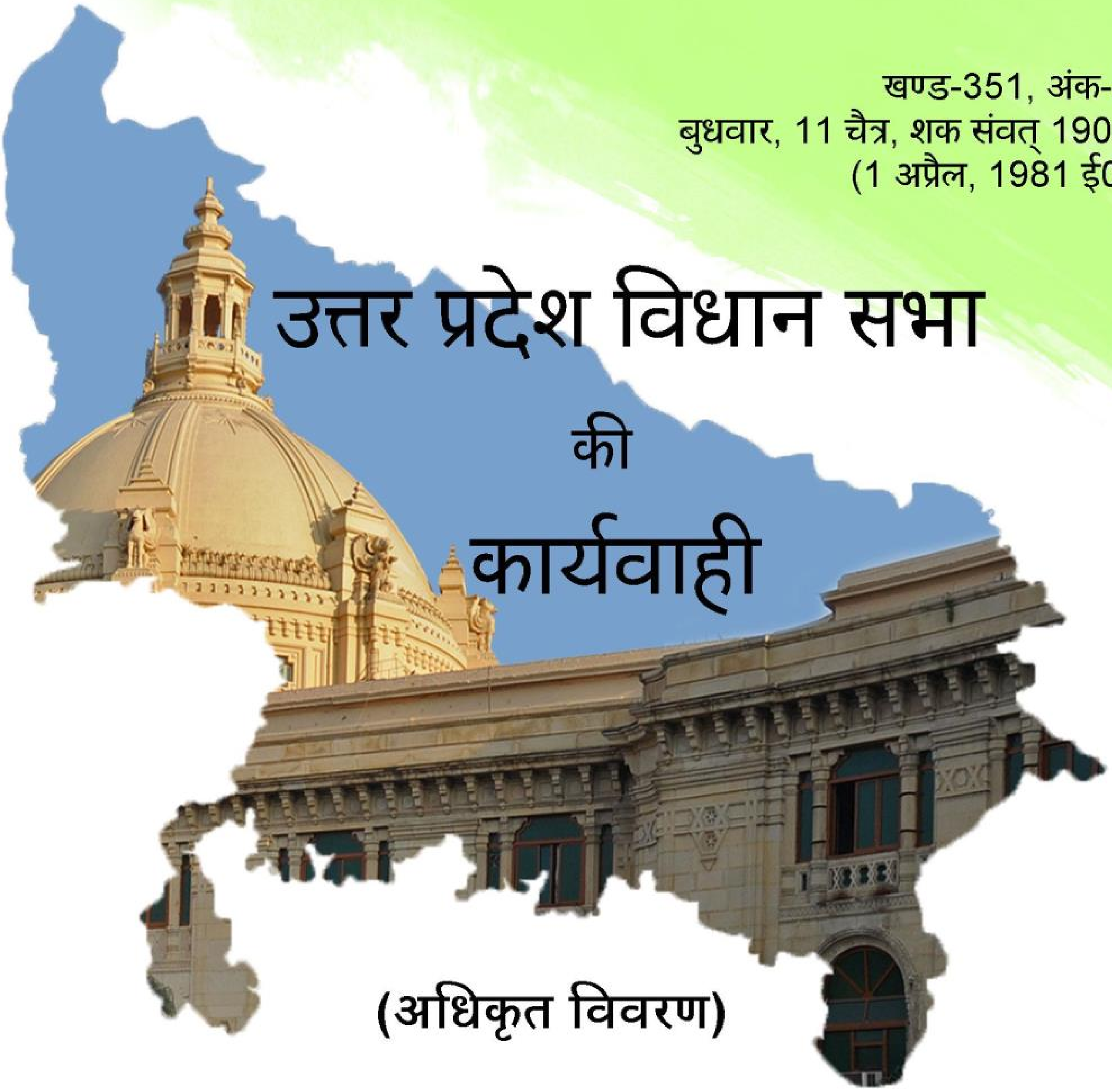

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	307–310
प्रश्नोत्तर	311–337
ग्राम सिंगरामऊ, जिला लखनऊ, निवासी श्री हेमनाथ की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	337
जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	337–338
मैनपुरी जनपद में वर्षा, तूफान एवं ओला वृष्टि से फसल को क्षति तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	338
आगरा मेडिकल कालेज में डाक्टरों, प्रवक्ताओं, विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्य की आपसी गुटबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	338–339
फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील द्वारा वितरित गृह अनुदान में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	339
उत्तर प्रदेश शिक्षण माध्यम विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	339
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	339
जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	339–344
अधिष्ठाता मण्डल के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की सूचना ..	344–345
डाकू फूलन देवी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	345
राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के लिए समिति गठित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	345
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया)	345–346
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	346–347
काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को अविलम्ब रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	347–348
सदन के सदस्यों को बंटे निमंत्रण कार्ड के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	348
काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को अविलम्ब रोजगार भत्ता देने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	348–349
आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन को एक अलग जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	349–362
आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सिंचाई, विद्युतीकरण, उद्योग और पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	363–368
आय कर सीमा से नीचे अभिभावकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के छात्र-छात्राओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	368–369
उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (वापस लिया गया)	369–370

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधयक, 1980 (वापस लिया गया) 370–372

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (जारी) .. 372–379

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 379

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दोगांवा थाना डिबाई के अन्तर्गत एक सरपंच द्वारा गोली चलाये जाने से हरिजनों की मृत्यु तथा कुछ लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 379–382

जालौन जिले के थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष, एक सब इन्सपेक्टर और एक सिपाही की डकैतों द्वारा हत्या एवं कतिपय व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समाचार पत्र प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा 382–393

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 393–403

नत्थियां 404–405

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 332

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
कन्हैयालाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ल, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती, (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)

चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरन जीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश चन्द्र यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (एटा)
रणजीत सिंह जुदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार. श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्रीं (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फमुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 1 अप्रैल, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की सेवा समाप्ति एवं नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति

*1—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1962 से 1973 के मध्य सिंचाई विभाग के अधीन 550 स्नातक सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी और बाद में इन पदों को समाप्त करके इन कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कूपचालक के पद पर पदावनति कर दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि इन कर्मचरियों को पदावनति की तिथि से अब तक एक भी वेतन वृद्धि नहीं दी गई और वर्ष 1980 में इनमें से 2000 कर्मचारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में समायोजित कर लिया गया ? क्या शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र समायोजित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

वर्ष 1962 से 1973 के मध्य सिंचाई विभाग में 550 से अधिक कृषि सहायक स्नातक सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 1975 में कृषि प्रसार योजना समाप्त हो जाने पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। परन्तु जो कर्मचारी स्वेच्छा से नलकूप चालक के पद पर कार्य करना चाहते थे, उनकी नियुक्ति नलकूप चालक के पद पर कर दी गयी थी उनकी पदावनति नहीं की गयी। उनमें से अधिकांश को, नियमानुसार नलकूप चालक के वेतनमान में देय वेतन वृद्धियां दी गयी है। उक्त भूतपूर्व सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों में से 200 को कृषि विभाग में नियुक्त कर लिया गया है। शेष को कृषि विभाग तथा गन्ना विकास में नियुक्त कराया जाना संभव नहीं हो सका है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यह 550 से अधिक स्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट्स नियुक्त किये गये थे कृषि प्रसार निरीक्षक के पद पर और इनकी सेवायें समाप्त नहीं की गयीं बल्कि इनकी पदावनति कर दी गयी चतुर्थ श्रेणी इंप्लाई बनाकर। उनमें से किन्हीं कारणों से 200 को कृषि विभाग में समायोजित किया गया बाकी 350 कर्मचारियों ने कौन सा अपराध किया था कि उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। कुल 1250 कृषि प्रसार निरीक्षक थे, जिनकी छंटनी हो गयी, जो कि कृषि प्रसार योजना में रखे गये थे, वह योजना समाप्त हो गयी। तब उनसे यह पूछा गया कि जो लोग कूप चालक के पद पर काम करना चाहते हैं, उनको रखा जा सकता है। उनमें से 1107 ने अपनी स्वीकृति दी और उसमें से लोग रखे गये। यह लगातार चलता रहा कि इनको कृषि विभाग या गन्ना विभाग में ही रखा जाय क्योंकि ये ग्रेजुएट्स थे। नलकूप चालक का काम उनके योग्य नहीं था। इस सम्बन्ध में वार्ता हुई और 200 लोगों को उन्होंने अपने यहां रखा, 612 लोग ऐसे हैं, जो नलकूप चालक के पद पर काम कर रहे हैं सिंचाई विभाग में कोई ऐसी जगह नहीं है। कृषि विभाग में अगर कोई जगह हो तो कुछ परसेन्टेज रखा जा सकता है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

ये सिंचाई विभाग के थे. कृषि विभाग में समायोजित किये गये । सरकार का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिये क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि शेष जो स्नातक कर्मचारी हैं, उनको भी सेवायोजित कर लिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि कर लिया जायेगा लेकिन हम चाहते हैं कि उनको सेवा दी जाय ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस समय प्रदेश में लगभग 5 हजार नलकूप चालकों की आवश्यकता को देखते हुये चूंकि सभी जगह कहीं-कहीं एक-एक कूप चालक 3–3 कुओं को देखता है, बनारस में तो यह मैं देखता हूं , इसलिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो बचे कर्मचारी है, उनसे वार्तालाप करके जो नये कूप चालकों की नियुक्ति होगी, तो उनको वहां रखा जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो श्री प्रभू नारायण सिंह ने प्रश्न किया है, वह दूसरा है और यह है कि कूप चालक 1250 हैं, उनको कूप चालक न रखा जाय और ऊपर के ऊंचे पद पर जहां काम कर रहे थे, वहां उनको रखा जाय । इसलिये हम, तो जो श्री ऊदल ने पूछा है, उसमें बताना चाहते है कि जो कूप चालकों का काम करना चाहते है उनको तो प्राथमिकता हम देते ही हैं और 1250 कूप चालक आज भी काम कर रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह—

वह कौनसी परिस्थितियां पैदा हुईं जिससे उनकी आवश्यकता नहीं रह गयी और पद समाप्त करना पड़ा । दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि किन किन लोगों ने कूप चालकों पर नियुक्ति के लिये स्वीकृति दिया था और क्या उनमें से सभी निवुक्त हो गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो पूछा है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक स्कीम के अन्तर्गत 1962 में वह रखे गये थे और 1975 तक वह स्कीम चली। और 1975 में जब स्कीम समाप्त हो गई, तो समस्या पैदा हो गयी । जहां कूप चालक काम कर रहे हैं वहां स्नातक से काम क्यों लें, उससे फायदा नहीं। इसलिये उनकी छटनी करनी पड़ी और बाद में कहा गया कि जो कूप चालक के पद पर काम करने के लिये तैयार हैं उनको रखेंगे। इसलिये 1250 में से 1107 लोग तैयार हो गये और रखे गये और धीरे-धीरे हटते चले गये और आज 612 लोग हैं।

जयवन्ती बांध, इटवा से ग्राम लक्ष्मीपुर (लौरी) के मकानों को क्षति

•2—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की मऊ तहसील के ग्राम लक्ष्मीपुर (लौरी) के श्री अवधेश राय सिंह आदि 12 व्यक्तियों ने अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग, बांदा एवं जिलाधिकारी, बांदा को 7–9–80 को रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र देकर 1–9–80 को जिलाधिकारी, बांदा को तार भेजकर शिकायत की थी कि जयवंती बांध, इटवा, तहसील मऊ के अधिकारयों की गलती एवं लापरवाही से बाँध के पानी से उनके कई घर डूब गये, लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई तथा कई मवेशी मर गये ? यदि हाँ, तो पीड़ितों की क्षति पूर्ति अभी तक क्यों नहीं की गई और दोषी अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया गया ? क्या ग्रामवासियों को पुनर्वासित करने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कथित प्रार्थना पत्र अधीक्षण,अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, बांदा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। जिलाधिकारी बांदा ने दिनांक 3–9–80 को केवल उक्त प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखंड बांदा को जांच उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा था ।

दिनांक 26–8–80 को अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण जयवन्ती बांध, इटवा पूर्ण जलस्तर तक भरने के कारण उसका फ्लैक स्केप चालू हो गया था । बांध के डूबे क्षेत्र से एकदम निकट बसे होने के कारण ग्राम लक्ष्मीपुर (लौरो) के घरों में पानी चला गया, जिससे सात मकानों को क्षति पहुंची । कोई मवेशी नहीं मरा । यह क्षति दैविक आपदा के कारण हुई है न कि किसी अधिकारी की लापरवाही से । अतः किसी अधिकारी को दंण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व विभाग द्वारा पीड़ितों को सहायता दिनांक 24–10–80 को कर दी गयी है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, फसल की जो क्षति हुई थी वह कितनी हुई थी ? दूसरे राजस्व विभाग को पीड़ितों की सहायता के लिये लिखा गया, तो वहां कितने रुपये सहायता के रूप में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह क्षति कितनी हुई थी उसका ब्योरा नहीं है और जो सहायता दी गयी है, यह सहायता 7 आदमियों को दी गई । श्री माता बदल पुत्र ननका चमार 200, ननका पुत्र भोरई 200, महाबीर पुत्र पक्कू कोल 200, कलुवा पुत्र छोटा 200, पंचा पुत्र पुरान 200, ढक्गू पुत्र पक्कू कोल 200, देवला पुत्र केशव 200 रुपया दिया गया ।

श्री ऊदल—

इस गांव की क्षति के लिये जांच करायेंगे कि इस गांव में बांध का पानी जाने से चाहे किसी कि लापरवाही न रही हो, 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो मालगुजारी और सरकार के अन्य देयों से छूट दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी जो सूचना आई है मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे मकान के लिये सहायता दी गई जैसा माननीय सदस्य कह रहे है जांच करा लेंगे और नियमानुसार दिया जायेगा ।

*3—श्री जंग बहादुर—

[25–2–81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 35 द्वारा उत्तरित]

(दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

उन्नाव जिले की कुरसठ टाउन एरिया के तालाब तथा अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई की मांग

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के माधोगंज विकास खंड के अन्तर्गत उन्नाव डिवीजन में आने वाले कुरसठ टाउन एरिया के चारों ओर विशाल तालाब का पानी निकालने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई गत वर्ष ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान से कराने का प्रयास किया गया किन्तु सफाई पूरी न हो पाने के कारण पूरा क्षेत्र तबाह रहता है ? यदि हां, तो विगत कई वर्षों से अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई विभाग द्वारा न कराये जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

दो गांव की जानकारी करने के लिये सवाल किया था 12-11-80 का सवाल है। 5 महाने पूरे हो गये लेकिन आज तक सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है। 4 दिन के बाद सदन स्थगित हो जायेगा तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसी सदन में परसों तक जवाब दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप उम्मीद करते हैं कि 5 महीने में नहीं इकट्ठा हो पाई, तो परसों तक हो जायेगी ?

श्री राम आसरे वर्मा—

यह बात तो आप मंत्री जी से कहें वहीं उत्तर दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मंत्री जी इसमें इतना बिलम्ब क्यों हुआ कुछ बतायें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं खुद पूछ रहा हूं कि इसमें बिलम्ब क्यों हुआ ?

श्री राम आसरे वर्मा—

बिलम्ब का कारण मैं बता दूं। क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के उलट फेर होने के कारण प्रमुख अभियन्ता के मसले को लेकर जो डी0 डी0 सनवाल को प्रमुख अभियन्ता बना दिया गया है और उनके खिलाफ है लम्बी चौड़ी लिस्ट आरोपों की। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रमुख अभियन्ता उन आरोपों की जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

अल्मोड़ा जिले की भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना का कथित सर्वे

*2—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवानी देवी ग्राम समूह पेयजल योजना विकास खण्ड भिक्यासैन, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की सर्वे आगणन बन गये हैं ? यदि हां, तो कब निर्माण कार्य आरम्भ होगा ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी नहीं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, आज अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी ने कह दिया कि सूचना एकत्रित हो रही है। पर्वतीय विकास मंत्री जी ने कह दिया जी नहीं आज पहली अप्रैल है फूल डे मना रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस भवानी देवी योजना में कितने गांव हैं और जी नहीं कह दिया तो क्या यह योजना बनाई नहीं जा रही है। सर्वे नहीं है बजट नहीं है जो इन्होंने कह दिया, जी नहीं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

पहली अप्रैल की वजह से नहीं मैं जबाब ठीक दे रहा हूं। आपकी जिज्ञासा दूर हो जायेगी यह वृहद पम्पिंग योजना बनी है, 79 राजस्व गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका 50 प्रतिशत सर्वेक्षण हो चुका है चार चरणों में यह योजना है। मुझे आशा है कि 82 तक इस योजना का प्राक्कलन वगैरह का काम पूरा हो जायेगा।

तदुपरान्त कुमायूं जल संस्थान इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंसियल सैंक्शन देगा। तब उसके बाद निगम के द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से बनाया जायगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, ढाई तीन किलोमीटर दूर से वहां महिलायें, हम लोग पानी लाते हैं। डेढ करोड रुपया की यह बनायी जायगी। जब कोई समस्या खडी होती है, तो अरबों रुपये खर्च होते हैं। अभी बाढ आयी थी, तो अरबों रुपये खर्च हुये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह योजना बनेगी, तो कितने गांव लाभान्वित होंगे। दूसरी बात यह कि क्या जल्दी से इसमें सर्वेक्षण कराकर उसके लिये धन आवंटित करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

79 गांव लाभान्वित होंगे।

(प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, ढाई, तीन कि0मी0 से पानी लाना पड़ता है। मंत्री जी क्या शीघ्र सर्वेक्षण कराकर इसको लागू करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

परिवहन निगम की बसों में बाने होली दुर्घटनायें

*3—श्री शंकर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज की बसों में बढ़ती हुई दुर्घटनाएं रोकन के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम ने राज्य सरकार से किराये में वृद्धि करने की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवहन निगम की बसों में दुर्घटनाएं रोकने के लिये निगम द्वारा बराबर यत्न किया जा रहा है। अधीनस्थ अधिकारियों को समय-समय पर इस विषय में आदेश भेजे गये हैं। प्रत्येक दुर्घटना की जांच करायी जाती है और कारण ज्ञात कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। गाड़ी परिचालन के समय ड्राइवर के लिये मादक द्रवों का सेवन निषिद्ध कर दिया गया है। प्रत्येक वाहन की रोड पर भेजने से पूर्व वर्कशाप में समुचित जांच की जाती है। इस बात का यत्न किया जाता है कि बसों में ओवरलोडिंग न हो और उन्हें बहुत तेज रफ्तार से न चलाया जाय। परिवहन निगम ने शासन से 40 प्रतिशत किराये में वृद्धि करने की अनुमति मांगी थी।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर थोड़ा सा सही हो, आज पहली अप्रैल क उसका फायदा आप उठायें। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि जो बसों के ड्राइवर होते हैं उनकी एक शिफ्ट कितने घंटों की होती है। नम्बर दो, जैसा आपने कहा है कि गाडी चलाने के समय ड्राइवरों के लिये मादक द्रव्यों का सेवन निषिद्ध कर दिया गया है, आपने गाड़ी चलाने के समय रोक लगा दी लेकिन अगर गाड़ी चलाने के पहले ही वह पीकर बैठें, तो उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तो प्रयास किया जाता है कि कभी न पियें, ड्राइवरों को पीने की इजाजत तो नहीं दी जाती है, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना का भय न रहे। दूसरी चीज जो आपने कही लांग रूट और शार्ट रूट के ड्राइवर होते हैं। उनकी ड्यूटी कोशिश की जाती है कि कम हो। जो लंबी दूरी की बसें हैं उनमें देरी भी होती है। तो कोशिश की जा रही है कि जो इसमें है वह दूरी कम की जाय।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, परिवहन निगम की जो गाड़ियां मैदानी क्षेत्रों में खराब हो जाती हैं, उनको जानबूझकर पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा जाता है, जहां पर काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि पुरानी गाड़ियों के स्थान पर पर नयी गाड़ियां वहां भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दुर्घटनायें होती हैं पूरे प्रदेश में और जो उनकी जांच करायी जाती है, तो जांच से मुख्य कारण क्या निकले हैं, अधिकतर दुर्घटनाय होन के ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, दुर्घटना की टेक्निकल लोग जांच करते हैं कि गाड़ी में कोई डिफेक्ट तो नहीं था। कभी-कभी ऐसा होता है कि सड़क पर चलने वालों के जजमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। यह शिकायतें मुख्य रूप से आती हैं।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभाग ने 40 प्रतिशत किराये में वृद्धि की अनुमति मांगी थी, तो उस पर आपने क्या किया और इस बात को देखते हुये कि 40 प्रतिशत वृद्धि किया जाना बहुत अधिक है और अगर इस पर स्वीकृति दे भी दी गयी है, तो क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे कि किराये में वृद्धि इतनी न की जाए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि 40 प्रतिशत किराये में वृद्धि करने के लिये अनुमति मांगी थी। बाद में बताया गया कि 60 प्रतिशत खर्चा बढ़ गया है, और इससे घाटा होने की सम्भावना है, तो इस तरह रूरल एरियाज में 25 प्रतिशत और शहरों में 20 प्रतिशत किराया बढ़ाया जाए। लेकिन उनकी इस बात को भी माना नहीं गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ कारण दुर्घटनाओं के बताये। तो क्या माननीय मंत्री जी जिन कारणों से दुर्घटनाएं अधिक होती है, उन कारणों की अलग-अलग जांच कराकर, जिन कारणों से दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, उन कारणों को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसा किया जायेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्पष्ट किया है कि गाड़ियां कम रफ्तार से एक निश्चित सीमा के अन्दर चलाने के आदेश दे दिया है। लेकिन परिवहन निगम में जो प्राइवेट गाड़ियां ली गयी है, जिन बसों की रफ्तार भी अच्छी है और उनकी मेन्टेनेन्स भी निगम की गाड़ियों से अच्छी है और इन गाड़ियों से दुर्घटनाएं भी कम होती है। और निगम की गाड़ियां जब एक बार वर्कशाप में जाती है, तो वहां सामान के अभाव में ऐसे ही चलता कर दी जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी अब इस बात से संतुष्ट करेंगे कि जो गाड़ियां बिगड़ती है, उनकी सही तरीके से मरम्मत होगी और अच्छे किस्म के पार्ट बदलकर उसमें लगायें जायेंगे ? ताकि इन बसों द्वारा दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि दुर्घटनाएं निगम की बसों से ही ज्यादा होती है। लेकिन इन कारणों पर विचार किया जा रहा है कि यह दुर्घटनाएं कैसे कम हो सकेंगी। इस पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मरम्मत और पार्ट्स के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कुछ नहीं बताया ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बसें वर्कशाप से मरम्मत होकर और चेक होकर बाहर निकलती है तो मान्यवर, यह सभी लोग जानते है, जो बसों पर सवारी करते है कि अधिकांश बसों में लाईट नहीं होती, सीटें ठीक नहीं होतीं, सफाई नहीं होती, तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसा एक स्टेण्डर्ड मेन्टेन करेंगे कि बस जब तक पूरी तरह ठीक न हो, तब तक उसे बाहर नहीं निकालेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस समय हमारे पास अच्छी बसों की कमी है। डेढ़ हजार बसें हमारे पास ऐसी है, जिनकी हालत खराब है। दो हजार बसें हम और लेना चाहते ह। जब यह नई बसें आ जायेंगी, तो यह सारी समस्या दूर हो जायगी।

परिवहन निगम की बसों की समय-सारिणी

*4--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि रेल विभाग की भांति उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम भी दूर जाने वाली सभी बसों की एक समय-सारिणी प्रतिवर्ष निकालने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

ग्रीष्म कालीन समय-सारिणी मुद्रण में है। इसकी 15 अप्रैल, 1981 से पूर्व ही उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो लांगरूट की गाड़ियां हैं, उनकी कोई समय सारिणी तैयार करेंगे और अगर वह बस किसी तरह से रास्ते में खराब हो जाय, तो उसकी जगह पर कोई दूसरी बस तुरन्त दिए जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लांग रूट की गाड़ियों के लिए इस बात के प्रयास किए जा रहे है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी समय सारिणी में उन नियमों को छापेंगे जिससे मुसाफिरों को अपने कर्तव्य की जानकारी हो सके, जैसे रेलवे में है, ऐसे नियमों की व्यवस्था कर शीघ्र छापने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, छप रही हैं, शायद छप चुकी होंगी, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उसे करा लिया जायगा। भविष्य के लिए आपका सुझाव नोट कर लिया है।

उत्तराखण्ड विद्यापीठ, जिला चमोली आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं स्थान मण्डल में हरबल इंस्टीट्यूट के स्थापना की मांग

*5--श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड विद्यापीठ, जिला चमोली में आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं स्थान मण्डल में हरबल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने

के सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायगा और किस तिथि से ये संस्थाएं अपना कार्य आरम्भ कर देंगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

उत्तराखण्ड विद्यापीठ, जिला चमोली में आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं स्थान मण्डल में हरबल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः इन संस्थाओं के कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, क्या पर्वतीय विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष उत्तराखण्ड विद्यापीठ, जिला चमोली में आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं स्थान मण्डल में हरबल इंस्टीट्यूट स्थापति किए जाने के लिए क्या पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों ने संयुक्त रूप से कोई प्रस्ताव सरकार को दिया है ? और यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया तो आपने उस पर क्या छानबीन की ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक से प्रस्ताव आना है। सम्परीक्षण के बाद उसे भेजेंगे। यदि आयेगा तो संसाधनों को देखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर. उत्तराखण्ड विद्यापीठ में वहां पर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की कक्षाएं नहीं चल रही हैं, भवन खाली पड़ा हुआ है और वहां पर जड़ी-बूटियों की भरमार है और इसके लिए जनता की काफी मांग आ रही है तो क्या मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे और वहां पर आयुर्वेदिक विद्यालय खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि अपेक्षित ढंग से प्रस्ताव आने पर विचार किया जायगा। दूसरी बात मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड विद्यापीठ जिला चमोली का तीन वर्ष का फार्मेसिस्ट का कोर्स चालू करने जा रहे हैं जिसके लिए अनावर्तक अनुदान की मांग की जा रही है, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है, इसके लिए आयुर्वेदिक निदेशालय से उसकी संस्तुति मांगी जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, आप सुझाव न दीजिए, बल्कि प्रश्न कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल में---

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं, कृपया।

आगरा में श्रम जीवी महिलाओं के छात्रावास पर व्यय की गयी धनराशि

*6---श्री पंचानन---

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में कार्यरत महिलाओं के हास्टल की व्यवस्था वर्ष 1976 में की गयी थी तथा जून, 78 तक उस हास्टल में एक भी कार्यरत महिला नहीं आयी फिर भी जन, 79 तक बासठ हजार रुपया हास्टल पर किराए अथवा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के रूप में व्यय किया गया ? यदि हां, तो कैसे ? क्या उन परिस्थितियों की जांच करायी गयी ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी पाए गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—
जी हां ।

फरवरी, 1977 में श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास के लिए आगरा में किराए पर एक भवन लिया गया था जिसमें 5–6–78 तक किसी महिला ने प्रवेश नहीं लिया और जून, 1978 तक इस भवन का किराया तथा स्टाफ आदि पर 62,000 रुपया खर्च हुआ ? इस छात्रावास के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति इस आशय से की गयी थी कि श्रमजीवी महिलाओं को छात्रावास में रखा जायेगा किन्तु भवन स्वामी द्वारा बिजली तथा जल कनेक्शन काट देने के कारण महिलाओं को प्रवेश नहीं किया जा सका। उक्त स्थिति में स्टाफ की नियुक्ति आदि के विषय में कोई जांच नहीं कराई गयी ?

श्री पंचानन—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि उस भवन के किराए में तथा स्टाफ आदि के वेतन में 62,000 रुपया व्यय कर दिया गया लेकिन किसी भी श्रमजीवी महिला ने प्रवेश नहीं लिया। इस बात से मुझे सन्देह है अतः मन्त्री जी कृपया बतायें कि कितना धन किराए के रूप में दिया गया और कितना धन कर्मचारियों के वेतन के रूप में दिया गया। दूसरी बात कि उन्होंने कब उस भवन को किराए पर लिया और कब मकान मालिक ने उसका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया ?

श्री छेदी लाल चौधरी—

मान्यवर, माननीय राय साहब ने जो बात कही है मैं स्वतः उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं, जांच तो मैं करा लूंगा। वैसे भवन किराए पर लिया गया था 17–2–77 को उसके बाद अप्रैल में मकान मालिक ने मुकदमेबाजी कर दी, जो लम्बे टाइम तक चलता रहा। पूरा टोटल कितना और कैसे खर्च हुआ, इस समय इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है इसकी पूरी जानकारी मैं ले लूंगा और राय साहब को बता दूंगा ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता यह है कि जिस भवन के बारे में प्रश्न है, वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और वहां पर कोई भी श्रमजीवी महिला रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस भवन का चयन किस अधिकारी ने किया था और उस अधिकारी से कोई जानकारी की गयी कि यह जीर्ण-भवन होने के बावजूद भी किराए पर क्यों लिया गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

इन सब बातों की जानकारी कराऊंगा ?

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि 62 हजार रुपया खर्च हुआ, कोई भी वर्किंग वूमेन रही नहीं, तो विशेष तौर पर उसकी जांच करायंगे कि इस पट्टीकुलर बिल्डिंग को किसने प्रपोज किया था, किराए पर लेने के लिए । 4 साल तक रहने के लिए एक भी महिला नहीं आई। अगर उसकी वहां जरूरत थी, तो किन कारणों से वहां वर्किंग वूमेन रहने के लिए नहीं आईं ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मैं मान्यवर, पूरी बातों की जांच और जानकारी कराऊंगा ।

श्री सूबेदार सिंह—

यह आवश्यक है कि जब मन्त्री जी जवाब सदन में दें तो वे स्वयं उस जवाब से सन्तुष्ट हों। मन्त्री जी ने कहा कि मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं, तो क्या इसकी जानकारी उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को दे दी है कि वे इस जवाब से स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी को कोई जानकारी नहीं, वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं, तो मान्यवर, इसको स्थगित करा दें ।

श्री पंचानन—

मान्यवर, प्रश्न अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 62 हजार रुपया खर्च कर दिया गया और एक भी महिला को रखा नहीं गया, मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी और सप्लीमेंट्री में कहा कि स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं । इसलिए यह बड़ा गम्भीर मामला है । इसको स्थगित करा दें । 62 हजार रुपया अधिकारी खा गये, मकान किराए पर लिया नहीं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि महिलाओं को एनरोल नहीं किया गया रहने के लिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मन्त्री जी से निवेदन है कि इस पर पूरी जांच करा कर तथ्यों से सदन को अवगत करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपने यह देख लिया कि जहां आप के उत्तर में यह स्पष्ट हो गया है, 62 हजार रुपया खर्च हो गया, कोई भी महिला प्रशिक्षिण के लिए नहीं रही, इसलिए सब सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जांच करा लें और सदन को अवगत करा दें ।

श्री छेदा लाल चौधरी—

जांच करा कर सदन को अवगत करा दूंगा ।

बाराबंकी जिले के ग्राम धौरवरिया में शारदा नहर से सीपेज एवं ड्रेन निकासी की मांग

*7—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (जिला बाराबंकी) के पत्र दिनांक 2-12-80 के साथ ग्राम धौरवरिया, जिला बाराबंकी के किसानों का कोई संयुक्त प्रार्थना-पत्र उस ग्राम के समीपवर्ती शारदा नहर के 50-51 वें मील के बीच सीपिंग पानी के निकास हेतु प्रेस्तावित ड्रेन से उत्पन कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पत्र में दर्शाए गये सुझाव के अनुसार सम्बन्धित ड्रेन का सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि यह बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है जहां से होकर ड्रेन जा रही है और बहुत छोटी जोत वाले किसान रहते हैं ? इस बात को देखते हुए इस ड्रेन की योजना को क्या समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

समाप्त नहीं किया जायगा मान्यवर, लेकिन इन गांवों के जो सुझाव हैं उनका सर्वेक्षण हो रहा है और उन पर कार्यवाही की जायगी ।

बदायूं जिले में गंगा एवं रामगंगा नदी के किनारे उसैत बांध के विस्तार की योजना

*8—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के गंगा व रामगंगा नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने हेतु ठोकरों/बांध इत्यादि बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, गंगा नदी के किनारे बसे बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु उसैत बांध के विस्तार एवं भूडा भदरौल के समीप कटाव निरोधक कार्यों के कराने के लिए योजनायें शासन के विचाराधीन हैं ।

रामगंगा नदी के किनारे बसे कोई गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं अतः बाढ़ सुरक्षा कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने भी यह जो उसैत बांध के विस्तार के लिए, कटाव कार्य कराने के लिए जो योजना है, इसको स्वीकार किया था, तो क्या यह सरकार इस बरसात आने के पहले इस योजना को पूरा कराने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस विस्तार के लिए 61.2 लाख रु0 की लागत योजना स्वीकृत हो गयी है और यह निश्चय हुआ है कि 23 किलोमीटर लम्बा बांध बनाया जायेगा । 10 डिस्टैमार बनाए जायेंगे, इसका प्राविधान है और कोशिश की जा रही है कि बरसात के पहले जितना कार्य सम्भव हो सके, किया जाय ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां एक मेला टटेला लगता है. वहां हर साल बरसात होने के बाद सैलाब आता है और ककोड़ा गांव और आस-पास के गांव उससे प्रभावित होते हैं। वहां पर एक सड़क बनाई गयी है, उसको भी हानि पहुंच रही है, तो क्या उसको देखते हुए वहां पर जहां मेला लगता है, ऐसा कार्य करायेंगे जिससे वहां पर पानी न भरे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको देख लेंगे कि वहां पर क्या कार्यवाही हो रही है और अगर नहीं हो रही है, तो इस सम्बन्ध में विचार करके कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मीर मजहर अली--

गांव कटरा का कटाव हो रहा है और जिससे दो दफा वहां बांध बन चुका है। नई ठोकर बनाने के लिए क्या उसके ऊपर गौर कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको देख लेंगे, कहां कटान हो रहा है और क्या कार्यवाही हो रही है और जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है और मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित रामगंगा और गंगा नदी पर ठोकरें जहां-जहां बनाने का इन्तजाम किया गया। वहां पर सारी चीजें बदल दी गयीं। नं0 1 की ईंट की जगह 2/3 की ईंट लगाई गई और मेरी इस जानकारी को सही मानकर कि जराम झुंडी के पास जो ठोकर बनाई गयी थी, वह ठोकर टूट गयी और खराब हो गयी। वहां पर पानी आकर रुकता था और जब पानी आकर रुकता था तो . . .

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए। आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री फखरे आलम--

मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी ठोकरें गंगा और रामगंगा नदी पर टूट गयी है, उनको जल्दी से जल्दी बनवाने का इन्तजाम किया जायगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच करा लेंगे और देख लेंगे कि वहां सही काम हो सकता है।

श्री ओम बीर सिंह, सहायक जेलर, कारागार, मेरठ का स्थानान्तरण

*9—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 1980 के राष्ट्रपति शासन म श्री ओमबीर सिंह, सहायक जेलर का स्थानान्तरण कारागार, मेरठ से कारागार, लखनऊ को किया गया था और आदेश का पालन न करने पर उन्हें निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर उन्हें बहाल कर मुजफ्फरनगर में पोस्ट कर दिया गया ?

कारागार मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी हां, आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 1980 के द्वारा श्री ओमवीर सिंह, सहायक जेलर को जिला कारागार, मेरठ से आदर्श कारागार, लखनऊ स्थानान्तरित किया गया था और आदेश का पालन न करने पर उन्हें कारागार महानिरीक्षक के आदेश दिनांक 9 मई, 1980 के द्वारा निलम्बित किया गया था। शासनस्तर पर उनके मामले पर पुनः विचार करके बहाल करने के पश्चात उनको जिला कारागार, मेरठ से जिला कारागार, मुजफ्फरनगर स्थानान्तरित किए जाने के आदेश निर्गत किए गये ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 16 अप्रैल को उनका स्थानान्तरण किन कारणों से हुआ, कितने दिन वह निलम्बित रहे और उनको दुबारा बहाल किन कारणों से किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानान्तरण किया गया था। उसके बाद स्थानान्तरण आदेश उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया, इसलिए उनको मुअत्तल किया गया। उसके बाद उनकी पत्नी ने एक प्रार्थना-पत्र मन्त्री जी के नाम लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि उनके पति का स्थानान्तरण सितारगंज जनपद नैनीताल से जिला कारागार, मेरठ हुआ था और इस वर्ष उनका स्थानान्तरण पुनः कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी 12 साल, 10 साल, 8 साल की लड़कियां हैं जोकि दसवीं और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ रही हैं। मन्त्री जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिए। उसके बाद फिर जब प्रशासन की ओर से यह हुआ कि अधिक समय उनको वहां हो गया है, उनकी शिकायतें भी हैं तथा उनके बच्चों की पढ़ाई भी होती रहेगी, मुजफ्फरनगर उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सहायक जेलर ओमवीर सिंह 12 अक्तूबर को जब मेरठ जेल में लाठी चार्ज हुआ था सत्याग्रही कांग्रेसियों पर वही हैं। इनका स्थानान्तरण लोकदल जमाने में मुख्य मन्त्री बनारसी दास ने माननीय नारायण दत्त तिवारी और दूसरे नेताओं की शिकायत पर गुरमा किया, फिर निलम्बन और फिर स्थानान्तरण हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि क्या यह वही सहायक जेलर हैं, जिन्होंने मेरठ में 12 अक्तूबर, 1978 को लाठी चार्ज कराया था ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

श्री मन्जूर अहमद—

इनका स्थानान्तरण अब इनकी पत्नी के आधार पर किया गया। मैं गम्भीर आरोप लगा रहा हूं। मेरा आरोप यह है कि उस समय कौन से मन्त्री थे, जिन्होंने इनका आदेश किया। खन्ना साहब थ या और दूसरे थे ?

श्री अध्यक्ष—

जो भी मन्त्री रहे होंगे, उन्होंने किया होगा।

श्री राम सिंह खन्ना—

सारी जिम्मेदारी शासन की है ।

श्री दामोदर शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 12 अक्तूबर, 1978 को सहायक जेलर ओम बीर सिंह ने मेरठ जेल में लाठी चार्ज कराया और तत्कालीन आई0जी0 जेल्स ने उनके निलम्बन के आदेश किए थे और उनका स्थानान्तरण भी उन्होंने प्रपोज किया था और इतना ही नहीं उसकी जांच होने के बाद उनको दोषी करार किया गया था, उस पर उनका स्थानान्तरण मेरठ से लखनऊ कर दिया गया। अब किन कारणों से आपने उनको मुजफ्फरनगर पोस्ट कर दिया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जैसा कि प्रश्न में आया कि उनके विरुद्ध जांच के आदेश भी हुए हैं तो क्या वह जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की क्या संस्तुतियां हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जांच का इसमें कोई सवाल नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, श्री ओम बीर सिंह का जो स्थानान्तरण मुजफ्फरनगर किया गया है, क्या यह सही है कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री ओमबीर सिंह के खिलाफ माननीय नारायण दत्त तिवारी, माननीया मोहसिना किदवई तथा बहुत से अन्य कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि इन्होंने भारत की नेता इन्दिरा गांधी के लिए कहा था कि यह कुतिया की हुकूमत नहीं है, चरण सिंह की हुकूमत है ? यह भी फाइल में लिखा हुआ ह कि इनको मेरठ मण्डल में न नियुक्त किया जाय ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ओमवीर सिंह, सहायक जेलर के बारे में लिखा हुआ है कि इनको मेरठ मण्डल में नियुक्त न किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना—

इसमें कोई इन्ट्री नहीं है कि इनको उस जगह न रखा जाय।

*10—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11—श्री सत्यपाल सिंह—

[13वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[14वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन निगम द्वारा हरिद्वार में यात्रियों से आरक्षण शुल्क की वसूली

*14—श्री विद्यासागर नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रियों से आरक्षण फीस किस दर से तथा कब से वसूल की जा रही है ? यह धनराशि किस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जाती है ? तथा किस अधिकारी के आदेश से वसूल की जाती है ? अब तक इस मद में कुल कितनी धनराशि जमा की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हरिद्वार में आरक्षण शुल्क 25 मार्च, 80 से 3-2-81 तक एक रुपए से तीन रुपया तक की दर से अध्यक्ष, परिवहन निगम के आदेश से वसूल किया गया। उक्त अवधि में इस मद में हरिद्वार में 49,923 रुपया जमा हुआ। तारीख 4-2-81 से इस आरक्षण शुल्क को वसूल करना बन्द कर दिया गया है।

प्रदेश में सूखा एवं आबपाशी शुल्क माफ किए जाने सम्बन्धी आदेश

*15—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1979-80 में प्रदेश को अभूतपूर्व सूखा का सामना करना पड़ा था ? जिसके कारण अधिकांश भूमि की सिंचाई नहीं की जा सकी और जिस भूमि की सिंचाई की भी गयी थी उसकी फसलें अधिकतर सूख गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आबपाशी माफ करने के अतिशीघ्र आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। वर्ष 1979-80 में प्रदेश को सूखे का सामना करना पड़ा जिसका मुख्य असर खरीफ की फसल पर पड़ा। इस फसल में वर्ष 1979-80 में 24.12 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई राजकीय साधनों से की गयी थी। यह सिंचाई खरीफ की फसल में राजकीय साधनों से किसी पूर्व वर्ष में की गयी सिंचाई से अधिक थी। यह सही नहीं है कि जिस भूमि की उपरोक्त सिंचाई की गयी थी उनकी अधिकतर फसलें सूख गयी थीं। जिन क्षेत्रों में राजकीय साधनों से सिंचित फसलों पर सूखे का प्रभाव पड़ा था उन पर आबपाशी में मिनहाई करने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इटावा, फर्रुखाबाद कानपुर और मैनपुरी जनपदों में किन-किन स्थानों पर सूखे से और सिंचाई न होने के कारण फसल सूखने की सूचना मिली है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इतनी विस्तृत सूचना नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, इटावा जनपद के सिंचाई के कर्मचारियों ने किस-किस क्षेत्र के लिए जो सूखे से फसल सूख गयी थी, उसमें छूट देने के लिए विभाग को लिखा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रमुख अभियन्ता ने विभाग को लिख दिया था कि जहां कहीं भी फसल सूख गयी हो और मान्यवर, हमारा रूल भी बना हुआ है कि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल बरबाद होती है वहां छूट दी जाती है।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने अपने विभाग के द्वारा यह रिकार्ड बनवाए हैं कि पूरे प्रदेश में सूखे के समय पानी की कमी की वजह से या पानी देने के बाद भी जहां पर फसलें सूख गयी हैं, ऐसी कितनी जगहें हैं

और उनके सूख जाने से कहां-कहां पर रिकवरी रोकी गयी है और नहीं रोकी गयी है, तो कब तक रोकी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं कि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा सूखा है वहां वसूली न हो लेकिन पूरे प्रदेश में कुल कितनी जगहें हैं, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

बस्ती जिले के दुबौलिया बाजार के निकट घाघरा नदी से कटाव

*16--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1979 में बस्ती जिला के हरैया तहसील के दुबौलिया बाजार के पास घाघरा नदी में ठोकर बनाने का निर्णय लिया था जिससे करीब 50 गांवों का कटान रुक जाए ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है एवं अभी तक उस पर कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासन द्वारा कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि बस्ती जिले के दुबौलिया बाजार के पास घाघरा नदी से 50 गांवों को खतरा हर साल बनता जा रहा है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, घाघरा नदी में हरैया तहसील में कटान जगह-जगह हो रहो है। मान्यवर, जिसका नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं, उसको दिखवा लेंगे कि वास्तव में कटान किस तरह का है। लेकिन वहां बहुत से गांवों में कटान हो रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी जानकारी को सही मान कर कि गत वर्ष और उससे पहले भी बुरी तरह वह गांव पीड़ित थे और कटान हो रहा था, उस समय भी तत्कालीन सिंचाई मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इन गांवों को बचाने के लिए ठोकर की व्यवस्था की जायेगी, तो मेरी जानकारी को सही मानकर की 50 गांवों को खतरा है, वहां ठोकर बनाने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, एक प्राक्कलन 35.10 लाख रु0 का पहले सालों की वर्षा के बाद प्राप्त हुआ और 1980 की जो बाढ़ आई इसको देखकर जो गांव कट रहे हैं, उनकी परेशानी को देखकर कुल बचाव में डैम्पनरों आदि के लिए 56.45 लाख का भेजा गया था इसमें से 20 लाख की स्वीकृति पी0ए0सी0 ने दे दी है, इसमें बहुत से गांवों में काम के आदेश हो गए हैं, जिसमें आठ गांव धर्मपुर डूही आराजी, मुस्तहकम, धर्मपुर डूही आराजी, बंजरिया-बौबे, मनकपुर, गौरा, तिवारीपुर, कड़वड़वा और बिलासपुरवा व पहा पुर हैं। यह आठ गांव हैं जिनमें 20 लाख की योजना स्वीकृत हुई है ।

सिंचाई योजनाओं का खर्च एवं लाभ के अनुपात में कथित चयन

*17--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वह कोई ऐसी नीति क्रियान्वित करने जा रही है जिसके अनुसार "खर्च एवं लाभ के अनुपात" को ध्यान में रखकर ही इन योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन किया जायगा ? यदि हां, तो इसके मापदण्ड क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
जी नहीं ।

श्री जयदीप सिंह—
मान्यवर, यह उत्तर सरकार के मानसिक दिवालिएपन का द्योतक है। प्रदेश के सीमित आर्थिक साधन हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी विद्यमान हैं, तो क्या यहां के आर्थिक साधनों को देखते हुए कि प्रदेश की अधिक से अधिक उन्नति हो क्या सरकार इस फारमूले का कार्यान्वियन करेगी कि काष्ट बनिफिट रेशियों पर कार्य किया जाय ? यदि नहीं, तो क्या यह आर्थिक गैर जिम्मेदारी का द्योतक नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
मान्यवर, ऐसा नहीं है, प्लानिंग कमीशन ने नियम बनाये हैं यह अनुपात 1.5 का है । लाभ ज्यादा होना चाहिए इस रेशियों पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, यह इंस्ट्रक्शन भी हैं लेकिन बुन्देलखण्ड और पहाड़ों मे जहां दुर्गम स्थान हैं और बनाना आवश्यक हो वहां शिथिल करना पड़ता है ।

श्री जयदीप सिंह—
मान्यवर, क्षेत्रों के पिछड़ेपन और असन्तुलन से मैं सहमत हूं उसे दूर करने के लिए आप एक निश्चित राशि निर्धारित कर दें कि इनके लिए योजना का इतना प्रतिशत देंगे लेकिन उसके बाद कास्ट बेनिफिट रेशियो के आधार पर योजनाओं का चयन किया जाय । इस को कार्यान्वित न करना आप उचित समझते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
मान्यवर, ऐसा है कि यह जो लाभ और लागत का रेशियो है कि लागत से लाभ ज्यादा हो वह योजना हम पहले करते हैं लेकिन जो एरियाज पिछड़े हैं जहां पर स्कीम बनाना जरूरी है और जहां कास्ट ज्यादा बढ़ रही है तो वहां ऐसा करना पड़ेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—
उत्तर के सन्दभ में, मन्त्री जी को इस बात पर क्या आपत्ति है कि क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए जो रकम वह उचित समझते हैं उसकी वह निधारित कर दें और शेष योजना को खर्च एवं लाभ के अनुपात की नीति पर चयन न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
यह सही नहीं है कि लागत से लाभ ज्यादा हो, ऐसी योजनाएं बनाई जायें। यह देखा जाता है लेकिन कुछ केसों में एक्सेप्शन किया जाता है, जहां पर बैकवर्ड एरिया हैं, जहां पर बहुत आवश्यक है, पानी पीने की समस्या है या पहाड़ आ जाते हैं। ऐसी जगहों पर ही इसमें एक्सेप्शन किया जाता है।

बस्ती जिले के ग्राम बनजरिया, कटरिया आदि का घाघरा नदी से कटाव

*18—श्री मोहम्मद नबी—
क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में घाघरा नदी के कटान से ग्राम बनजरिया, कटरिया पहाड़वापुर, कड़बड़वा, गौरा आदि छः गांव इस वर्ष पानी के बहाव से बह गये हैं जिससे हजारों घर की जनता बुरी तरह से प्रभावित हुई ? क्या मन्त्री जी भविष्य में उनकी सुरक्षा के लिए ग्राम कटरिया, बनजरिया के बीच ठोकर लगवाकर उपरोक्त सभी ग्रामों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
ग्राम बनजरिया, कटरिया, पहाड़वापुर, गौरा, कड़बड़वा आदि गावों की कृषि योग्य भूमि वर्ष 1980 की बाढ़ में कटा है, ग्राम कड़बड़वा तथा पहाड़वापुर द्वितीय की पूरी आबादी वर्ष 1980 की बाढ़ में कट चुकी है । इस कटान से काफी जनता प्रभावित हुई है ।

वष 1980 की बाढ़ से पहले इन गांवों के बचाने के लिए बचाव कार्यों का एक प्राक्कलन 35.10 लाख रुपए का बनाया गया था जो मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी से स्वीकृत नहीं हुआ था। वर्ष 1980 की बाढ़ के बाद पुनः इन गांवों तथा अन्य गांवों का एक प्राक्कलन 55 डैम्पनरों का 56.48 लाख रुपए का बनाया गया था जिसमें से 25 डैम्पनर 20.00 लाख रुपए लागत के स्वीकृत हुए हैं। इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद नबी—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि बाढ़ से पहले 35.10 लाख की योजना बचाव कार्य के लिए बनाई गयी थी, लेकिन मुख्य अभियन्ता की मीटिंग में वह स्वीकार नहीं हुई, जिससे बांढ़ आ गयी और 10 गांव कट गये तथा हजारों आदमी सड़कों पर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो यदि उस पर अमल-दरामद हुई होती तो यह गांव न कटते, इसलिए क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बाढ़ में नुकसान का तख्मीना क्या है और इस सम्बन्ध में उनको क्या सरकारी सहायता दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी बात नहीं है। जो प्राक्कलन पहले बनाया गया था, उसमें कुछ टेकनिकल डिफेक्ट्स थे, इसलिए स्वीकार नहीं किया गया। अब जो प्राक्कलन बनाया गया है उसमें दिया गया है, इसमें 56 डेम्पनरों को बनाना है और 20 लाख की योजना मन्जूर हो गई है, जिस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और भी देखा जा रहा है कि इसमें क्या काम हो सकता है।

श्री मोहम्मद नबी—

इनको सरकारी सहायता क्या दी गयी, इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया और सड़क की पटरियों पर जो लोग खानाबदोशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन रक्षा के लिए व उन्हें बसाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिनका मकान कट जाता है, उनको बसाने की व्यवस्था की जाती है और जैसे-जैसे कटते जाते ह, वहां से हटाते भी जाते हैं। फिर भी आज बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम इतना नहीं कर पाए हैं।

*19—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[दिनांक 4–2–81 को तारांकित प्रश्न 3 द्वारा उत्तरित]

श्री जे0पी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*20—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0पी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर, निर्माण खण्ड–5, देवरिया के विरुद्ध श्री वी0 के0 मिश्र, विधायक ने दिनांक 4–9–80, 12–9–80, 29–9–80 को तथा श्री रामायण राय, संसद सदस्य ने दिनांक 18–11–80 को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो जांच क्यों नहीं हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री जे0 पी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–5, देवरिया के विरुद्ध श्री वी0 के0 मिश्रा, विधायक के दिनांक 9–9–80, 30–9–80 व 18–11–80 का शिकायती-पत्र तथा श्री रामायण राय, संसद सदस्य का दिनांक 12–9–80 व 29–9–80 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायती पत्रों की जांच हेतु एक जांच समिति गठित की जा चुकी है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय वी0के0 मिश्र के पत्र में कितने लाख रुपए के गबन का चार्ज लगाया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें बहुत से प्वाइंट्स हैं । जो शिकायती-पत्र हैं, उसमें तमाम चीजों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि श्री शर्मा ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में अपने सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के सहयोग से लाखों रुपए का फर्जी भुगतान हड़प लिया है। छितौनी पिपरासी बांध की ठोकर संख्या 1--2 पर बोल्डर की पिचिंग करवाने, सिंगल बिछवाने, बोल्डर निकालने, सीमेंट का उपयोग कम करके खुले बाजार में बेचने की भारी अनियमिततायें करके पैसा हड़प लिया, 40,000 रुपए का फर्जी मस्टर रोल बनाकर पेमेन्ट करके पैसा आपस में बांट लिया, छितौनी स्टोर के लिए चौरसिया इंजीनियरिंग वर्क्स, गोरखपुर द्वारा फर्जी कोटेशन दिखाकर अनियमित ढंग से लगभग 3 लाख रुपए के पुर्जे फर्जी सप्लाई दिखा कर पैसा हड़प लिया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के महानगर एवं बादशाह नगर कालोनियों के मानक किराए में वृद्धि

** 1—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री महेश चन्द्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जनपद में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्मित महानगर और बादशाह नगर के 'सी' और 'एल' टाइप के मकानों का मानक किराया अभी हाल में बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना, कब से और किस दर से बढ़ाया गया है तथा इसका आधार क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

दिनांक 1-1-1981 से राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ स्थित राजकीय कालोनियों के आवासों तथा बंगलों के किराए का पुनर्निर्धारण एवं वर्गीकरण किया गया है। उसी के अनुसार महानगर स्थित सचिवालय कालोनी के 'सी' टाइप आवास का मानक किराया उक्त तिथि से रु0 31.20 से बढ़कर रु0 129.64 प्रतिमाह हो गया है तथा बादशाह नगर कालोनी स्थित 'एल' टाईप के आवास का रु031.00 से बढ़कर 102.20 हो गया है । यह मानक किराया आवास की श्रेणी, वर्गीकरण, उस श्रेणी के पूल्ड रेंट तथा आवास के लिविंग एरिया पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया गया है। समान श्रेणी के नए तथा पुराने आवासों के मानक किराया में भिन्नता दूर करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है । अध्यासियों से उनके वेतन का 10 प्रतिशत अथवा मानक किराया जो भी कम हो, लिया जा रहा है ।

श्री महेश चन्द्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सामान श्रेणी के बने पुराने एवं नए आवासों में कितनी लागत में भिन्नता है ? यदि दोनों में भिन्नता है, तो दोनों का मानक किराया एक समान करने का क्या औचित्य है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

नए मकानों और पुराने जो बंगले बने थे उनमें काफी विसंगतियां थीं। उनको दूर करने के लिए उसकी व्यवस्था की गयी है, जिससे आपस में जो किराएदार हैं, उनमें एक दूसरे के साथ भेदभाव न हो सके ? इसलिए यह किया गया है। इसके अतिरिक्त यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । इसलिए चूंकि यह मामला न्यायालय के विचारांधीन है अतः इसके आगे बताने में मैं असमर्थ हूं ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो गया।

श्री महेश चन्द्र—

किराया बढ़ाने का क्या औचित्य है ? जो पुराना मानक किराया है, उसको ही क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने तो बता दिया है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जैसा निर्णय वहां पर होगा, वैसा वे करेंगे ।

श्री हरिशंकर गुप्ता, निवासी सआदतगंज, दाल मण्डी, लखनऊ द्वारा जारी किया गया सीमेंट का जाली परमिट एवं गिरफ्तारी

*2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि चन्द दिन पूर्व लखनऊ शहर में करीब तीस हजार बोरी सीमेंट का परमिट लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 3–3–81 को थाना हजरतगंज में सूचना मिली कि राज भवन पावर हाउस के पम्प हाउस के कमरे में एक व्यक्ति सीमेंट के जाली परमिट बना बनाकर जारी कर रहा है ।

सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर हरिशंकर गुप्ता पुत्र गया प्रसाद गुप्ता, निवासी सआदतगंज, दालमण्डी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 2 सादी परमिट बुकें तथा 24 लिखित व अर्ध लिखी परमिटें जिसमें प्रत्येक में 100 प्रतियां थीं, कुल 26, बरामद की गयीं । इसके अतिरिक्त आदेश शुदा प्रार्थना पत्र सीमेंट 4, टोकन 10—10 बोरी वाले 4, कार्ड व जांच प्रार्थना पत्र 23 व सीमेंट फार्म सादा एक एवं अभियुक्त हरिशंकर की 2 फोटो बरामद की गयीं ।

पूछतांछ के दौरान हरिशंकर ने बताया कि उपरोक्त प्रपत्र जाली परमिट जारी करने के लिए श्री उमाशंकर त्रिवेदी, लिपिक पूर्ति कार्यालय ने दिए हैं । थाना हजरतगंज पर इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 347 धारा 379/411/420/468/471 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है । श्री उमाशंकर लिपिक की तलाश की जा रही है ।

श्री उमा शंकर लिपिक ने 11–3–81 को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है और दिनांक 7–3–81 को वह सस्पेंड कर दिया गया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उसके पास से यह जो सारा रिकार्ड्स कागज वगैरह प्राप्त हुए, तो सप्लाई आफिस से ही गायब हुए होंगे. तो सप्लाई आफिस की तरफ से क्या इनके गायब होने की सूचना किसी उच्च अधिकारी को कभी दी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सप्लाई आफिस से गायब होने की सूचना पंजीकृत नहीं थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस मामले में जो 30 हजार बोरी सीमेंट का है, उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं ऐसी मेरी सूचना है, तो क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस सम्पूर्ण प्रकरण की किसी उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे और जिला पूर्ति कार्यालय के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों को निलम्बित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अभी तक की जानकारी के अनुसार किसी उच्च अधिकारी का सम्मिलित होना प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन अगर सन्देह है, तो माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप इसे भी दिखवा लिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक की जांच में कौन-कौन प्रमुख लोग रोशनी में आए हैं? कौन इसकी जांच कर रहा है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसकी विवेचना एस0आई0 रामकृष्ण वर्मा कर रहे हैं। जो दो आदमी अभी तक लाइट में आए हैं उनमें एक तो पकड़ा गया और दूसरे ने आत्म समर्पण कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन--

यह मान्यवर, इतना बड़ा रैकेट है, जिसमें सप्लाई आफिस की इतनी सारी चीजें चोरी गयीं, तो इस मामले की अहमियत को देखते हुए, क्या मन्त्री जी किसी एस0आई0 द्वारा इसकी जांच कराने के बजाय किसी उच्च अधिकारी या विजिलेंस से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवा लेंगे?

श्री हर गोविन्द वर्मा--

पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और जब मामला पकड़ा जाता है, तो उसे लिगर आन किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे जिससे ऐसे मामलों में कर्मचारी, अधिकारी तथा व्यापारी तीनों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके?

श्री अध्यक्ष--

स्पेसिफिक प्रश्न आप पूछें। आप का यह तो सारी सम्भावनाओं पर आधारित प्रश्न है?

श्री सुबेदार सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि सम्बन्धित व्यक्ति ने कितनी फर्जी बोरी सीमेंट के परमिट बनाया और कितनी बोरी सीमेंट उस ने उठा लिया था?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जितना कागज उसके पास था, वह सब पकड़ में आ गया, अब उसमें कितनी बोरी सीमेंट उस ने उठा लिया था, यह नहीं पता चला।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा मामला है और अब तक जो जांच हुई है, उससे क्या प्रागदर्शन में कोई केस किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बना है? माननीय मन्त्री जी, इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी को देने की कृपा करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बना। जो अधिकारी जांच कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अगर ऐसी माननीय सदस्य की भावना है कि दूसरे किसी उच्च अधिकारी से जांच करा ली जाय, तो जांच किसी अन्य अधिकारी से करा ली जायगी।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बना या नहीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी सीमेंट परमिटों से लखनऊ की दुकानों से उठाई जा चुकी है। मान्यवर, ऐसी कोई जांच कराई जाय कि जिससे यह जाहिर हो जाय कि कितनी परमिट जारी हुई थी और उस परमिट पर सीमेंट कितनी उठाई गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने परमिट पकड़े गए, उसमें क्या सप्लाई आफिसर के दस्तखत थे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उत्तर दे चुके हैं कि अभी तक जांच में कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने पूछा कि उन परमिटों पर सप्लाई अफसर के हस्ताक्षर थे कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यही तो जांच हो रही है कि उनका फर्जी दस्तखत है कि उनका सही दस्तखत है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह सारे रिकार्ड्स डी0एस0ओ0 आफिस के गोदाम में रहे होंगे, जितनी रसीदें हैं, जितनी परमिट बुकें आदि हैं, तो जब माननीय मन्त्री जी प्रथम दृष्टया चीज की चोरी की गयी, कि यह गायब हो गया है, तो इसकी रिपोर्ट तो होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जबकि स्टाक रजिस्टर में परमिटों की इन्ट्री है और उस पर किसी वरिष्ठ अधिकारी का हस्ताक्षर कैसे हो गया और जो स्टाक रजिस्टर से यह गायब हो गया, तो उसकी सूचना पुलिस में क्यों नहीं दी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इन तथ्यों की भी जांच कराई जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, 30 हजार बोरी सीमेंट का यह मामला है, तो इतनी बोरी बेंचने के पीछे क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो सम्बन्धित लिपिक ने फर्जी परमिट बना दिया था, तो उसने बहुत सी सीमेंट भी बेंचा होगा और वह सीमेंट बेच कर किसी बैंक में रुपया जमा कर दिया होगा, तो माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करवा देंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो कहा कि यह जांच हो रही है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, जहां तक 30 हजार बोरी सीमेंट का घपला है और एक क्लर्क उसमें सस्पेन्ड है जबकि पूरा डिपार्टमेन्ट इसमें इनवाल्व है। क्या वहां पर सप्लाई अफसर उनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे ? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सप्लाई अफसर को सस्पेन्ड करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वह दे चुके हैं ?

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कालीन उद्योग के प्रशिक्षण का कथित सर्वेक्षण

1—श्री पंचानन—

क्या खेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में कालीन उद्योग का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई सर्वे वर्ष 1978 तथा 1979 में कराया गया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खेलकूद मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

वर्ष 1978 तथा 1979 में कालीन उद्योग प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई विभागीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की निर्यात होने वाली वस्तुएं

2—श्री मित्रसेन—

क्या खेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत क्या है ? उसमें कौन-कौन से उत्पादन शामिल हैं ? देश के अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के निर्यात का प्रतिशत कम होने का कारण क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

देश से कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का भाग लगभग तीन प्रतिशत है ?

उत्तर प्रदेश से मुख्यतः ऊनी कालीन, ब्रास एवं ई0पी0एन0एस0 आर्ट वेयर, लेदर एवं लेदर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड एवं फ्रूट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक गुड्स, केमिकल्स प्रोडक्ट्स, अलकोहल, कूड रस तथा अफीम, स्पोर्ट गुड्स तथा इंजीनियरिंग के सामानों का निर्यात किया जाता है ।

देश के अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के निर्यात का कम प्रतिशत कुछ अपरम्परागत वस्तुओं (नान ट्रेडिशनल आइटम्स) जैसे इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फिनिश्ड लेदर, प्लास्टिक गुड्स, खेल-कूद के सामान, प्रोसेस्ड फूड इत्यादि में है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन वस्तुओं का निर्यात प्रदेश से हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। यहां पर निर्यात से सम्बन्धित अवस्थापना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का पूर्व विकास नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश, पोट टाउन्स से काफी दूर स्थित है जिसके कारण यातायात में खर्च अधिक बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है ।

3—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

बाल सुधार विद्यालय, लखनऊ के शिक्षा अध्यापक श्री सत्यनारायण शुक्ल का वेतनमान

4—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजाज्ञा सं0 7057/बाइस–1338–71, दिनांक लखनऊ, दिसम्बर 12, सन् 1975 के द्वारा श्री सत्य नारायण शुक्ल, शिक्षाध्यापक को प्रशिक्षित अध्यापक का वेतनमान दिया गया ? यदि हां, तो इस विषय पर श्री सरजू प्रसाद श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, बाल सुधार विद्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांकित 8–1–80 को शासन के दिए गये तत्सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

चूंकि श्री सरजू प्रसाद श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, बाल सुधार विद्यालय, लखनऊ प्रशिक्षित, शिक्षाध्यापक की श्रेणी में नहीं आते। अतः उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1980 में की गयी प्रार्थना के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित शिक्षाध्यापक का वेतनमान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

बरेली जिले के ग्राम उधकटा नजराना का अफसरहा नदी के कटान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

5—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको जिला बरेली में तहसील नवाबगंज के ग्राम उधकटा नजराना के निवासियों श्री राम मूर्ति, गजाधर प्रसाद, अभवा प्रसाद, उमा शंकर और अनोखे लाल आदि द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 23-12-80 को मिला है जिस में ग्रामवासियों ने ग्राम को अफसरहा नदी के कटान से रोकने तथा बचाने की बात कही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर ग्राम को कटान से बचाने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर जिले के कनहर परियोजना का निर्माण

6—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के कनहर परियोजना में अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? अब तक उस पर कितना कार्य हुआ है तथा उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

7—श्री विजय सिंह—

[9वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कतिपय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-1-81 को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के किन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले शासकीय स्तर पर अनिस्तारित हैं एवं कितने वर्षों से पड़े हैं तथा क्यों ? इन मामलों में शासन के आदेश कब तक निर्गत हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के एक कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक का वेतन निर्धारण का मामला मई, 1970 से, दूसरे का अप्रैल, 1972 से तथा अन्य तीन के दिसम्बर, 1975 से शासन तथा प्रमुख अभियन्ता के बीच अनिस्तारित हैं। प्रथम दो मामले शासन स्तर पर मुख्यतया समस्त पूर्व पत्रादि न उपलब्ध हो पाने के कारण तथा शेष तीन मामले सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध न होने के कारण लम्बित हैं। इनका निस्तारण यथाशीघ्र किया जायगा।

जौनपुर-खुटहन-शाहगंज मार्ग पर रोडवेज बस के संचालन की मांग

9—श्री जंग बहादुर तथा श्री तेज बहादुर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर से खुटहन मार्ग पर एक भी सरकारी बस नहीं चलती तथा इस पर 12 प्राइवेट बस प्रति आधे-आधे घंटे पर जाती रहती हैं ? क्या सरकार जौनपुर से खुटहन पिच रोड पर सरकारी बस चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जौनपुर से खुटहन के लिए दो मार्ग हैं :—

(1) जौनपुर-खुटहन वाया खेता सराय तथा

(2) जौनपुर—मल्हनी—खुटहन—शाहगंज ।

जौनपुर–खुटहन वाया खेता सराय तक 40 कि0मी0 मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर निगम की बसों का संचालन है । जौनपुर–मल्हनी–खुटहन–शाहगंज तक 15 कि0मी0 मार्ग अराष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर प्राइवेट बसें चलती हैं । मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण इस मार्ग पर रोडवेज बस चलाना सम्भव नहीं है ।

मुरादाबाद, ग्राम नवादा के महमूदपुर रजबहारा में टूट फूट

10—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी, श्री राम हर्ष राय तथा श्री सूबेदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद, ग्राम नवादा के पास महमूदपुर रजबहा जनवरी, 1981 में टूट गया था जिससे खड़ी फसलों की बहुत बड़ी हानि हुई थी ? यदि हां, तो रजबहा टूटने का क्या कारण था तथा कृषकों को कितनी क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद के ग्राम नवादा के पास महमूदपुर रजबहा की पटरी 21-12-80 को टूटी थी जिससे 7.73 एकड़ फसल को क्षति पहुंची ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पटरी टूटने के स्थान के समीप ही पुल का निर्माण किया जा रहा था जिसके कारण नहर में लगाए गये अवरोध से रजबहा चलने पर पानी की सतह ऊंची हो जाने से रजबहा की पटरी टूट गयी । कृषकों को क्षतिपूर्ति दिए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

बाराबंकी परिवहन निगम के बस स्टेशन, प्राइवेट बस स्टेशन एवं मिनी बस स्टेशन की दूरी

11—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या परिवहन मन्त्री प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी परिवहन निगम के बस स्टेशन और जमुरिया नाला के पास प्राइवेट बस स्टेशन तथा देवां रोड पर मिनी बस, बस स्टेशन की दूरी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी परिवहन निगम के बस स्टेशन और जमुरिया नाला के पास प्राइवेट बस स्टेशन की दूरी लगभग 200 मीटर तथा बाराबंकी परिवहन निगम के बस स्टेशन से देवां रोड पर प्राइवेट मिनी बसों का अड्डा लगभग 100 मीटर है ।

12—श्री हरिवंश सहाय—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ड्रिनेज खण्ड जिला बस्ती के बेलदारों का बकाया वेतन

13—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ड्रिनेज खण्ड, जिला बस्ती के सीजनल बेलदारों के वेतन का लगभग चालीस हजार रुपया सन् 1978 ई0 में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री काशीनाथ तिवारी) के समय का बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकाए को बेलदारों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केवल 32,531·50 रुपए के मस्टर रोलों की छानबीन एवं साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । असंदिग्ध मस्टर रोलों का भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जायगा ।

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर के जिलेदार की दक्षता-रोक

14—श्री दल गंजन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, कानपुर के अधीन ऐसे कितने जिलेदार सेवारत हैं जिनकी सेवाकाल में उनके दक्षतारोक पार करने के आदेश ही नहीं दिए गये हैं और बाद सेवा निवृत्ति आदेश संख्या 5368/पी0 एफ0 दिनांक 21-12-74 द्वारा स्वीकृत देय अवशेषों के भुगतान अब भी नहीं किया गया है? क्या सरकार उन्हें देयों का शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर के अधीन केवल एक ऐसे सेवारत जिलेदार रहे हैं जिनके सेवा काल में उनकी दक्षतारोक पार करने सम्बन्धी आदेश नहीं दिए गये थे।

जिलेदार के दिनांक 14-12-72 को पूर्वाह्न में सेवा निवृत्त हो जाने के उपरान्त, अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा चैनल निर्माण खण्ड, (प्रथम) कानपुर के पत्रांक 5358/पी0 एफ0, दिनांक 21-12-74 द्वारा दिनांक 1-4-66 से देय स्वीकृत हुए थे। इनके दिनांक 1-4-66 से 24-12-66 व 19-1-70 से 13-12-72 तक की अवधि के देयों का भुगतान कर दिया गया है तथा 25-1-66 से 18-1-70 तक की अवधि के देयों का तुरन्त भुगतान कराए जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं।

मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर के मध्य सोलानी नदी बांध योजना

15—श्री मेंहदी असगर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर की सरहद में सोलानी नदी में बांध बनाने हेतु शासन के पास कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जौनपुर-आजमगढ़ एवं वाराणसी-मड़ियाहूं मार्ग का वर्गीकरण एवं श्री हाकिम सिंह के बस का परमिट

16—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में बसों का परमिट जारी करने के लिए वाराणसी—जौनपुर रोड तथा बाबतपुर से मड़ियाहूं मार्ग का वर्गीकरण स0 प0, इलाहाबाद ने सन् 1961 के पहले या बाद में किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उस वर्गीकरण की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-12 दिसम्बर, 1950 में वाराणसी, आजमगढ़ वाया जौनपुर तथा वाराणसी-मड़ियाहूं मार्गों का वर्गीकरण किया गया था, प्रश्नगत मार्ग जिनके भाग हैं। वर्गीकरण के प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

[देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 404 पर]

17—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने एक पत्र दिनांक 27-9-62 को लिख कर श्री हाकिम सिंह, वाराणसी बस नं0 यू0एस0जे0 परमिट नं0 17 एस0टी0 के मालिक से यह कहा कि वाराणसी से बाबतपुर क्रासिंग 12 मील राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने की अनुमति दी जा रही है? यदि हां, तो उस पत्र की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज) द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद को लिखा गया था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 405 पर)

गोरखपुर जिले की नारायणी शाखा नहर एवं मधुबनी शाखा नहर के सहायक अभियन्ताओं श्री विजेन्द्र सिंह एवं राघव प्रसाद शुक्ल के विरुद्ध शिकायती पत्र

18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर, नारायणी शाखा नहर निर्माण खण्ड एवं मधुबनी शाखा नहर निर्माण खण्ड के सहायक अभियन्ताओं आदि के विषय में माह अगस्त, 1980 से माह 10 जनवरी, 1981 के बीच प्रश्नकर्त्ता की कितनी शिकायत सरकारी धन के दुरुपयोग, टेकेदारी करने, कम काम पर अधिक भुगतान करने, खराब मसाले, ईंट गिट्टी आदि पर पुल-पुलिया के निर्माण ध्वस्त होने आदि की मिली है ? यदि हां, तो इन शिकायतों से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के क्या नाम हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नारायणी शाखा निर्माण के सहायक अभियन्ताओं के विषय में 5 शिकायती-पत्र प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुए। मधुबनी शाखा निर्माण खण्ड के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतों से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के नाम सर्वश्री विजेन्द्र सिंह एवं राघव प्रसाद शुक्ल हैं। शिकायती पत्रों में लगाए गये आरोपों की जांच कराई जा रही है ।

गोरखपुर जिले में नदियों के कटाव एवं बोल्डर की चट्टियों से सम्बन्धित कथित शिकायती-पत्र

19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की किन-किन नदियों से सम्बन्धित कटान स्थान पर अनियमित बोल्डर के चट्टी पर फर्जी भुगतान लेने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र, माह नवम्बर, दिसम्बर, 1980 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमाऊं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसायटी, अल्मोड़ा को बस की परमिट दिए जाने की मांग

20—श्री जसवन्त सिंह विष्ट —

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर मर्चूला, देवघाट तथा मर्चूला सैपरवाल किमगाडी खाल के लिए कुमाऊं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसायटी रानीखेत, अल्मोड़ा को अतिरिक्त परमिट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र जा रही है ।

आचार्य जुगुल किशोर कमेटी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

21—श्री बिहारी लाल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि आचार्य जुगुल किशोर कमेटी ने अपनी संस्तुतियों में विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्तुतियां की थीं ? इन संस्तुतियों के अनुरूप

विभाग का सुदृढ़ीकरण अब तक हुआ है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

आचार्य जुगुल किशोर कमेटी की अधिकांश संस्तुतियों के अनुरूप विभाग का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है।

केवल हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी (मु0), लेखाधिकारी (मु0) तथा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के पदों को समिति की संस्तुतियों के अनुरूप परिवर्तित करके उन्नत नहीं किया गया। इनके स्थान पर सहायक निदेशक के पद स्वीकृत कर दिए गये हैं।

ग्राम सिरगामऊ, जिला लखनऊ निवासी श्री हेमनाथ की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 15 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं आज स्वीकृत हुई हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

दिनांक 4 मार्च, 1981 को ग्राम सिरगामऊ, थाना मलिहाबाद निवासी श्री हेमनाथ पुत्र श्री मोती, ट्यूबवेल आपरेटर जब अपना वेतन लखनऊ से लेकर अपने घर जा रहा था तो उसी गांव के श्री मनोहर जो ट्यूबवेल आपरेटर हैं व श्री बाबू जो ग्राम कुटी, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ का निवासी है, श्री हेमनाथ को अपने ग्राम कुटी लिवा ले गए। रात में श्री हेमनाथ को गोली मार कर हत्या कर दी और सर काट कर अलग कर दिया। उसके पास से एक साइकिल दो घड़ी तथा दो सौ रुपए ले लिए। 4 दिन बाद उसका शव व सर अलग-अलग खेतों में पाया गया, जिसका पोस्टमार्टम हुआ और जिसका विवरण समाचार पत्रों में भी छपा है।

थाना मलिहाबाद के दरोगा इस हत्या के मामले को दबाना चाहते हैं और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी है। हत्यारे अभियुक्त श्री बाबू, श्री मनोहर व श्री राम औतार इत्यादि अभी घूम रहे हैं और स्वर्गीय श्री हेमनाथ के परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से उचित कार्यवाही किए जाने की आशा करता हूं।

जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकम सिंह—

महोदय, जिला पूर्ति अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर के कार्यालय में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिला पूर्ति अधिकारी ने कुछ सीमेंट डीलरों के साथ साजिश करके वैगनों द्वारा प्राप्त हुआ सीमेंट ट्रकों द्वारा प्राप्त हुआ दर्शाया जिससे लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। यह तथ्य हाल ही में प्रकाश में आया है। इसी प्रकार भारी घूस लेकर अनियमित रूप से सीमेंट का वितरण किया गया एवं उपभोक्ताओं की कोई सूची कार्यालय में नहीं रखी गयी। समस्त जनपद में जिला पूर्ति कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारी असन्तोष व्याप्त है। माह सितम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक बारबार सरकार को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]

आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि जिला पूर्ति कार्यालय में हुए घोटाला एवं कार्य-प्रणाली की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

मैनपुरी जनपद में वर्षा, तूफान एवं ओला-वृष्टि से फसल को क्षति तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में यह नितान्त लोक महत्व के प्रश्न व समस्या को लाना चाहता हूं।

मान्यवर, मैनपुरी जनपद में दिनांक 30 मार्च, 1981 को ऐसी वर्षा, तूफान व ओला वृष्टि का प्रकोप हुआ कि सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी। मैनपुरी जनपद में पिछली तीन फसलें भी नष्ट हो चुकी थीं और सम्पूर्ण जनता भुखमरी की शिकार हो गयी थी। यही फसल किसान व मजदूर का सहारा थी जिसे देखकर वह जीवित था परन्तु इस प्राकृतिक आपदा ने उसके हाथ से रोटी छीन ली। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसान भाग कर लखनऊ आए हैं और सूचना दे रहे हैं कि वृक्ष, बिजली के खम्भे आदि भयंकर तूफान में गिर गये, करोड़ों रुपए की हानि तार की लाइनें नष्ट हो जाने से हुई है और किसान की फसल की क्षति का तो कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। गांव-गांव किसान पागल हो रहे हैं। महिलाएं बिलख-बिलख कर विलाप कर रहीं हैं।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि तत्काल किसी राज्य स्तरीय अधिकारी को भेजकर रिपोर्ट मंगायें और अपेक्षित सहायता देने की तत्वरित कार्यवाही करें।

श्रीमन्, रबी की फसल नष्ट होने से प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के चारे का भी अभूतपूर्व संकट आयेगा। अतः यह प्रबन्ध करना भी सरकार का कर्तव्य है।

मान्यवर, आप निर्देश दें कि उपर्युक्त कार्यवाही सरकार करे जिससे किसानों, मजदूरों के परिवारों की जीवन रक्षा हो सके।

आगरा मेडिकल कालेज में डाक्टरों, प्रवक्ताओं, विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्य की आपसी गुटबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज के वरिष्ठ डाक्टर, प्रवक्ताओं, विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्य की आपसी गुटबन्दी और पारस्परिक संघर्ष की स्थिति के कारण लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। वहां की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गयी है। प्रदेश सरकार ने कालेज को बन्द करने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर समस्या को और उलझा दिया है। कालेज को बन्द कर दिए जाने और छात्रावासों को खाली कराए जाने के कारण मेडिकल कालेज के प्रांगण में भारी असन्तोष, क्षोभ और विद्रोह फैला हुआ है, जिसकी लपटें धीरे-धीरे कर सम्पूर्ण आगरा में फैली जा रही हैं।

मेडिकल कालेज के प्रांगण में प्रारम्भ से ही सरासर अन्धेरगर्दी, अनियमिततायें एवं पार्टीबन्दी में दुराग्रह पूर्ण कार्य हो रहे हैं। इस ओर बार-बार शासन का ध्यान आकर्षित किया गया और स्थिति की गहराई से जांच कराने की मांग की गयी, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं रहा, जो भी जांच बैठाई गयी वह केवल औपचारिकता निभाने मात्र की थी और उसमें सर्वथा झूठी व प्रवंचना पूर्ण आख्याएं सदन को प्रस्तुत कीं। यदि इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही सच्चाई एवं ईमानदारी बर्ती गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इस कालेज में बरती जाने वाली अनियमितताओं और अन्धेरगर्दी की सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय वरिष्ठ और दोषी डाक्टरों का तुरन्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थानान्तरण किया जाय तथा कालेज को खोलकर छात्रावासों में छात्रों के रहने के आदेश दिए जायं।

फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील द्वारा वितरित गृह अनुदान में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सरकार तथा सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के द्वारा बाढ़ के दौरान सरकार द्वारा 1980 में गृह अनुदान वितरण में घोर अनियमितताओं एवं धपलेबाजी करके गृह अनुदान आदि करीब लाखों रुपया अवैध रूप से तहसीलदार ने अर्जित किया है। अधिकांशतः मृतक एवं जिसके मकान नहीं हैं तथा गिरे नहीं हैं, की फर्जी लिस्ट बनवाकर अपने कुछ लोगों द्वारा रुपया निकलवा लिया जैसे ग्राम भुवालपुर, करमपुर, बरसावा, गिरधरामऊ, ब्योहट, उतरेठू, डुहिया, साबुकपुर, दौलतपुर आदि ग्रामों में काफी धपलेबाजी की गयी। उपरोक्त अनियमितताओं की जांच परगनाधिकारी द्वारा की गयी जिसमें एक लेखपाल को निलम्बित किया जा चुका है, परन्तु तहसीलदार तथा नायब के विरुद्ध कोई कार्यवाही राजनीतिक दबाव के कारण नहीं हुई। गृह अनुदान पात्र व्यक्तियों द्वारा अनुदान मांगने पर आए दिन तहसीलदार द्वारा शराब के नशे में तथा रिवाल्वर के बल पर गालियां दी जा रही हैं तथा इसी तरीके से डीजल वितरण में फर्जी नामों पर परमिट बनाकर खुलेआम बाजारों में डीजल ब्लैक कराया गया जिससे तहसीलदार ने करीब 40 हजार रुपया अर्जित किया। उपरोक्त के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को तहसीलदार द्वारा किए गये अनियमितताओं की जांच हेतु लिखा गया परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी जिससे जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त तहसीलदार को अविलम्ब निलम्बित करके समस्त तथ्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराई जाय।

उत्तर प्रदेश शिक्षण माध्यम विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश शिक्षण माध्यम विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1981 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 31 मार्च, 1981 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हो गया है।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्रीमती गौरी देवी, सदस्या, विधान सभा ने दिनांक 23 मार्च, 1981 को जिला-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

धिकारी, गोरखपुर (जिसका नाम उन्होंने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1981 की अनुपूरक सूचना के माध्यम से डा0 सूर्य प्रसाद बताया है) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्या का कहना है कि माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा 12-3-1981 को जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर को एक मामले में जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजे गए एक टेलेक्स के बारे में जब उन्होंने 19 मार्च, 1981 को उक्त जिलाधिकारी से फोन पर सम्पर्क किया तो वह बिगड़ गये और बोले कि उनके पास कोई टलेक्स नहीं आया था। जब माननीय श्रीमती गौरी देवी अपने क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ उसकी प्रतिलिपि दिखाने जिलाधिकारी के घर पहुंचीं तो उस प्रतिलिपि को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा :—

"मैं नेतागीरी नहीं पसन्द करता। अभी बन्द करवा दूंगा।"

माननीय सदस्या का आरोप है कि उन्होंने यह भी कहा कि—

"आप एम0एल0ए0 लोग रोज यह खुराफात असेम्बली में किया करते हैं मैं इससे डरता नहीं। आप लोगों का यह पेशा बन गया है।"

और उसके बाद उन्होंने फोन करके पुलिस बुला लिया और स्वयं चले गये। श्रीमती गौरी देवी का कहना है कि उक्त जिलाधिकारी ने ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि माननीय सदस्या डर जायं और आगे विधान सभा में उक्त जिलाधिकारी की प्रशासनिक गलतियों को उजागर न करें।

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1981 के पत्र में यह सूचित किया है कि प्रश्नगत सूचना में दिए गये तथ्यों के सम्बन्ध में आयुक्त गोरखपुर से जांच कराई गयी और उन्होंने अपने पत्र के साथ उक्त जांच की आख्या की प्रतिलिपि मूल रूप से सलग्नकों के साथ मुझे भेजी है। आयुक्त, गोरखपुर ने अपनी आख्या के साथ जिलाधिकारी के एतद्विषयक स्पष्टीकरण को संलग्नकों (संगत लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों) सहित प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व विधायक श्री बाबू लाल विद्यार्थी के इस सम्बन्ध में दिए गये एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित बयान की प्रतिलिपि भी उक्त जांच आख्या के साथ संलग्न की गयी है। आयुक्त की जांच के अनुसार जिन निष्कर्षों पर वह प्रश्नगत मामले में पहुंचे हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(1) जिलाधिकारी के अनुसार उन्होंने "माननीय विधायिका को 19-3-1981 को टेलीफोन पर बता दिया था कि मुझे ठीक याद नहीं कि उक्त टेलेक्स आदेश कार्यालय में प्राप्त हुआ या नहीं। उन्होंने उनसे यह भी निवेदन किया था कि यदि वह टेलेक्स मुझे प्राप्त हुआ होगा तो उस पर कार्यवाही अवश्य की जा रही होगी।" टेलीफोन पर हुई बातचीत के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी करना सम्भव नहीं प्रतीत होता ;

(2) जिलाधिकारी के अनुसार, जब वह उस दिन लगभग 10 बजे तहसील निरीक्षण के लिए गाड़ी पर सवार होकर गेट के बाहर निकले तो माननीय विधायिका अपने कुछ साथियों के साथ आयीं और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने गाड़ी रोक कर उनसे बातचीत की और टेलेक्स आदेश को देखकर अपने पास गाड़ी में रख लिया। राहत सहायता वितरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने उन्हें समझाया कि वितरण पात्र व्यक्तियों को ही किया जायगा। जिलाधिकारी के अनुसार माननीय विधायिका के साथी श्री श्यामजी तिवारी बहुत बिगड़ उठे और क्रोधावेश में उटपटांग बातें कहने लगे तब जिलाधिकारी ने उन्हें सचेत किया कि यदि वे इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो उन्हें बाध्य होकर पुलिस बुलानी पड़ेगी। माननीय विधायिका ने भी श्री श्याम जी तिवारी की सभी बातों का समर्थन किया और कहा कि उनके साथ उन्हें भी पुलिस से पकड़वा दें। जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि वे एक सम्मानित महिला हैं और उनके लिए पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु उनके साथी श्यामजी तिवारी का व्यवहार उचित नहीं है। इसके बाद जिलाधिकारी अपनी गाड़ी में तहसील निरीक्षण के लिए रवाना हो गये ;

(3) जिलाधिकारी ने जो विवरण प्रस्तुत किया है उससे यह प्रकट होता है कि माननीय विधायिका ऐसे व्यक्तियों को सहायता दिए जाने के लिए जोर डाल रही थीं जो नियमानुसार पात्रता की परिधि में नहीं आते थे ;

(4) जिलाधिकारी के स्पष्टीकरण के एक संलग्नक पर पुलिस उपाधीक्षक (अभि) द्वारा प्रस्तुत श्री श्यामजी तिवारी की गतिविधियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए आयुक्त का कहना है कि भूतकाल में इनकी इन गतिविधियों को देखते हुए इस बात की प्रबल सम्भावना जान पड़ती है कि दिनांक 19-3-81 को माननीय विधायिका के साथ जिलाधिकारी के निवास पर जाकर उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया हो ;

(5) भूतपूर्व विधायक श्री बाबू लाल विद्यार्थी के बयान से भी यह प्रकट होता है कि जिलाधिकारी ने माननीय विधायिका से नम्रतापूर्वक बातचीत की थी और पुलिस बुलाने तथा गिरफ्तार कराने की बात श्री श्यामजी तिवारी के लिए ही हुई थी; तथा

(6) उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जिलाधिकारी ने माननीय विधायिका के साथ डांट फटकार तथा अपमानपूर्वक व्यवहार नहीं किया।

इस प्रकार मामले में शिकायत करने वाली माननीया सदस्या अर्थात् श्रीमती गौरी देवी के पक्ष को और शासन की ओर से कराई गई जांच के फलस्वरूप डाक्टर सूर्य प्रसाद, जिलाधिकारी, गोरखपुर के सम्बन्ध में शासन के पक्ष को मैंने संक्षेप में सदन को सूचित कर दिया है। इस सम्बन्ध में अपना निर्णय लेने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों के विचार भी सुनना चाहूंगा।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, बिल्कुल गलत और झूठी बात है। मैं राजस्व सचिव के 12 तारीख के टेलेक्स की एक प्रति को लेकर गयी थी। टेलीफोन पर मेरी जिलाधिकारी से बात हुई कि राजस्व सचिव का टेलेक्स आपके पास आया है। उस पर क्या कार्यवाही किया? जिलाधिकारी इस पर बोला कि मेरे पास कोई टेलेक्स नहीं आया है, मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में और टेलीफोन को रख दिया। मेरे क्षेत्र के वहां 10 आदमी बैठे थे उनको लेकर हम गयीं और हमने उनसे कहा कि आप बतायें कि यह टेलेक्स किस तारीख का है और आपके पास आया है। इस पर जिलाधिकारी बोला कि हमारे पास कोई टेलेक्स नहीं आया है और कहा कि नेतागीरी हम नहीं पसन्द करते हैं। विधायक का काम खुराफात करना है, और असेम्बली में सवाल उठाते हैं तो उससे हम डरते नहीं हैं। हम तुमको बन्द करवा देंगे और फिर टेलीफोन किया और पुलिस को बुलवा लिया। जब हम जिद करके उसके निवास पर बैठ गयीं और कहा कि आपकी हस्ती और पुलिस की हस्ती देखें कि बन्द करवा दोगे। तो जिलाधिकारी गाड़ी से निकल गया लेकिन मैं अहाते पर बैठी रही। उसके बाद कैन्ट के दरोगा आ गये। हमने कहा कि आप हमको बन्द करें, हम राजनीति में आ गई हैं तो हमको कोई शर्म नहीं है जेल जाने में। आप ले चलें।

हमने कहा हमको शर्म नहीं है हमको ले चलिए वह कुछ नहीं बोले। मैं कुछ देर तक वहां बैठी रही। फिर चली आई। मान्यवर, मैंने बड़ेवरी बाबा का सवाल विधान सभा में उठाया था, गेहूं में भूसा मिलाकर बांटा जा रहा था। उसमें हम गयीं, हमने देखा, नायब तहसीलदार, लेखपाल 2-4 आदमी वहां थे। लोगों ने हमसे कहा विधायक जी देखिए भूसा मिला गेहूं तो जानवर भी नहीं पूछेगा आदमी कैसे खाएगा? हमने 28 बोरा गेहूं पकड़वाकर कैन्ट थाने में जमा करवा दिया। यह मेरी इज्जत नहीं है सदन की है, सदन के सभी सदस्यों की इज्जत है। आप जिलाधिकारी को मान्यवर, आप निलम्बित करायें। मान्यवर, उसकी बीबी तस्करी में नौतनवा में पकड़ी गयी उसका सामान हिरासत में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह विशेषाधिकार का मामला प्रागदर्शन में शुद्ध रूप से बनता है। टेलीफोन पर बातचीत हुई इसको उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में स्वीकारा है. दूसरी बात वह स्वीकार करते है कि टेलेक्स दिखलाने के लिए घर पहुंची, माननीय सदस्या से बातचीत हुई इतनी बात वह इंकार करते है। मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य के साथ कोई न कोई 2—4 आदमी रहते हैं और जब वह कहीं किसी काम से जायं और अधिकारी विधायक के साथ के आदमी को डांटें तो मै समझता हूं कि यह विधायक का अपमान होता है। उन्होंने इनका अपमान किया जब वह एक विधायक के नाते विधान सभा की कार्यवाही तथा विधायक की हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने गयी थीं। जो सूची दे रही थीं सुविधा प्राप्त करने वालों की यह तो जो मुकामी अधिकारी थे एस0डी0एम0, कानूनगो, तहसीलदार जो राहत बांटते है वह इसको देखते कि राहत पाने के जो पात्र हैं उस कसौटी पर यह उतरते है या नहीं। जिस जिलाधिकारी को टेलेक्स का पता नहीं है वह क्या पूरे जिले की पंजिका अपने पास रखेगा कि कौन पात्र है या कौन नहीं है ? इन बातों को देखते हुए यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि यह प्रागदर्शन में मामला बनता है। यह न केवल एक विधायक, सदन की सदस्या हैं बल्कि एक महिला सदस्य हैं। विधायक के साथ-साथ एक महिला के विशेषाधिकार का मामला है इसलिए जिलाधिकारी को इस आदरणीय सदन के सामने बुलाकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है। इसमें बहुत ज्यादा छान-बीन की आवश्यकता नहीं है। यह सदन कभी-कभी कोर्ट के रूप में काम करता है और विशेषाधिकार के मामलों में न्यायालय का काम हो जाता है। आप इसको विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दें। उसकी आपातकालीन बैठक हो जाय। विशेषाधिकार समिति कल अपना प्रतिवेदन दे दे और 4 तारीख को सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी कर दें। यह शुद्ध रूप से प्रागदर्शन का मामला बनता है।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, बड़े खेद की बात है जो प्रश्न विशेषाधिकार का माननीय सदन के सामने है, जैसा माननीय सदस्या गौरी देवी ने अपनी बातें कहीं। स्पष्ट है उनके क्षेत्र में बाढ़ राहत में गेहूं वगैरह जो चीज बट रही थी उससे सम्बन्धित अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थीं। लेकिन यदि उसमें कोई गड़बड़ घुटाला होता है तो सभी माननीय सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री का और सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं हमारे क्षेत्र में जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है और हम अपने फर्ज को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के नाम उस सूची में शामिल कर लें। इस सम्बन्ध में 13—3—79 को टेलेक्स गया था। 19 तारीख को इस आशा में कि वह पहुंच जायेगा, टेलेक्स के माने हैं फास्टेस्ट सर्विस। 13 या 14 तारीख को वह सुबह पहुंच जायेगा यह आशा थी। और उसी के सम्बन्ध में टेलीफोन पर बातचीत हुई। जो उन्होंने जवाब दिया उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको सरकार के आदेशों की पूर्ति करने की कितनी दिलचस्पी थी या अवहेलना करने का कितना शौक था। 7 दिन के बाद यह जवाब दिया कि मेरे ध्यान में नहीं है, यदि टेलेक्स आया होगा तो कार्यवाही हो रही होगी। यह उनका जवाब आया, तो यह सरकारी टेलेक्स की हैसियत है उनके नजदीक। दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि माननीय विधायिका अपने कुछ लोगों को राहत दिलवाने के कार्यों में जोर डाल रही थीं।

मैं आपसे और माननीय सदन से पूछना चाहता हूं कि आखिर हम लोग यहां किस काम के लिए बैठे हैं ? अगर लोकल तरीके से सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई गलत काम करते हैं तो उसको सही तरीके से काम कराने के लिए जोर डालें वहां पर, और जो कुछ हमारी शक्तियां सदन के अन्दर हैं आपके द्वारा, नियमों के आधार पर उसके अनुसार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जोर डालें, यही हमारे काम हैं। माननीय सदस्या अपना फर्ज पूरा करने के लिए उनके पास गयीं और जो उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरह से कहा कि हम पकड़वा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह सारी चीजें जो हैं इनसे माननीय सदस्या और माननीय सदन का अपमान हुआ। मुख्य मन्त्री जी आपके शासन के आदेशों की भी अवहेलना हुई। 12 तारीख को टेलेक्स गया और 19 तारीख को कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। टेलेक्स की कुछ अहमियत होती है। इस तरफ आपको ध्यान रखने की जरूरत ह। इसलिए अन्त में मैं यह समझता हूं कि माननीय विधायिका के जो अधिकार थे उनकी अवहेलना हुई ह और इस माननीय सदन के अधिकारों की अवहेलना हुई है। माननीय विधायिका ने खड़ेश्वरी बाबा और गल्ले में भूसा मिला होने के सम्बन्ध में प्रश्न रखे इसलिए उनको परेशान किया गया। इसलिए यह कन्टेम्प्ट हुआ है और शासन के आदेशों की भी अवहेलना हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने कहा इस मामले में गहराई से जाने की बात नहीं है, प्रिविलेज कमेटी को भेजिए। एक या दो दिन के अन्दर, ऐसा टेलेक्स जाय कि वह यह न समझें कि 12 तारीख का 19 तारीख को आया होगा तो कार्यवाही हो रही होगी। तो ऐसा टेलेक्स जाय और कल सदन की कमेटी के सामने पेश हों और रिपोर्ट आ जाय। सदन उठने से पहले उनको सदन में बुलाकर, सदन निर्णय ले, यही मेरी प्रार्थना है।

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में सम्मानित सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कल ही गौरी देवी जी से बातचीत हुई और उसके पहले भी मैंने आश्वस्त किया था। रियासत हुसैन साहब थे, उन्होंने यह कहा था कि वहां के जिलाधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाय। मैंने कह दिया कि वह हो जायगा, जैसी उनकी इच्छा है सब हो जायेगा। जो उनके बारे में कम्प्लेंट थी, तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया जायेगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

थोड़ा सा विलम्ब फाइनेंशियल इयर का एण्ड होने की वजह से हुआ। इससे मैं समझता हूं कि सदन सन्तुष्ट होगा और जो शिकायतें हैं, जांच होगी और प्रशासनिक कार्यवाही होगी।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह कहा गया कि उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यह कोई दण्ड नहीं है। जब आगरा के कमिश्नर का मामला इसी तरह का आया था, तब उस समय शासन की ओर से कहा गया था कि स्थानान्तरण कोई दण्ड नहीं है। हम तो मान्यवर, यह कहना चाहते हैं कि स्थानान्तरण करना आपका प्रशासनिक मामला था, वह किया आपने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जो सदन के अपमान का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने सदन का अपमान किया, उसी तरह से हम को भी उन्हें दण्ड देना चाहिए और इस मामले को शीघ्रता से निर्णय के लिए प्रिविलेज कमेटी को दे दिया जाय।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अब बैठिए, इस पर काफी सुन लिया गया और बहुत सी मूल बातें सामने आ

(शोर)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले में प्रशासनिक दृष्टि से यह कार्यवाही की

---

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

यह मान्यवर न केवल आदरणीय सदस्या, श्रीमती गौरी देवी का ही अपमान का मामला नहीं है, मुझे एक नई जानकारी श्रीमती किशोरी शुक्ला जी ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेट्री और रेवेन्यू सेक्रेट्री का टेलेक्स लेकर उसे अधिकारी के पास गयीं तो उसने उनको भी फटकार दिया और कहा कि मैं भी किसी कमिश्नर से कम नहीं हूं और इन टेलेक्स वगैरह की कोई परवाह नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं, यह बात सामने आ चुकी है। इसको ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। आप कृपया बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह हमारा सब्मीशन है कि यह अधिकारी जानबूझ कर इस तरह का व्यवहार करता है और वह इस बात का अभ्यस्त है कि माननीय सदन की अवहेलना करे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जितनी भी शिकायतें इस तरह की होंगी, उन सब की जांच करायेंगे ।

(शोर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित एक पत्र माननीया गौरी देवी द्वारा मुख्य मन्त्री जी को भेजा जा चुका है, जिसमें लगभग 10 शिकायतें थीं। इसी बीच कई माननीय सदस्यों---श्री हरिद्वार पाण्डेय, श्री हरिकेश बहादुर व अन्य माननीय सदस्य जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपमानित हुए ।

श्री अध्यक्ष---

इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप कृपया बैठें। माननीय सदस्या, श्रीमती गौरी देवी के सम्बन्ध में, जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था। इस पर पक्ष और विपक्ष ने जो बातें रखीं, उसको और जो माननीय सदस्या ने जो इस सम्बन्ध में सुनाना चाहा, सुनाया। इसी बीच में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक सूचना दी कि उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया और उसके सम्बन्ध में जितनी भी शिकायतें होंगी, उस की वह जांच करायेंगे, इसका आश्वासन उन्होंने दिया ।

(शोर)

कृपया शान्त रहें, जितनी भी बातें सामने आयीं, उन सबको मैंने बहुत ध्यान से सुना। माननीय तिवारी जी आप शान्त रहें। यदुनाथ सिंह जी 40 बार जेल जा चुके हैं।

मैंने आपकी सारी बातें सुनीं और मैंने जो भी उत्तर आया था और जो आपने कहा था उसको गौर से सुना। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरह से इस सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया, उसको मैं महत्व देता हूं, उसकी मैं इज्जत करता हूं। माननीय सदन के सम्बन्ध में आपने जो बात जाहिर की, जितने आपने यहां पर प्रश्न उठाए हैं, वह इससे अलग हैं, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, सदन में विशेषाधिकार का मामला है। सदन को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का जो अधिकार है उसके सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं विचार करके कल इस पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'---

एक मिनट मैं चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना दे दीजिए लिखित रूप में, कि किस बारे में आप समय लेना चाहते हैं ?

अधिष्ठाता मण्डल के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा

कार्य-संचालन नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिए अधिष्ठाता मण्डल में मैंने निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्देशित किया है :-

1—श्री बल्देव सिंह आर्य (उत्तर काशी)
2—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)
3—श्री धर्म सिंह (बुलन्दशहर)
4—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव)
5—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (फर्रुखाबाद)
6—श्री केशरी प्रसाद (जौनपुर)
7—श्रीमती सुनीता चौहान (रायबरेली)
8—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)
9—श्री हुकम सिंह (मुजफ्फरनगर)
10—श्री भीखा लाल (उन्नाव)

डाकू फूलन देवी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

श्रीमन्, कल रात मैं जालौन जिले में था, हमारी पुलिस बड़ी बहादुरी से डकैतों का मुकाबला कर रही थी। अखबारों में आया है कि फूलन देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

किस प्रकिया के अन्तर्गत आप यह कह रहे हैं, यह सब अखबारों में आ चुका है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

मैं मुख्य मन्त्री जी से बयान चाहता हूं कि क्या सही में फूलन देवी गिरफ्तार हो चुकी हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, ऐसी चीजों में बयान नहीं परिणाम हम लोग देते हैं।

(हंसी)

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के लिए समिति गठित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के काम चल रहे हैं। इसमें सम्पर्क मार्ग, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की योजना व सामाजिक वनीकरण इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। शासन ने जन-प्रतिनिधियों से और अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का विचार किया है। इस उद्देश्य से माननीय विधायक के संयोजन में एक समिति गठित करने का निश्चय किया है जिसमें उस ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी सदस्य होंगे। इस समिति को ब्लाक के सम्पर्क मार्ग और आन्तरिक मार्ग के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपया आवंटित किया जायगा। योजना का चयन माननीय विधायकगण करेंगे और यह कार्य उन्हीं मार्गों पर होगा जिन पर खाद्यान्न योजना में पहले से कार्य हो चुका है जिसमें कम से कम 4 गांव लाभान्वित होंगे। इस धनराशि को ब्लाक स्तर पर इन कार्यों के लिए अलग से इंगित कर दिया जायगा।

मान्यवर, मैं यह भी बता दूं कि इस योजना में 8 करोड़ 85 लाख रुपए इंगित किए गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981†

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

†दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन की आज 5 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। पहली सूचना सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, हुकम सिंह, राधे श्याम पटेल, शंकर सिंह, विजय सिंह राना, कुबेर भण्डारी की रजा टेक्सटाइल मिल, कानपुर में गत 24 नवम्बर, 1980 से लगभग 3300 मजदूरों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा मिल मालिक एवं स्थानीय पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से मजदूरों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करने एवं उनको भूखों मारने के विषय में है। दूसरी सूचना है श्री मोहन सिंह की—दिनांक 28-3-1981 को विधान भवन रक्षक श्री बलराम गौड़ जब लगभग 9 बजे अपनी ड्यूटी पर आ रहे थे हसनगंज पुलिस द्वारा उनकी बन्दूक छीनने तथा उसे जेल भेज देने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री मित्र सेन और मसरूर जाफरी की है,—दिनांक 5 फरवरी, 1981 को सी0बी0 आई0 द्वारा गाजियाबाद में मारे गए छापों में लाखों रुपए के चरस और अफीम बरामद किए जाने तथा अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना है, श्री सूबेदार सिंह की—दिनांक 31 मार्च, 1981 को मैनपुरी जनपद तथा विशेषतया भोगांव तहसील में भीषण ओला-वृष्टि के परिणामस्वरूप किसानों की 75 प्रतिशत फसल नष्ट होने, पशु-पक्षियों के मरने तथा आहत होने के सम्बन्ध में और पांचवीं श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की दिनांक 31-3-1981 को वाराणसी हिन्दी विश्वविद्यालय के परिसर में सर सुन्दर लाल अस्पताल के जूनियर डाक्टरों एवं गैर मेडिकल छात्रों के बीच हुए संघर्ष में लगभग 40 डाक्टरों के घायल होने के सम्बन्ध में है। कार्य-स्थगन के लिए मैंने सभी अस्वीकार कीं ।

*श्री हुकम सिंह—

इस पर मान्यवर, 2 मिनट सुन लें। 1980 से हड़ताल चल रही है और 33 सौ मजदूर बाहर पड़े हैं और आज सरकार ने यह किया है कि जहां वे बस रहे हैं उस आबादी का घेराव कर लिया है और 33 सौ मजदूरों का ही आज सवाल नहीं है उनके परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं। बार-बार कहने पर भी सरकार ने इसका कोई निराकरण नहीं किया है। मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं और रामपुर मिल बन्द है अतः मेरा आग्रह है कि कम से कम आश्वासन दे दें कि कितने समय के अन्दर मिल चालू करा देंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

लगभग साढ़े 4 महीने हो गये, मिल बन्द पड़ी है। और साढ़े तीन हजार मजदूर भूखों मर रहा है। कई बार इस सदन मे मामला उठाने की कोशिश की है। मुख्य मन्त्री जी से भी बात हुई थी कि रामपुर मिल बन्द है, कई बार रामपुर मन्त्री महोदय जी जा चुके हैं। लेकिन कोई हल सामने नहीं आ सका है। मान्यवर, वहां का एम0पी0, जो कांग्रेस (आई) का मेम्बर और नवाबजादा है, मुझ से जातीय मुखालिफत रखता है। जिसके नतीजे में 33 सौ मजदूरों को भूखों मारा जा रहा है। मुखालिफत मुझसे है न कि गरीब मजदूरों से। आज तक इस शहर में कोई इन बदनसीबों की बात कहने वाला नहीं था क्या यही मेरी गल्ती है कि 33 साल तक आपके लोग जीतते चले आए वह तो बिके रहे अब मैंने उनकी आवाज उठाई तो इस तरह कुचला जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर मुख्य मन्त्री जी पार्लियामेंट के मेम्बर का, जोकि कांग्रेस का है, इतना समर्थन करेंगे जो मजदूरों के खिलाफ दीवार बना हुआ है तो कैसे गाड़ी चलेगी, अगर लोकदल का एम0एल0ए0 इसको लेकर चलाए तो ऐसा नहीं होगा । रामपुर रजा टेक्सटाइल्स के वर्कर्स की खबर अखबारों में छपी है । 'पैट्रियाट' अखबार के पहले पन्ने पर पूरी रिपोर्ट है कि रामपुर में मजदूर भुखमरी का शिकार हैं इसे देखिए । हैरत है, आप पर कोई असर नहीं है । मैं हरगिज मजदूरों की कास्ट पर सियासत लड़ाना नहीं चाहता । अगर यही जिद है तो मुख्य मन्त्री जी करिए, मैं भरे सदन में एलान करता हूं और मजदूरों के हक में मैं पहले इस्तीफा देता हूं फिर आप इसे हल करा दीजिए । अपने अन्दर इतनी अखलाकी साख पदा करिए ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मिल मजदूरों के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है वह माननीय सदस्य भी जानते हैं । मोदी मिल की समस्या को हल किया गया । वहां मजदूरों का 15 रु0 बढ़ोत्तरी किया गया और 14 परसेंट बोनस भी दिलाया गया । इसी प्रकार कानपुर में जे0के0 रेयान, जे0के0 आयरन और जे0के0 टेक्सटाइल्स के बारे में भी बात हुई है । इस सम्बन्ध में आप यह आश्वासन रखिए कि रजा टेक्सटाइल्स के मजदूरों का पूरा हित रखकर और जो दबाव होगा वह मजदूरों का होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

जो विषय विचाराधीन है और माननीय आजम खां ने जैसा कहा उसी के सम्बन्ध में यह चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं उस मिल का मसला अपने माध्यम से तय करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य को, आपको सूचना देता हूं कि इसी 10 दिन के अन्दर अपने स्तर पर से एक मीटिंग बुलाई भी है, इस सम्बन्ध में ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायें । आप कृपया बैठ जायें । मैं कई बार कह चुका हूं कि आप बैठ जायें । यह कोई परम्परा नहीं बनाना है कि इस तरह से कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करूं ।

(श्री मित्रसेन तथा श्री मसरूर जाफरी एक साथ बोलते रहे ।)

(श्री मसरूर जाफरी सदन से उठकर चले गए ।)

काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को अविलम्ब रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प

(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा जो संकल्प 29-8-1980 को प्रस्तुत किया गया और इस पर 19-9-1980 तथा 9-10-1980 को चर्चा हुई तथा निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया इसमें करीब 3 घंटा 51 मिनट चर्चा हो चुकी है । इसमें माननीय रियासत हुसैन, मा0 राजेन्द्र त्रिपाठी, मा0 ओम प्रकाश रिछारिया, मा0 मित्रसेन, मा0 गोपीनाथ वर्मा, मा0 राज कुमार राय, मा0 दूध नाथ राजभर, मा0 राम आसरे वर्मा, मा0 धनीराम वर्मा, मा0 भोला पाण्डेय, मा0 राम नरेश शुक्ल, मा0 मुहम्मद आजम खां, मा0 गौरी शंकर भैया, मा0 सुनील शास्त्री, मा0 श्याम लाल बाजपेयी, मा0 कुबेर भण्डारी, मा0 अकबाल हुसैन, मा0 कैलाश टण्डन, मा0 नरेश चन्द्र, मा0 जसवन्त सिंह बिष्ट, मा0 धरम पाल, मा0 नरेन्द्र सिंह, मा0 प्रभु नारायण सिंह, डा0 बृज किशोर मिश्रा, मा0 जटा शंकर सिंह, मा0 विजय सिंह राना, मा0 गोरे लाल शाक्य, मा0 प्रवीन कुमार शर्मा, मा0 सत्य पाल सिंह, मा0 काशी नाथ सिंह, मा0 राम स्वरूप निम, मा0 प्रिय दर्शी जेतली, मा0 खैरुल बशर,

---

†दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 की कार्यवाही से ।

[श्री अध्यक्ष]

मा0 विमल प्रसाद तिवारी, मा0 जैराज गौतम, मा0 दामोदर शर्मा, मा0 किरन पाल सिंह, मा0 लोक मणि, मा0 मसरूर जाफरी बोल चुके हैं। इस तरह इसमें काफी समय बहस हो चुकी है, काफी लोगों ने भाग लिया है। इसलिए इस चर्चा को कम से कम चलायें ताकि और भी संकल्प आ सकें।

सदन के सदस्यों को बंटे निमन्त्रण कार्ड के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जो भी इस आदरणीय सदन में साहित्य बांटा जाता है आपके संज्ञान में होता ह तथा सचिव के संज्ञान में होता है। हम लोगों को अभी एक निमन्त्रण महामूर्ख सम्मेलन का मिला है जिसमें कुदर्शनाभिलाषी उलूक दम्पत्ति श्री लोकपति त्रिपाठी, श्रीमती कैलाश टण्डन, समधी एवं समधीन प्रो0 वासुदेव सिंह, श्रीमती अम्मार रिजवी। इसमें कहा गया है कि भारत पिता लार्ड संविधान तथा इंडिया माता डिमोक्रेसी जी की अवैध अनुकम्पा से चिरंजीवी पं0 उर्मिला अग्निहोत्री (विधायक) का दमड़ी भर दहेज लिए बिना फोकटिया परिणय सस्कार. . . .

एक सदस्य—

कहां से मिल गया आपको यह ? पहली अप्रैल है, इस का ख्याल रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

जहां से यह आपको मिला है, किसी संस्था से आपने इसे प्राप्त किया हो, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और न मैंने इस को बांटा है।

(हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मेरा एक निवेदन है। यह जो कार्ड बंटा है इसका स्वागत इसकी वजह से हो रहा है कि इसके पहले सफे में इनकी तस्वीर छापी गयी है। माननीय मोहन सिंह जी की।

श्री मोहन सिंह—

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अम्मार साहब ने अपना सेक्स परिवर्तित कर लिया। इसलिए मैंने यह कहा।

काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को अविलम्ब रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

यह जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का संकल्प है. . . .

श्री रियासत हुसैन—

इसमें अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ भाषण हो जाता तो कुछ निष्कर्ष निकल आता। मन्त्री जी बैठे हैं उनकी तरफ से कोई. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे।

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)—

यह जो प्रस्ताव है गुप्त जी का कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सरकार काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को, जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उपयुक्त समझे, अविलम्ब बेरोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे, इसे स्वीकार अभी नहीं किया गया है।

श्री मोहन सिंह—

पहली अप्रैल है, सक्षम हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, हमारी अपील भी बेकार गयी।

श्री अध्यक्ष—

उनकी तरफ से उत्तर आ गया, आपकी तरफ से उत्तर देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सरकार काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को, जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उपयुक्त समझे, अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन को एक अलग जिला बनाए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

(1 बजकर 4 मिनट)

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश का हैन्डलूम और पावरलूम का सबसे बड़ा केन्द्र है, के नाम से आजमगढ़ जिले के पूर्वी भाग और बलिया जिले और गाजीपुर जिले के वह क्षेत्र जो मऊनाथ भंजन से लगे हुए हैं, को मिलाकर एक नये जिले का निर्माण किया जाय ।"

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुनीता चौहान पीठासीन हुयीं ।)

मान्यवर, मैंने यह संकल्प आजमगढ़ जिले के माननीय सदस्यों के आग्रह पर प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि हैन्डलूम और पावरलूम का सबसे बड़ा केन्द्र मऊनाथभंजन है। मान्यवर, जो पूरे जिले आजमगढ़ का राजस्व होता है उसका आधा राजस्व केवल मऊनाथ भंजन से प्राप्त होता हैं। उसके अगल-बगल के जो हैंडलूम और पावरलूम हैं जसे खैराबाद, मुहम्मदाबाद, चिरइया कोट,मऊ, कोपा, करथीजाफरपुर, घोसी, बहादुरगंज, अदरी, इन्दारा आदि स्थानों पर जहां पर हैन्डलूम और पावरलूम का सामान बनता है उनसे जिले की काफी आमदनी होती है। टोटल रेवेन्यू का 50 प्रतिशत अकेले मऊनाथ भंजन देता है। मान्यवर, वहां पर कोई ट्रेजरी भी नहीं है, एस0डी0ओ0 कोर्ट भी नहीं है, मुन्सिफ कोर्ट भी नहीं है। वहां पर कोई सरकारी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई गई है और यदि है भी तो उसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मऊनाथ भंजन जिला बना देने से इसमें सुधार हो जायगा। श्रीमन्, लोक सभा क्षेत्र घोसी जो हैं, जिसमें घोसी, नत्थूपुर,सगड़ी, मऊ व रसड़ा (जोकि बलिया में आता है) इन सबकी आबादी 15 लाख है और उसके बगल में गाजीपुर के जहुराबाद विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी भाग तथा गाजीपुर के जखनियां विधान सभा का उत्तरी पश्चिमी भाग एवं बलिया विधान सभा का जो भाग है उसको एक साथ मिला दिया जाय, जिसकी आबादी 3 लाख है। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 लाख की आबादी हो जायेगी। इस तरह से मऊनाथ भंजन एक जिला बना दिया जाय ।

मान्यवर, मऊनाथ भंजन एक व्यावसायिक केन्द्र है। आवागमन और विकास उस क्षेत्र का अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही मऊनाथ भंजन का जो क्षेत्र है वहां ऊसर जमीन है जिसके कारण उस इलाके में ठीक से कृषि कार्य नहीं हो पाती है। इन सारे गांवों और क्षेत्रों को मिला देने से जहां की जनसंख्या 18 लाख है, इस तरह से कृषि की दिशा में भी यह क्षेत्र उन्नति कर सकेगा। ऊसर होने की वजह से, फसल उपजाऊ न होने की वजह से वहां के लोग परेशान हैं। जिला हो जाने से और वहां पर जिले का हेड क्वार्टर होने पर जिलाधिकारी भी अच्छा कार्य उस क्षेत्र के लिए कर सकेंगे। मान्यवर, गाजीपुर का जखनियां विधान सभा क्षेत्र कैराकत क्यालसा जोकि जौनपुर का है या लोकसभा सैदपुर में है उसे गाजीपुर में कर दिया जाय। चौलापुर क्षेत्र वाराणसी का है जोकि सैदपुर में है और सदपुर का हिस्सा वाराणसी जिले का है। इन सब क्षेत्रों को मिला दिया जाय और मऊ-

[श्री हरिवंश सहाय]

नाथ भंजन के अन्तर्गत कर दिया जाय। इस तरह से अगर वह जिला बन जायगा तो उस समस्त क्षेत्र का विकास हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस संकल्प पर विचार करके उसे पास करें। माननीय खैरुल बशर जी ने भी मुझसे यह संकल्प लाने का आग्रह किया था। इसलिए मैं इसे लाया हूं। यह मैं जिले के सम्मानित सदस्यों के आग्रह पर प्रस्ताव लाया हूं। इसलिए आप मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए इस प्रस्ताव को पास करें।

*श्री पंचानन—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, मऊनाथ भंजन आजमगढ़ जिले का एक प्रमुख कस्बा है और एक लम्बे अर्से से इस बात की मांग भी चली आ रही है कि आजमगढ़ के कुछ हिस्सों को लेकर मऊनाथ भंजन का एक जिला बना दिया जाय। लेकिन मुझे इस मांग के पीछे कभी कोई तर्क संगत आधार नजर नहीं आए। आप गम्भीरता से विचार करें कि आजमगढ़ से मऊनाथ भंजन की कुल दूरी 45 कि0मी0 बनती है। मैं नहीं समझ पाया कि जिला बनाने के लिए एक बड़ा कस्बा होना आधार हो सकता है। अगर बड़े कस्बे को आधार बना लेंगे तो इससे बड़े कस्बे अनेक तहसीलों में होंगे जोकि तहसील से बड़े हैं तो फिर तहसील बनाने की बात खड़ी होगी। बंटवारा प्रशासनिक आधार पर होता है और वह भौगोलिक आधार होता है जिससे जनता को सुविधा हो सके। जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिए जो सुझाव दिए और मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए आजमगढ़ से सगड़ी तहसील को भी उसमें जोड़ने के लिए कहा गया है जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं। निश्चित रूप से आजमगढ़ से मेरा क्षेत्र 15 कि0मी0 पड़ता है। जब उसे मऊनाथ भंजन से जोड़ दिया जाता है तो 45 से 50 कि0मी0 तक दूर होगा। अगर बटवारा इसलिए करना है कि जनता को सुविधा पहुंचे तो मुझे मऊनाथ भंजन को जिला बनाने का औचित्य नजर नहीं आता। आजमगढ़ से फैजाबाद की दूरी 90–95 कि0मी0 पड़ती है। इस बीच में कोई मुख्यालय नहीं है, आजमगढ़ से बनारस की दूरी 100 कि0मी0 है जिसमें कोई जिला मुख्यालय नहीं है, आजमगढ़ से गोरखपुर की दूरी 100 कि0मी0 है इसमें भी बीच में कोई जिला मुख्यालय नहीं है। इसलिए इसमें कोई औचित्य नहीं है कि चूंकि आजमगढ़ से मऊनाथ 45 कि0मी0 है इसलिए इसे जिला मुख्यालय बना दिया जाय, अगर जिला केन्द्र के हिसाब से बनाना है तो फिर आजमगढ़ की मोहम्मदाबाद तहसील से 5 कि0मी0 दूर से आजमगढ़ का क्षेत्र शुरू हो जायगा। अगर जिला बनाना जरूरी है तो फिर अतरौलिया के आस-पास मुख्यालय बनाया जाय। क्योंकि उस इलाके के आदमी को यहां आने में 50 कि0मी0 आना पड़ता है। वहां से यह फैजाबाद से भी दूर पड़ता है। मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता और कोई तर्क संगत आधार नहीं है सिवाय इसके कि जब चुनाव आते हैं तो मतदाताओं को कहने के लिए यह बड़ा कस्बा है इसे जिला होना चाहिए, इस बात को कहते फिरते हैं कि मऊ जिला बनना चाहिए ताकि मतदाता प्रभावित हों लेकिन प्रभावित करने के लिए जो झूठे आश्वासन देते हैं वह सही नहीं करते हैं और इस आधार पर मऊ को जिला बनाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शान्त रहें, (श्री त्रिवेनी के खड़े होने पर) आप बैठें।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए आया है, वह मैं समझता हूं उपयुक्त है। मऊनाथ भंजन में ऐसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग रहते हैं जो अक्सरियत में हैं और उनका मुख्य पेशा बुनकरी है। जब वह जिला बन जायगा तो उनका जो पेशा है उसमें तरक्की होगी, उनको तरक्की का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी यह दलील दी गयी कि साहब वहां से दूरी जो है 100 और 40 कि0मी0 पड़ती है, तो यह प्रस्ताव कदापि नहीं है, उसके पीछे यह चीज नहीं है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली से चलते हैं और 8–10 किलो मीटर चलते हैं तो गाजियाबाद शुरू हो जाता है। लखनऊ से कानपुर चलें तो बीच में उन्नाव है और उन्नाव से मुश्किल से 10 किलोमीटर पर कानपुर जिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए जिले के निर्माण से कोई खर्च नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आज जो कस्बा 100 किलो-मीटर है दूसरा जिला आबाद हो जाता है, तो यह अच्छा ही होगा। नैनीताल में काशीपुर है, वहां भी जिला होना चाहिए। रामपुर से मुरादाबाद की दूरी अधिक तो नहीं है, 5–6 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर से मुरादाबाद शुरू हो जाता है। तो यह दलील हमारे रास्ते में नहीं आती है। वहां जिला होने से जो बुनकर लोग हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वहां पर जिला मुख्यालय होना बहुत जरूरी है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को पार्टी–पालीटिक्स का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। यहां से बाहर सरकार के पक्ष में लोग कहा करते हैं कि हम माइनारिटीज के हितैषी हैं और हम पिछड़ों और पिछड़े क्षेत्र के हितैषी हैं। तो आप इस विषय में पार्टी से ऊपर आइए और ऊपर उठकर सोचिए। आपने ललितपुर जिले का निर्माण कर दिया है, यह अच्छा किया। लेकिन इसलिए कर दिया कि एक बड़े नेता ने यह मांग किया और चूंकि अब एक छोटे आदमी द्वारा मऊनाथ भंजन को जिला बनाने की मांग की जा रही है, उसे न किया जाय, उचित नहीं है। इसलिए मेरा शासन पक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि वह एक उचित मांग को जो मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के बारे में है उसको मनवाने में सहयोग दें।

*श्री शम्भू नाथ––

मान्यवर, आज सदन में संकल्प मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के बारे में है, मैं अपने विरोधी भाइयों से चाहूंगा कि उन्हें बराबर एक में मिलकर चलना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि यह बंटवारा आप कर रहे हैं। इससे तो काम चलने वाला नहीं है। आजमगढ़ जनपद से सब कस्बे नजदीक पड़ते हैं। फिर भी यदि मऊनाथ भंजन को जिला बनाते हैं तब तो आपको मुबारकपुर, अतरौलिया आदि को भी जिला बनाना पड़ेगा इस तरह से जिला बनाने से तो खर्च बहुत बढ़ेगा और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बार-बार यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके आधा-आधा कर दिया जाय। तो आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर औद्योगिक केन्द्र है, मऊ औद्योगिक केन्द्र है, जो आजम-गढ़ जिला केन्द्र से संचालित होता है। इससे मऊ नजदीक है, इसलिए आजमगढ़ जिला ऐसी जगह बसा हुआ है जो केन्द्र में है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह संकल्प निरा-धार है और मैं चाहता हूं कि जिला बनाने का प्रस्ताव वापस लें और कैंसिल करें।

*श्री अकबाल हुसैन––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने श्री हरिवंश सहाय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का अवसर दिया, मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए, उस पर उधर से जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने आज ही एक फैसला लिया है कि इस वित्तीय वर्ष से कानपुर जनपद में ग्रामीण अंचल को एक नया जनपद कायम कर दिया गया है। तो ये कह देना कि इसके बंटवारे से यह नुकसान होगा या कोई दूसरा नुकसान होगा, यह बिलकुल गलत बात है। आपकी सरकार ने जनपद के विकास के लिए पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्रीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन]

असंतुलन को दूर करने का संकल्प ले रखा है तो यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से आपने कानपुर को जिसकी आबादी 36 लाख है उसके लिए एक देहाती जनपद अलग कर दिया है उसी प्रकार से आजमगढ़, जिसकी आबादी भी 36 लाख ही है, में एक और जनपद बनाया जाय। इससे आजमगढ़ जनपद के लोगों का विकास होगा, उनका भला होगा। यहां पर 40 किलोमीटर की भी बात कही गयी। आजमगढ़ जनपद का अंतिम छोर 100 किलोमीटर है तो जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं अगर उनको आप छोटा-छोटा कर देंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा।

हमारे जनपद गोण्डा और बस्ती में भी जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है। वहां पर क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। जब वहां के विकास के लिए आप किसी भी चीज का आवंटन करते हैं तो जैसे नलकूपों के आवंटन का प्रश्न है तो जो बड़े-बड़े जनपद हैं, उनका नुकसान हो जाता है। मैं इसका तो हामी नहीं हूं कि देश और प्रदेश का बंटवारा हो, वह अखंड रहना चाहिए, लेकिन जो जनपद बड़े हैं और जहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उस पर कन्ट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, उनके साथ अन्याय होता है। जब जनपद के आधार पर किसी चीज का बंटवारा होता है तो उनके साथ नाइंसाफ होता है। आज ही आपने इस सदन में मान लिया है कि बड़े जनपदों का प्रशासन सुचारु रूप से नहीं चल पाता है, विकास नहीं हो पाता है, इन्तजाम नहीं हो पाता है इसलिए आपने प्रदेश का 57वां जिला कानपुर का ग्रामीण जनपद मान लिया है तो उसी तरह से अगर आप आजमगढ़ का विकास करना चाहते हैं, प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो जो बड़े-बड़े जनपद हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जहां पर बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है तो उनका बंटवारा करना बहुत ही आवश्यक है। बस्ती और गोंडा से उत्तरी क्षेत्र में नौगढ़ एक कस्बा है। वहां पर पहले ही आज की प्रधान मंत्री जब 1978 में गयीं थीं तो वहां पर एक नया जनपद कायम करने की बात कही थी और वायदा भी किया था। इसलिए जहां पर भी इस प्रदेश में बड़े-बड़े जनपद हैं, भौगोलिक स्थित ऐसी है लोगों के विकास के लिए जनपद के आधार पर बंटवारा होता है उनका नुकसान होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस संकल्प को कि मऊनाथ भंजन में एक जिला कायम कर दिया जाय, मान लेना चाहिए। इससे आजमगढ़ के लोगों का निश्चित रूप से विकास होगा।

श्री त्रिवेनी—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो सदन में मऊनाथ भंजन में जिला कायम करने के लिए संकल्प आया है उसका मैं विरोध करता हूं। आजमगढ़ जनपद में मऊनाथ भंजन एक सरहद पर पड़ता है। मऊ से बलिया की सरहद केवल 4 किलोमीटर और वहां से गाजीपुर, बलिया आरम्भ हो जाता है। तो वहां पर जिला बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आजमगढ़ की आबादी बहुत ज्यादा है इस नाते भी अगर वहां पर कोई जिला बनाने की बात हो तो उसके लिए कोई केन्द्रीय स्थान ही हो सकता है। मऊनाथ भंजन एक कोने में पड़ता है और बलिया और बस्ती से बहुत ही नजदीक है। और दूसरी चीज यह कि भौगोलिक दृष्टि से भी मऊ को अलग जिला नहीं बनाया जा सकता। (व्यवधान) हमारे भाइयों को यह नहीं मालूम है कि उसकी लम्बाई चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा लम्बा है या पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा लम्बा है और अलग जिला बनाने की बात करते हैं। जिसको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान न हो और वह यह प्रस्ताव करे अलग जिला बनाने के लिये तो यह बात समझ में नहीं आती है। पहले माननीय सदस्य उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें। उसके अनुसार वे कुछ बात करें तो समझ में आये। फिर मऊ जिला अगर बन जायेगा तो उसमें आप कौन-कौन सी तहसील बनायेंगे? इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

अधिष्ठाता महोदया, यह जो प्रस्ताव मऊनाथ भंजन को अलग जिला बनाने का है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पार्टीशन या बंटवारे की बात हो। यह केवल एक रीआर्गेनाइजेशन की बात है और रीआर्गेनाइजेशन की दृष्टि से ही यह प्रस्ताव रखा गया है।

इस सिलसिले में मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिलों की जो सीमाएं हैं वह सब अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई हैं जिन्होंने अपने हिसाब से उनको बनाया था। आज हमने प्रदेश के विकास पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अरबों रुपया खर्च कर दिया है और आज आजादी के पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है। पहले छोटी-छोटी नदियों को पार करके कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा आ पाता था, आज इन्सान बड़ी-बड़ी नदियों को पार करके चला जाता हैं। बरसात के महीनों में भी हम उनको पार करके जा सकते हैं। शासन ने गाजियाबाद जिला बनाया, अभी कानपुर को अलग जिला बनाया या और रीआर्गेनाइजेशन हुआ, तो इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि आप इस विषय को लेकर गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार कर लें। जगह-जगह से मांगे आ रही हैं कि सम्भल को, काशीपुर को, अलग जिला बनाया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में नैनीताल को अलग जिला बनाने की बात आती है देहरादून को भी अलग करने की बात आती है। पहाड़ी विकास के लिये यह जरूरी है कि देहरादून और नैनीताल को पहाड़ी क्षेत्र से निकाल दिया जाय या नये जिलों के रूप में बनाया जाये, ताकि जो पैसा केन्द्र से वहां के विकास आदि के लिये मिले वह उनके विकास पर ही खर्च किया जा सके। तो आज अपने प्रदेश के अन्दर रुपया विकास के कार्यों पर खर्च होने के बाद कहीं-कहीं बंधे लग गये, नहरें बन गयीं, सड़कें बन गयीं, जो आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शासन को चाहिए कि पूरे सूबे का रिआर्गेनाइजेशन करे। जो प्रस्ताव आया है, इसी को भूमिका मान कर, इस माननीय सदन को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए और फिर शासन को यह चाहिए और कि माननीय सदन की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे सूबे में जितने जिले हैं, उनको इक्जामिन करने के लिए एक सदन की छोटी सी कमेटी बना दें और वह अपनी रिपोर्ट इस मसले पर दे। जैसे हमारा मुरादाबाद और रामपुर है। मेरी कांस्टीटूयेंसी है सकटू नगला, कोसी नदी मुरादाबाद और रामपुर के बीच में है, परन्तु जब मेरी कंस्टीट्यूंसी से जब कोसी पार कर रामपुर चले जायेंगे, तो चुंगी पार करते हुए अगर तीन गांवों को जायेंगे, तो रामपुर टाल बैरियर पार करके सी0 आर0 पी0 की छावनी के बीच में से जाना पड़ता है, तब हम धुतुरामेगा नगला, नऊआ नगला, मानपुर पट्टी में पहुंचेंगे। इस प्रकार से हम रामपुर की चुंगी पार कर तब मुरादाबाद के उन तीन गांवों में जायेंगे जो मेरे क्षेत्र में है। उन लोगों की मांग है कि अगर हम मुरादाबाद से कोई चीज लेकर आवें, तो जब रामपुर में दाखिल होते हैं, तो रामपुर के बैरियर में ले लेते हैं। तो जगह-जगह पर समस्याएं सामने आयेंगी। तो इन समस्याओं को ध्यान में रख कर एक कमेटी बनाई जाय और वहां की जनता से पूछ कर उनके मशविरे से पूरे सूबे का रिआर्गेनाइजेशन कराया जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीया महोदया, श्री हरिवंश सहाय ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, वास्तव में यह आपने आप में एक नमूना है। आज हम मानते हैं और जनगणना भी इस प्रदेश की हो चुकी है। लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या इस प्रदेश की बढ़ चुकी है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो बड़े-बड़े जिले हैं उनकी जनसंख्या घटाई जाय, ताकि प्रदेश में प्रशासनिक चुस्तता लाई जा सके। बलिया और आजमगढ़ को जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि मऊनाथ भंजन में एक जिला बना दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

जो प्रदेश का हैन्डलूम, पावर लूम का केन्द्र मऊनाथ भंजन है आजमगढ़ से प्राप्त राजस्व का आधा हिस्सा मऊनाथ भंजन स्वयं देता है। तो मऊनाथ भंजन को और आजमगढ़ को अलग कर देने से जब अलग-अलग जिले बन जायेंगे, तो दोनों की अलग-अलग मर्यादा भी होगी।

मान्यवर, मैं अधिक न कह कर इतना जरूर निवेदन सदन से करूंगा कि जो लोग आज इसका विरोध करते हैं, किसी और राजनैतिक पहलू से न करें, देश की आबादी और प्रशासनिक क्षमता को अधिक विस्तृत करने की दृष्टि से देखें। जो बड़े जिले होने के कारण सही ढंग से जांच नहीं हो पाती है, अगर छोटे-छोटे जिले हो जायेंगे, तो प्रशासन में चुस्तता आयेगी और जांच भी सही ढंग से होगी। तो इस दृष्टि से मऊनाथ भंजन में एक नया जिला बनाना आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

कृषि राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा बलिया जिले से सम्बन्ध है। आज पहली तारीख है। हमारे नेता त्रिवेनी राय ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी प्रार्थना है कि सभी संकल्प प्रस्तुत हो जायं और उसके बाद उन पर एक-एक करके चर्चा प्रारम्भ हो।

श्री अधिष्ठाता—

3 बजे तक इस संकल्प पर विचार होगा। नियमानुसार पहले संकल्प का निस्तारण हो जाय तब दूसरा लिया जा सकता है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, मऊ को जो जिला बनाने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर तथा बलिया को जोड़ने की बात कही गयी है। जितने विधायक आजमगढ़, गाजीपुर तथा बलिया के हैं सबने इसका विरोध किया। मेरा जिला बलिया भी अन्तिम छोर पर है। आजमगढ़ की आधी आबादी वहां पर है। यदि मऊ जिला बन गया तो बलिया की एक तहसील उसमें चली जायगी और दो तहसीलें बाकी रह जायेंगी तो हरिवंश सहाय जी कहेंगे कि इनको देवरिया में मिला दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आजमगढ़ के माननीय सदस्यों को आपस में निपटने दिया जाय, बलिया वालों की जान को छोड़ दिया जाय।

*श्री कैलाश टण्डन—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य सदन के बाहर हैन्डलूम इंडस्ट्री पर काफी बातें करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसका उद्धार किया जाय? हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है कि इस जिले को नहीं बनाना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर यह अलग जिला बन जायगा तो जो आजमगढ़ के लोग राजनीतिक पनाह पाते हैं वहां उस पनाह को वह नहीं पा सकेंगे। मेरा एक बड़ा नाजुक रिश्ता है। मैंने 16 वर्ष से देखा छोटा कोई उपद्रव हुआ तो जिला प्रशासन, पी0ए0सी0 अथवा पुलिस कप्तान जब तक वहां पहुंचें तब तक 10, 5 मिनट में उसने आग का रूप ले लिया। लिहाजा मऊ के विकास के लिए जो छोटे उद्योग धंधे हैं जहां तक मुझे याद है शासन के हाथ में है। जयपुरिया जी की एक स्पिनिंग मिल भी उनमें है। कोई गली या मकान ऐसा नहीं है जहां पर समझ लीजिए हैण्डलूम का काम न होता हो।

अब यह बात दूसरी है कि मन्त्रिमण्डल की अगर कोई कमेटी बनती है तो वह यह देखे कि उसमें बलिया लिया जायगा या नहीं। गाजीपुर का कुछ हिस्सा शामिल होगा या नहीं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आजमगढ़ शहर से अगर आप चलिए, कई बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी भी ट्रेन छूट गयी, तो आजमगढ़ से अगर चलिए तो एक घंटा लग जाता है, उसी के बगल में मुबारकपुर है, जहां कि बनारसी उद्योग की साड़ियां वगैरह भी बनती हैं। उस शहर की हालत बड़ी दयनीय है। कैसे ये लोग रहते हैं समझ में नहीं आता है। कोई आदमी रात में सुख की नींद नहीं सो पायगा, इतने मच्छर हैं। विकास के लिए सीवर लाइन नहीं है, नगरपलिका की स्थिति को देखा जाय तो हम देखते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को रिक्शे पर ले जाया जाय तो वह अस्पताल तक सुरक्षित पहुंच नहीं सकती है। जहां तक आमदनी का सवाल है, सिवाया रेवेन्यू बिकी-कर और आय-कर के रूप में वहां के व्यापारी देते हैं और जब कमा कर देते हैं तो वहां अच्छे अस्पताल और डिग्री कालेज भी होने चाहिए, कोषागार होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था अच्छे ढंग से होनी चाहिए, उद्योग विभाग इण्डस्ट्री डेवलप करने के वास्ते ट्रेनिंग सेन्टर खोले, इसके अतिरिक्त रेवेन्यू से सम्बन्धित यदि कोई मामला हो, सेल्स टेक्स में कोई तारीख पड़ी हुई हो तो वे 1 1/2 घंटे में आजमगढ़ पहुंचते हैं और अगर वहां यह पता लगा कि आज आय-कर अधिकारी या बिक्री-कर अधिकारी नहीं आए हैं तो 1 1/2 घंटे वापस आने में लगते हैं।

एक सदस्य—

कहना क्या चाहते हैं ?

श्री कैलाश टण्डन—

मैं कहना यह चाहता हूं कि इस हैण्डलूम के शहर की तरक्की के वास्ते, मऊनाथ भंजन आज पहली बार नाम नहीं आया है, यह बराबर शुरू से मांग होती आई है कि इस को जिला बनाया जाय। मैं भी चाहूंगा कि जब यह जिला बन जायगा तो अच्छी रोड हो जायेंगी, ठहरने का स्थान हो जायगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय, जोकि इसे जिला बनाने के पहलू पर जोर दे।

श्री रामधनी—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीया, इस संकल्प में मऊनाथ भंजन को जिला बनाते समय, गाजीपुर के पश्चिम उत्तरी हिस्से को इसमें शामिल किए जाने की बात कही गयी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि यह जखनिया का हिस्सा इसमें सम्मिलित कर दिया जाय। माननीया, गाजीपुर जनपद पूरब, पश्चिम और उत्तर में फैला हुआ है, दक्षिण की तरफ इसका फैलाव नहीं है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि जखनिया, जहूराबाद क्षेत्र को न काटा जाय। चूंकि गंगा नदी के बहने के कारण गाजीपुर का फैलाव केवल तीन ही तरफ है, इसलिए अगर उत्तरी और पश्चिमी जिले काट दिए जायेंगे तो गाजीपुर जिले में केवल पूरब और पश्चिम की एक पट्टी रह जायगी। दूसरे इसमें मेरा यह विरोध है कि जहूराबाद और पश्चिमी इलाके के जो क्षेत्र हैं, वे गाजीपुर से बहुत करीब हैं, आने-जाने की सुविधाएं हैं। इसके विरोध में यदि उत्तर में जाते हैं तो वह हिस्सा उल्टा पड़ता है। ऐसी स्थिति में मऊनाथ भंजन का गाजीपुर में जो हिस्सा मिलता है उल्टा पड़ेगा। इसलिए इसमें सुझाव है कि मऊनाथ भंजन का जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसमें मंशोधन है कि मऊनाथ भंजन में इण्डस्ट्री के डाइरेक्टर को और ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों को रखा जाय। आधुनिक हिसाब से वहां यन्त्रों का प्रसार किया जाय और जिस तरह वहां विकास किया जाय वह अच्छी बात है। लेकिन जनपद गाजीपुर का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा यदि निकाला जाता है तो उसमें मेरा विरोध है।

*श्री ऊदल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए पहले भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

प्रस्ताव आ चुका है और इस पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। इसमें कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि जैसा कि संकल्प में है कि गाजीपुर के कुछ हिस्से को मिला दिया जाय, तो इसमें विरोध हो सकता है। आजमगढ़ बड़ा जिला है। हमारे राज्य मन्त्री, श्री निर्भय नारायण सिंह बोल रहे थे कि बलिया छोटा है इसलिए यदि बिहार का कुछ हिस्सा ले लिया जाय तो उसको बड़ा बनाया जा सकता है। इसके बावजूद जो आवश्यकता है, जो छोटा जिला है जैसे रामपुर जिसमें 4 निर्वाचन क्षेत्र एसेम्बली के हैं और ललितपुर जिसको आपकी सरकार ने बनाया था उसमें दो विधान सभाई क्षेत्र हैं लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से श्री नारायण दत्त तिवारी ने कानपुर शहर को जिसमें 5 विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां से आपके श्री गुफरान जाहिदी आते हैं, उसको शहर और देहात दोनों अलग-अलग जिले बना दिए थे और बाद में समाप्त हो गया लेकिन फिर बना दिए गये। अभी आपने देखा कि तीन जिलों को मिलाकर मुरादाबाद को कमिश्नरी का रूप दे दिया गया तो प्रशासनिक दृष्टि से आज देखें यह है कि प्रदेश के अन्दर कहां-कहां नए जिले बनाने की आवश्यकता है, इसको देखने की जरूरत है।

मान्यवर, अब हमारे जिले बनारस में ज्ञानपुर एक तहसील है और उसको भी जिला बनाने की मांग हो रही है। मिर्जापुर का हिस्सा देखें तो एक तरफ मध्य प्रदेश का बोर्डर और दूसरी तरफ डाल्टनगंज बिहार में छिप गया है जहां प्रशासन नहीं हो सकता है, इसलिए जिला बनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा ख्याल है कि प्रदेश में 5--6 और जिले हो सकते हैं जैसे ज्ञानपुर का जिक्र किया, मऊनाथ भंजन का प्रस्ताव है और मऊ नाथ भंजन को जिला बनाने में कुछ माननीय सदस्यों का यह ख्याल है कि आजमगढ़ जिला छोटा हो जायगा; वहां 15 विधान सभाई क्षेत्र हैं और तीन पार्लियामेन्ट की सीटें हैं, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, देवरिया बड़ा जिला है। बगल में गोरखपुर है। पहले देवरिया और गोरखपुर एक जिला था, किन्तु हमारे ही समय में देवरिया और गोरखपुर दो जिले बनाए गये हैं। आज भी यह दोनों बड़-बड़े जिले हैं जो आजमगढ़ से सटा है, घाघरा नदी के उस पार है। क्या गोरखपुर से दूर के इलाके जो तहसील से दूर हैं, घाघरा नदी के किनारे जो हैं उसको काटकर आजमगढ़ में नहीं मिलाया जा सकता है। क्या मऊनाथ भंजन को जिला नहीं बनाया जा सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसको बनाया जा सकता है, कई दृष्टियों से। एक तो प्रशासनिक दृष्टि से मऊनाथ भंजन को जिला बनाया जा सकता है।

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी सुन रहे हैं जिस तरह से मुरादाबाद, अलीगढ़ और उसके बाद नम्बर आता है कानपुर का उत्तेजित हो जाती है कभी न कभी कोई न कोई वारदात कर देते हैं। मुरादाबाद और अलीगढ़ के बाद नम्बर आता है मऊनाथ भंजन का जब भी प्रदेश या देश के अन्दर किसी खुराफात की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत जरूर मऊनाथ भंजन से होती है भले ही आप शासन के जरिए, राजनीतिक दखलनदाजी के जरिए उसको दबा लें लेकिन आग धधक उठती है। मऊनाथ भंजन को प्रशासनिक दृष्टि से, सौहार्द्र की दृष्टि से कन्ट्रोल की दृष्टि से जिला बनाना आवश्यक प्रतीत होता है। मऊनाथ भंजन उद्योग की दृष्टि से भी बहुत विकसित है। वहां हथ करघा उद्योग आप पावर लूम को ले लें आप मुबारकपुर के इलाके को ले लें लघु उद्योग के प्रसार की दृष्टि से भी इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन मैं करता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गाजीपुर छोटा है, उसमें से न काटा जाय। मैं कहता हूं आजमगढ़ छोटा हो जाता है तो आप देवरिया और गोरखपुर का हिस्सा काट कर मऊनाथ भंजन को जिला बना दें।

मैं इस प्रश्न के बारे में जिला बनाने के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार एक सर्वेक्षण कराए बहुत जमाना गुजर गया। इंडस्ट्री की दृष्टि से हर जगह का मूल्यांकन हो कि प्रदेश में कहां-कहां सम्भावनाएं हैं, कहां-कहां आवश्यकता है जिला बनाने की। मेरी राय में 5--6 जिले अगर हो सकते हैं। हमारे अम्मार साहब जानते हैं कि जब कानपुर के बारे में प्रस्ताव आया था तो हमने जोरदार समर्थन किया था, ललितपुर का आया तो

भी किया था। वह सरकार के प्रतिनिधि हैं मेरे मित्र हैं और द्वितीय मुख्य मन्त्री भी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। कृपा करके इतनी घोषणा कर दें मैं यह जानता हूं कि इस प्रस्ताव को तो वह स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उनके दल के लोग भी उसका समर्थन करें क्योंकि किसी भी सरकार ने कभी भी किसी प्राइवेट संकल्प को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन कम से कम आश्वासन तो दे दें कि जिलों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। अपने प्रदेश का सर्वेक्षण करायेंगे प्रशासनिक दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से जांच करायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री दूधनाथ राजभर—

मान्यवर, मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने भी माननीय सदस्यों ने आधार दिया उसमें कोई भी ऐसा नहीं लगा जिससे मऊनाथ भंजन को जिला बनाया जाय। सन् 74–75 में केन्द्र सरकार ने सर्वे कराया था और मऊनाथ भंजन को जिला बनाने का निर्णय लेने ज रही थी। किन्तु जब केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के सामने जिलों का नक्शा पेश किया गया तो महसूस किया हमारे लीडरानों ने अगर मऊनाथ भंजन को अलग किया जाता तो जो उससे लगे हैं कस्बा खीराबाद, घोसी, कोपागंज आदि जो बुनकरों के केन्द्र हैं, मऊनाथ भंजन अपने आप में बुनकरों का एक अच्छा केन्द्र है, वहां हजारों करघे लगे हैं, सूती मिल है, पावर हाउस है और इस बेल्ट को अलग अगर मऊनाथ भंजन में कर दिया जाय तो आजमगढ़ जिला खोखला हो जायगा। जो उसका दूसरा हिस्सा बचेगा वह ऊसर, बंजर बचेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर वह ला-एण्ड-आर्डर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मऊ में विशेष वर्ग के अल्पसंख्यक लोग बहुतायत में रहते हैं, तो ला-एण्ड-आर्डर की व्यवस्था कन्ट्रोल करने के लिहाज से उसको जिला बनाया जा सकता है, यह तर्क दिया जा सकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मऊ में कोतवाली कायम की गयी है, मोहम्दाबाद तहसील के जो परगनाधिकारी हैं वह परमानेंटली वहां पर रहते हैं। वहां पर पी0ए0सी0 बड़े पैमाने पर 24 घंटे के लिए तैनात है तो वहां पर ला-एण्ड-आर्डर का भी खतरा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मऊनाथ भंजन को आजमगढ़ से अलग कर दिया जायगा तो आजमगढ़ में जो दूसरे तरफ बचेगा वह सारा बंजर, ऊसर बचेगा और आजमगढ़ जिला खोखला हो जायगा। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मऊनाथ भंजन में वहां की कशीदाकारी, हैन्डलूम की बनारसी साड़ियां और अन्य जो वहां माल तैयार किया जाता है, वह एक इतिहास रखता है एक मिसाल रखता है हिन्दुस्तान के पैमाने पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ से मऊनाथ भंजन को अलग करने की बात करना आजमगढ़ की सम्पदा को, आजमगढ़ की प्रगति को, मिटाने की बात है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको जिला न बनाया जाय मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मेरा यह संकल्प है और मेरे दोस्त विधायक जी ने, हरिवंश सहाय जी ने सिगनेचर किए थे, लेकिन उनका भाग्य जोरदार निकला यह संकल्प उन्होंने पेश किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं समझता कि कोई जिला बनने से कोई विघटन हो रहा है और कोई हमारी सभ्यता पर आंच आ रही है और न इन्टेग्रिटी पर ही आंच आती है। इसलिए इस चीज का भय निकाल दें। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, पिछड़े क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से जिला बनाने का प्रस्ताव मेरे दिमाग में आया था। मैं बताना चाहता हूं कि यह जिला जो प्रस्तावित है वह 2872 वर्ग किलो-मीटर होगा। इस सन्दर्भ में मैं बताऊं कि लखनऊ 2528, रामपुर 2372 है, गाजियाबाद 2791 वर्ग कि0मी0 है। तो इन जिलों से मऊ अधिक होगा। मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मऊनाथ भंजन में जो प्रस्तावित है, हमारे प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिनकी विधान सभा की जो सीटें हैं, उससे अधिक सीटें वहां होंगी। करीब 21 जिलों से इसकी जनसंख्या अधिक होगी। मैं इसको जिला बनाने का प्रस्ताव इसलिए

[श्री खैरुल बशर]

करता हूं कि मऊनाथ भंजन के चारों ओर बहुत बड़े पैमाने पर हैण्डलूम उद्योग का जाल बिछा है और इसके साथ-साथ पावरलूम का भी जाल बिछा है । वहां दो स्पिनिंग मिल हैं, तो जिले की जो समस्याएं हैं उनके अलावा यहां की कुछ अलग समस्याएं हैं और इसकी बराबर उपेक्षा होती चली आ रही है । मैं एक मिसाल देता हूं कि जिले के रेवेन्यू का 70 परसेंट मऊ देता है लेकिन मऊ में एक ऐसा चिकित्सालय नहीं है, हर साल सैकड़ों हमारी, माताएं, बहनें बनारस जाते-जाते, वहां जच्चा बच्चा केन्द्र न होने से, रास्ते में मर जाती हैं । तो एक ऐसा अन्याय हो रहा है और 10 पैसे अगर हमको जमा करना होता है सरकारी खजान में तो 46 कि0मी0 दूर आजमगढ़ जाना पड़ता है । जैसाकि एक माननीय सदस्य न कहा कि वहां मक्खी और मच्छरों का ज्यादा विकास हो रहा है ।

मान्यवर, सही है, वहां इण्डस्ट्रीज स्थापित की जा सकती हैं, रंग इण्डस्ट्री, केमिकल्स इण्डस्ट्रीज तथा स्पिनिंग मिल्स वगैरह लगाई जा सकती हैं, इनका विकास हो । साथ ही साथ मान्यवर, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के छोटे-छोटे काश्तकार हैं, पिछड़े हुए हैं । अगर वहां जिला बन जायगा और एक इर्रीगेशन मण्डल स्थापित हो जायगा, तो उसका विकास होगा । इसलिए इसकी पुरजोर मांग करता हूं कि इसको जिला बनाया जाय । गाजीपुर और बलिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वह घबरायें नहीं किसी भी क्षेत्र का जबर्दस्ती नहीं ले लिया जायगा । तब मैं भी कहूंगा कि बलिया और गाजीपुर का क्षेत्र न मिले । सगड़ी तहसील का क्षेत्र न मिले, पूरी मोहम्मदी तहसील न मिले, तब भी वह जिला बनेगा और ऐसा जिला बनेगा, जो पूरे तौर पर आत्म-निर्भर होगा और एक ऐसा मार्ग-प्रदेश को दिखाएगा, जिस एक छोटी सी इकाई से उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसा काम करके दिखाएगा । आज हमारे यहां की जो जन संख्या है, उसके हिसाब से वहां कोई अधिकारी नहीं रहता, कहा जाता है कि वहां एस0डी0एम0 रहते हैं, लेकिन वहां कोई भी स्थान एस0डी0एम0 के रहने का नहीं दिखाई देता और न कोई वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रहने का स्थान है । साथ ही वहां आवागमन का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है । अगर मऊ में कोई बात हो जाय, कोई झगड़ा हो जाय, तो उसकी सूचना हेडक्वार्टर जो 70 से 80 कि0मी0 दूर है, पहुंचाने में काफी वक्त लग जाता है । तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए मऊ के आस-पास का एरिया, घोसी तहसील का एरिया और मोहम्मदी के कुछ ब्लाक्स यह सारे मिलाकर एक जिला बनेगा और आत्म निर्भर जिला होगा कौर गाजीपुर व कान-पुर की तरह आत्म-निर्भर बनेगा और एक ऐसी इकाई बनकर सिद्ध करेगा, जिसे लोग देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि यह एक छोटी सी इकाई किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उसी तरह से आगे बढ़ सकती है, जिस तरह से पंजाब बढ़ सकता है । जो उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा छोटा है और उसमें भी 3 भाग हुए । और आज वह तीनों भाग अपनी जगह आत्म-निर्भर हैं, खुश हैं ।

इसी तरह वहां भी चण्डीगढ़ में विरोध चल रहा था कि पंजाब को तीन भागों में न बांटा जाय । लेकिन अन्त म उसके तीन भाग हुए और आज भी वह तीनों भाग उत्तर प्रदेश से आगे हैं और बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मऊ को जिला बनाने का कोई तर्क नहीं है । तर्क है, बहुत बड़ा तर्क है । वहां पर पावर लूम और हैण्डलूम व हथकरघा उद्योग का सबसे बड़ा काम है, जिससे सबसे ज्यादा प्रदेश को रेवेन्यू वहीं से प्राप्त होता है । दूसरे आजमगढ़ के मा0 शिक्षा मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनका ध्यान वहां के स्कूल और कालेजों की ओर ले जाना चाहता हूं कि जहां पर विद्यार्थियों के समुचित बैठने का इन्तजाम नहीं है और जो कमरे हैं, उनमें दरवाजे तक नहीं हैं । आपके पास आज सब कुछ है, पैसा है, मजदूर है, सामग्री है। सभी चीजें मिल रही हैं फिर भी लड़कों के स्कूल नहीं बन रहे हैं ।

(2 बजकर 4 मिनट पर)

श्री राम स्वरूप निम--

सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम है ।

श्री खैरुल बशर—

बहुत उपेक्षा हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आग लग जाती है तो फायर बिग्रेड दो घंटे में आती है, नगर का नगर जल कर राख हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं आप के माध्यम से इस सदन से मांग करना चाहता हूं कि एक जिला आजमगढ़ का, मऊनाथ भंजन का निर्माण किया जाय। कुछ लोग हैं जो मऊ के स्थान को छोड़कर समझते हैं, मऊ पर वह निर्भर करते हैं, मऊ का वे शोषण करते हैं और इस सदन में जब मऊ को अलग जिला बनाने के लिए प्रस्ताव आता है तो उसका खण्डन करते हैं। मैं कहता हूं कि मऊ-नाथ भंजन को जिला बनाने की मांग सही है, यह एक पुरजोर मांग है, शासन के विचार में कई बार यह बात आई परन्तु कुछ नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इसको काट देते हैं। मैं इस सदन से पुनः पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मऊनाथ भंजन ही आजम-गढ़ को विरासत में मिला है जिसके कारण हम विकास कर रहे हैं इसलिए इस चीज की आवश्यकता है कि उसे एक अलग जिला बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुरजोर तरीके से पुनः शासन से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा गया। उस प्रस्ताव में दो बातें मुख्य रूप से इंगित की गयी हैं। मऊ वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र है, इसमें कोई सन्देह नहीं, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है इसलिए उसे एक जनपद बनाया जाय। इस सम्बन्ध में कहना यह है कि किसी भी प्रमुख उद्योग के स्थान की उन्नति उसके अन्तर जनपदीय सम्पर्क पर यातायात के साधन पर निर्भर करती है क्योंकि उद्योग के विकास के लिए इनफ्रास्टक्चर का सहयोग चाहिए। जो जिला जब बनता है तो उसके अन्दर उस स्थान को औरों से अलग करने के तत्व पैदा होते हैं।

दूसरी बात पूर्वांचल जिले की आर्थिक क्षमता को देखते हुए उसकी समस्याओं का कैसे निदान हो, लगभग आज से कई वर्षों पूर्व प्लानिंग कमीशन ने और भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है उसमें आजम-गढ़ जिले के मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के पहलुओं पर भी विचार किया गया होगा। तीसरी बात यह है कि किसी भी स्थान को जनपद को बनाए जाने में जो प्रशासकीय आवश्कताएं होती हैं, वह हमारे सामने नहीं आयीं। जो आवश्यकतायें रखी गयीं हैं उनसे जिला बनाने की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। निःसन्देह जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उन पर सरकार विचार करेगी और जो महत्वपूर्ण बात होगी उस पर शासन सोचेगा। लेकिन आज तक जो प्रस्ताव आए हैं....

श्री कुबेर भण्डारी—

आप प्लानिंग कमीशन की बात मान लेंगे लेकिन यहां जो जन प्रतिनिधि आपसे प्रस्ताव करेंगे, उनका प्रस्ताव कुछ है ही नहीं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

उनमें ऐसी बात नहीं है। उस समय जो आपके पूर्वज बैठे थे उनकी मांग पर एक जांच स्टडी ग्रुप बनाया गया था। मैंने उस पुस्तिका का उल्लेख मात्र कर दिया जिसे आपने पढ़ा होगा और अगर न पढ़ा हो तो पढ़ डालिए क्योंकि उसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए ।

श्री राम नरायन—

इस संकल्प पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। श्री हरिवंश सहाय जी जो संकल्प लाए हैं मैं उसका विरोध करता हूं। नए जनपद के निर्माण के लिए 3—4 चीजें बहुत आवश्यक हैं। आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और

[श्री राम नरायन]

प्रशासनिक। ये आधार होते हैं लेकिन इस संकल्प में जो आधार दिए गये हैं वह यह हैं कि मऊनाथ भंजन हैण्डलूम का एक केन्द्र है, पावरलूम का सबसे बड़ा प्रदेश का केन्द्र है। मैं समझता हूं कि यह कभी भी एक अलग जिला बनने का आधार नहीं हो सकता। जहां तक गाजीपुर की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर का 2 बार बंटवारा हो चुका है। एक बार बलिया अलग हुआ दूसरी बार वाराणसी और तीसरी बार जनपद के बंटवारे का सकल्प सदन में आया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गाजीपुर एक छोटा सा जनपद है और इसका क्षेत्रफल 3332 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लम्बाई और चौड़ाई लगभग 60 और 54 किलोमीटर है। गोरखपुर, मण्डल में आजमगढ़ पड़ता है यह सभी जानते हैं, विधान सभाई क्षेत्र बस्ती में 14, देवरिया में 13, गोरखपुर में 14, आजमगढ़ में 14, गाजीपुर में 7, वाराणसी में 14 हैं। इस बात को आधार मानकर आजमगढ़ में स्वयं अगर एक अलग जिला बनता है तो बने, मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन यह कहना कि लम्बाई–चौड़ाई को देखते हुए मऊनाथ भंजन को अलग जनपद बनाया जाय, यह ठीक नहीं है। पूर्वांचल की परिस्थितियों के बारे में अगर कोई संकल्प लाया गया हो तो मैं उनकी प्रशंसा करता जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सदैव से उपेक्षित है लेकिन यह न करके देवरिया के श्री हरिवंश जी, बलिया एवं गाजीपुर जिले के लिए, जो छोटे-छोटे जिले हैं, बांटने से लड़ाई पैदा करते हैं, मैं समझता हूं कि मऊनाथ भंजन का संकल्प लाकर आपसी विवाद को बढ़ावा देना मात्र है। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैया—

आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। संकल्प की भावना है कि मऊ जिला बना दिया जाय। मन्त्री जी ने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया, इसने देश और प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है। लेकिन 30 वर्षों में जो मऊ ने विकास किया है वह अपने आप किया है। जहां तक इसके विकास की बात है, जैपुरिया साहब यहां आकर दो मिलें लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर जिला नहीं बनाती तो इसका कम से कम उद्योगीकरण ही कर दें। जब यह कहा जाता है तो आप कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं फिर भी हम डवलपमेंट करने की सोच रहे हैं। जैसाकि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मऊ की बातें, कह रहे थे, परिस्थितियों को देखते हुए, कोई भी माननीय सदस्य, अधिष्ठाता महोदया, आप स्वयं इस निर्णय पर पहुंचेंगी कि निश्चित रूप से इसको जिला बना दिया जाय। इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, रियासत साहब, उन्होंने सेंटीमेंटल प्लेस का जिक्र किया। इस प्रदेश में जब भी अल्प संख्यकों की कोई बात आती है तो उसकी हलचल मऊ में दिखाई देती है। वह बात दूसरी है कि उतनी नहीं जितनी अलीगढ़ और मुरादाबाद में दिखाई दी। प्रशासनिक दृष्टि से भी जिला बनाने की बात महत्वपूर्ण दिखाई देती है लेकिन मान्यवर, इसमें एक बात और लिखी हुई है कि आजमगढ़ जिले के पूर्वी भाग और बलिया जिले और गाजीपुर जिले के वह क्षेत्र जो मऊनाथ भंजन से लगे हुए हैं, को मिला कर एक नया जिला बना देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे, सरकार से और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बलिया में 8 कांस्टीटयूऐंसी हैं, छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जब बंटवारा हो रहा था तो उदारतापूर्वक बलिया जिले की हजारों एकड़ जमीन बिहार को सरकार ने दान में दे दिया। हमारे लोग जो जाते हैं उन पर बिहार के लोग कब्जा कर लेते है और हमारा शासन अपने अधिकारियों को बिहार के गुण्डों और डकैतों से छुड़ाकर नहीं ला पाता।

दूसरी बात यह है कि बलिया में 3 तहसील हैं तथा 8 निर्वाचन क्षेत्र हैं। गंगा के कटान से बलिया के लोग आधे से अधिक डूब जाते हैं। कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र टोंस और गंगा नदी से पूरी तरह डूब जाता है। दूसरा जो निर्वाचन क्षेत्र है सिकन्दरपुर मा0 निर्भय नारायण सिंह जिस गांव से हैं वह भी टाउन एरिया है। जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें उसका नाम आना चाहिए था लेकिन उसमें नहीं है। मैं विषय से थोड़ा अलग हट

गया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि तहसील रसड़ा को छोड़कर मऊ को जिला बनाया जाय, बलिया में 4 महीने तक नाव चलती है। यदि प्लानिंग करना पड़े तो रसड़ा तहसील की तरफ हमारा ध्यान बरबस जाता है। सरकार के लोगों का ध्यान बलिया की तरफ जायगा तो वहां उद्योग लगाने की तरफ ध्यान दिया जायगा। आजमगढ़ का जो प्रशासन है, वहां पर एक दोहरी घाट योजना चलती है। बलिया जनपद का आधा भाग उसमें आता है। परन्तु बलिया को बिल्कुल पानी नहीं दिया गाजीपुर में एक एकीकृत योजना चल रही है उसमें 4 ब्लाक हैं। बलिया का 9 ब्लाक है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। पिछली विधान सभा से और जब से यह विधान सभा चल रही है गाजीपुर को लाखों रुपया देते हैं और कह देते हैं कि यह तो दूसरे जिले की पूंछ है, सोहांव ब्लाक को एकीकृत योजना में कार्य करने में भेदभाव किया जाता है , यह तो हमारे जनपद की हालत है। सिंचाई विभाग का भी यही हाल है। सारे दफ्तर हमारे यहां काम करते हैं, सारे साधन आज आजमगढ़ में हैं। मान्यवर, बक्सर से बनारस को जो लाइन जाती है आजमगढ़ के लोग मऊ में जो बड़ी लाइन जाने वाली है, बलिया से छपरा बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं हो रही है। कृपया इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन विकास के लिए जैसा मंत्री जी ने कहा इन संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मऊ में बड़ी लाइन बनाने जा रहे हैं, छपरा में बड़ी लाइन बनाने जा रहे हैं, देवरिया में बड़ी लाइन बनाने जा रहे हैं, गाजीपुर के दक्षिण इलाके में बड़ी लाइन बना रहे हैं, एक बलिया जनपद ही टापू जैसा रह जाता है जिसको आप सोचते नहीं हैं। वहां पर उद्योग धन्धे के बारे में सोचते , सिंचाई के बारे में सोचते, संचार साधनों के बारे में सोचते मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कि जैसे पहाड़ के लिए बनाया गया है, पूर्वान्चल के विकास के लिए आप एक निगम बनायें और अधिक से अधिक धनराशि इस इलाके को देकर इसके विकास की कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, बलिया के भूभाग को छोड़कर मैं मऊ को जिला बनाने की मांग का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने अब तक जो दृष्टिकोण अपनाया उस जिले की रिपोर्ट को पढ़ लें एक बार फिर बलिया का दौरा कर लें जो माननीय सदस्यों ने अपना दर्द यहां पर कहा है उस दर्द को लेकर और वहां पर देखें की क्या हालत है, तो आप का विचार बदल जायगा। मऊ जिला बनाया जाना चाहिए पर इस संकल्प से बलिया का नाम हटा कर इसमें देवरिया जोड़ दिया जाय, इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

श्री बदन सिंह---

माननीया एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज का दिन असरकारी दिवस के लिएहै और पांच संकल्पों को कार्यक्रम में रखा था। एक ही संकल्प में इतना समय लगा दिया गया है। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि अन्य संकल्पों के लिए भी इतना ही समय देंगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य अगर आप लोग रुचि न लेना चाहें और दूसरा संकल्प लेना चाहते हों तो मैं उसको ले सकती हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

नियमों के मुताबिक आपको अधिकार है आप चाहें तो तीनों संकल्पों को एक साथ ले सकती हैं लेकिन जिसमें जिसकी रुचि हो वह बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

अगर संकल्प में माननीय सदस्य रुचि नहीं लेना चाहते तो मैं प्रस्तावक को उत्तर देने के लिए बुलाये लेती हूं। माननीय हरिवंश सहाय जी .....

श्री हरिवंश सहाय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष में अपना भाषण दिया है मैं उनका आभारी हूं।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी निर्भय नारायण सिंह जी और गौरी शंकर जी, राम नरायन जी और रामधनी जी की बातों का स्वागत करता हूं। लेकिन मऊनाथ भंजन को जिला अवश्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि मऊनाथ भंजन की आबादी 90 हजार के करीब है, वहां पर इण्डस्ट्रियल स्टेट है, उद्योगों के बड़े-बड़े कारखाने हैं, वहां के लोगों का ठीक से प्रशासनिक काम नहीं हो पा रहा है, उनकी दवा ठीक से नहीं हो पा रही है, न कोई ट्रेजरी का दफ्तर वहां है, इसलिए वहां पर जिला बनाना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात मऊनाथ भंजन के अगल-बगल जहां पर 18 लाख की जनता बसती है वहां की भूमि बिल्कुल ऊसर हो गई है और अब तक 32 सालों में वहां की भूमि उपजाऊ करने के लिए कोई प्लान नहीं बना। अगर जिला बन जायगा तो वहां के लोग अपने जिला हेडक्वार्टर के माध्यम से वहां की तमाम दिक्कतों को हल कर सकेंगे। मैं अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के लिए सब इसके पक्ष में अपना मत दें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने मऊनाथ भंजन को जिला बनाने के सम्बन्ध मे क्षेत्र के पिछड़ेपन और उसकी उन्नति की बात कही। मान्यवर, बहुत प्रयासों के बाद भी प्रदेश उन्नति नहीं कर सका जितनी कि करनी चाहिए थी और जितना आवश्यकता थी, यह क्षेत्र भी जो है वह उसी तरह से उन्नति नहीं कर सका है जितना चाहिए था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्ञान के क्षेत्र में, विधि और विद्या के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में इन क्षेत्रों ने देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन फिर भी यह गले से नहीं उतरता कि इन सारी शंकाओं का समाधान केवल मात्र एक अलग जिला बनाने से हो जायगा। अगर जिला बनाने से ही उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाय तो सारे आर्थिक प्रश्नों का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हल निकल आएगा। यह भी स्वीकार करना मुश्किल है कि कई शासकीय इकाइयां बनने से विकास और संवर्द्धन में गति आयेगी। प्रशासनिक इकाइयां चौकियों का विकास की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

(श्री हरिवंश सहाय से) आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री हरिवंश सहाय—

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश का हैण्डलूम और पावरलूम का सबसे बड़ा केन्द्र है, के नाम से आजमगढ़ जिले के पूर्वी भाग और बलिया जिले और गाजीपुर जिले के वह क्षेत्र जो मऊनाथ भंजन से लगे हुए हैं, को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सिंचाई, विद्युतीकरण, उद्योग और पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र (तहसील किरावली) के सर्वाधिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सिंचाई के साधन बढ़ाने, विद्युतीकरण करने, उद्योग लगवाने और पेयजल समस्या को दूर करवाने की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करें।

महोदय, आगरा जिले का फतेहपुर सीकरी क्षेत्र किसी समय पर अपनी राजनैतिक गति विधियों और सामरिक महत्व का एक प्रमुख केन्द्र था और पूरे प्रदेश की सन 1571 से 1585 तक उस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बना कर रखा था। आज इसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये यह सोचना कठिन नहीं है। जो कोई भी हमारे देश का पर्यटक अथवा दूसरे देशों का पर्यटक देखने के लिए आता है उनकी दृष्टि में तो यह पर्यटक केन्द्र है लेकिन जब उनकी चमकती हुई कारें वहां की सड़कों से गुजरती है तो इस क्षेत्र की धूल खाकर निकल जाते है। तो जब वह हमारे देश का नक्शा अपने देश में देते है तो उससे हमारे देश का उपहास होता है। हमारे फतेहपुर सीकरी में सिंचाई के साधन न होने के कारण, वहां का विद्युतीकरण न होने के कारण कोई औद्योगिक इकाई न होने के कारण, अपनी पेयजल की समस्या के कारण अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के तहसील किरावली में 174 नम्बरी मौजा है इन मौजों में से फतेहपुर सीकरी ब्लौक के न्याय पंचायत रसूलपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रसूलपुर, कराही, डडूकरा, घिलोय, चरयारी मौमांशाहपुर, महदऊ, पाली, पतसाल, सीकरीहिन्द चार हिस्साचार, जैनपुरा, नाजिरपुरा सामरा न्याय पंचायत क्षेत्र में उत्तू, पुरौली सैनपुर, सामरा दाऊदपुर, जाजौली, मुहमदपुर, बदरौली, सोनौठी, नगला सराय, सिरौली, न्यायपंचायत मंडी मिर्जाखान क्षेत्र के मंडी मिर्जाखां, जौतानी, जहानपुर, खेड़ा, भोपर, डावर, औलैड़ा, मगोलीकलां, मगोलीखर्द, नगला मगोली, नयांबास न्याय पंचायत क्षेत्र के बरेंली, काजी, गोठरा, पंनचक्की, इम्लावदा, खानपुर, निठारी आदि यह 43 गांव और फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र अछनेरा ब्लाक के रुनकता न्याय पंचायत में रुनकता, अकबरा, मागरौलगुजर, चौमाफर, सीगना, जुगसेना गांव है जिनमें पानी के कोई साधन नहीं है।

मान्यवर, तहसील किरावली का कुल रकबा 1,73,411 एकड़ है और इसमें से 1,30,582 एकड़ जमीन कृषि योग्य है लेकिन उस भमि में से जो फतेहपर सीकरी के गांव मैंने बताये है उनका 57,208 एकड़ और अछनेरा ब्लाक का रकवा मिलाकर 65 हजार दो सौ आठ एकड़ का ऐसा रकबा है, जिसकी सारी जमीन शुष्क एवं जलहीन है। जिसके लिए आज तक कोई भी सिंचाई का साधन नहीं मिल सकता है। सन 78 से पूर्व वहां पर कोई नलकूप नहीं लगाया गया है। उस क्षेत्र के बारे में सन 78 तक शासन की वह भावना रही है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर प्राकृतिक आधार खराब होने के कारण यानी नदियों के बीच-बीच में जाने के कारण नहरों का विस्तार नहीं किया जा सकता है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राजकीय नलकूप सफल नहीं हो सकता है। लेकिन सन 78 में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा वहां के लिए सर्वेक्षण कराया गया था और उसके आधार पर वहां पर राजकीय नलकूप जो लगाये गये वह काफी सफल हुए। अर्जेन्टाइना में जैसे वेल पाये जाते है, वैसे ही कूप वहां पर निकले हैं। उसके बाद हमारे गांव में ऐसे राजकीय नलकूप छिद्रण सफल हो गया है। उसके बाद उस गांव में एक और राजकीय नलकूप लगाया गया, वह भी आर्टीजन वेल ही निकला है,

[श्री बदन सिंह]

इसमें 34 हजार गैलन पानी निकला। इसके अलावा दाऊदपुर में भी यह सफल हुआ और जो राजकीय नलकूप अर्टिजन वाला लगाया गया, उसमें 32 हजार गैलन पानी निकला तथा ओंडेला में 30 हजार गैलन पानी निकला और सोनेठी गांव में भी लगवाया गया, वह भी अर्टिजन वेल है और 44 हजार गैलन उसमें भी पानी निकला है।

अर्जेन्टाइना वेल यानी आर्टिजन वेल का यह मतलब है कि जो वेल बिना बिजली बिना मोटर यंत्र, बिना इंजन के सदैव निरन्तर तीव्र गति से पानी देता है। जैसा मैंने बताया है वहां पर 43–44 गांव ऐसे है, जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो 3–4 नलकूप सफल हुए है, उनसे उस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती और जिले में सिंचाई हेतु जो इस वर्ष आगरा में केवल 25 राजकीय नलकूप मिले है और उसमें भी इस अभागे क्षेत्र में केवल एक नलकूप आया है, जिसका भी कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। वहां पर ग्राम्य विकास मंत्री, माननीय अम्मार रिजवी साहब बैठे हुए है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं वह इस वजह से कि वहां पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की टीम उस क्षेत्र में दो महीने सं काम कर रही है और उसने जो कार्य किया है उसके आधार पर इमलबदा ग्राम में एक नलकूप सफल हो गया है इसमें 65 हजार गैलन पानी प्रति घंटे के हिसाब से निकला है। उसी टीम के द्वारा दूसरा नलकूप मेहदऊ में लगाया गया है और वह सफल हो गया है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इनकी आवश्यकता बहुत बड़ी है और वहां पर छिद्रण करने का काम जो मशीन कर रही है। वह एक है। अत: वर्षों तक उस क्षेत्र में छिद्रण कार्य किया जाए तब कहीं इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसलिए मंत्री जी वहां पर ऐसी रिंग मशीनें और भेजने की कृपा करें, जो गहराई में जाकर पत्थर तोड़ने में सफल हो सकें। तीन चार मशीनें वहां अवश्य पहुंचा दी जायं। इसके साथ साथ फतेहपुर सीकरी ब्लाक में राजकीय नलकूपों से ही पानी की पूर्ति नहीं हो सकेगी। वहां पर एक मोहम्मदपुर गांव है जहां सम्राट अकबर के समय के एक बन्धी के पत्थर के पक्के अवशेष मिलते हैं....

श्री राम औतार दीक्षित—

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, जो संकल्प बदन सिंह जी ने रखा है, यह संकल्प की परिधि में ही नहीं आता है। मान्यवर, यह संकल्प का रूप ही नहीं है। आपने इस पर विचार करने के लिए कह दिया। उस पर तो सरकार विचार स्वयं कर ही रही है।

श्री अधिष्ठाता—

इसको माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। यह संकल्प पूरा है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि माननीय बदन सिंह जी कम समय लें और अपनी बात संक्षप में रखें।

श्री बदन सिंह—

तो मान्यवर, मैं माननीय रिजवी साहब से कह रहा था कि वे वहां पर रिंग मशीनें भेज दें। मोहम्मदपुर में सम्राट अकबर के जमाने में एक बंधी थी उसमें राजस्थान के अजान बांध का पानी रुक जाता था और इससे सनपुर, जाजौली, बदरौली, मोहम्मदपुर, समरा दाउदपुर और नगला सराय आदि की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होती थी। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि अगर उस बंधी को फिर से बना दी जाय तो जो क्षत्र शुष्क पड़ा हुआ है उस क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि 5 फरवरी, 1980 को फतेहपुर सीकरी ब्रांच के 27वें मील पर एक छोटी नहर जिसका 8 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, स्वीकृत हुई थी लेकिन उसको अब तक भी नहीं खुदवाया गया है, शीघ्र खुदवाई जाय। अगर चिकसाने नाले पर एक सतु (एक्वीडक्ट) बना दिया जाय तो बसेरीकाजी खानपर, नैठारी तक पानी पहुंचाया जा सकता ह। और भूमि को सींचा जा सकता ह। इसके अलावा अगर सुपेरा

माइनर को बढ़ाया जाय और खारी नदी पर सेतु बना दिया जाय जो पंचक्की, गोठरा, बसेरी काजी तक पानी पहुंचाया जा सकता है। और उन गांवों की सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो सिंकरा राजबहा है उससे एक माइनर निकाली जाय तो उससे सिगना, चौमाफरह, रुनकता अकबरां, मांगरौल गूजर आदि गांवों की सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जायेगी और कीठम मानइनर के टेल को बढ़ाकर जुगसैना गांव तक पानी पहुंचाया जा सकता है।

दूसरे अब मैं विद्युतीकरण के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में 174 गांव है, जिनमें अगर नगले और मजरे मिला दिए जायं तो उनकी संख्या 291 गावों की हो जाती है। आज बीसवीं सदी में भी इन 291 गांवों में से कुल 11 गांवों में बिजली पहुची है। इसका मतलब यह है कि 4 प्रतिशत गांवों में ही अब तक विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कुछ गांव जसे रायंवा, सांधन, दूरा, अमुवापुरा, अट्स, नागर, पनवारी, मेंहदऊ, उन्देरा, जाजऊ, व्यारा, अनौरा, दौलताबाद, जिगरापुरा, डाबर और सांतुरा आदि ऐसे है जो 5 हजार की आबादी से ज्यादा के गांव है लेकिन उनमें बिजली पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। म चाहता हूं कि वहां पर बिजली पहुंचे। उस क्षेत्र में बिजली न होने के कारण कोई भी उद्योग धन्धा लग ही नहीं सकता है लेकिन साथ ही साथ जिन आर्टिजन वल्स की मैने चर्चा की है उनको छिद्रण हुए 2 वर्ष हो गये हैं लेकिन उनको भी विद्युत प्रदान नहीं की गयी है जिससे यह आशंका हो रही है कि सेलाइन भूमि होने के कारण वहां पर लगे पाइप गल सकते है और पानी के मीठेपन का गुण समाप्त हो सकता है। मेरी प्रार्थना ह कि हमारे पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण कराया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र में लगे हुये ट्यूबवेलों को चलाया जा सके। मेरा निवेदन है कि फतेहपुर सीकरी में आप अधिक बिजली दिलवाइये।

जहां तक उद्योगों का हमारे क्षेत्र में प्रश्न है, वह सब भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। दरी, कलीन और पत्थर का उद्योग हमारे यहां है। इन उद्योगों में जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती है और जो श्रम वे करते है उसका लाभ उनको नहीं मिलता। इसके अलावा जो लोग पत्थर तोड़ने आदि का काम करते हैं, यह काम करने से उनके मुंह में पत्थर का चूरा चला जाता है जिसके कारण 30–40 वर्ष की आयु में ही उन मजदूरों को टी0 बी0 हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया समाप्त करें। काफी समय आपने ले लिया।

श्री बदन सिंह—

थोड़ा समय और दे दें। यह मजदूर धूप में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। इसलिये आवश्यकता यह है कि इन मजदूरों के लिये शेड्स बनवा दिय जावें।

इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहां एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र किरावली में बनाया जाये। यह बहुत ही आवश्यक है।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या है वह पेयजल की कमी की है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, संकल्प प्रस्तुत करने वाले को अधिक समय देना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को 15 मिनट का समय दिया जाता है, इनको 25 मिनट दिये जा चुके हैं, अगर आज ही यह अपने क्षेत्र को स्वर्ग बना लगे, सारी बातें कह डालेंगे या हम लोगों के लिये भी कुछ छोड़ेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया है कि वे कृपया अपना वक्तव्य एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, यह सदन की प्रक्रिया है कि संकल्प रखने वाले सदस्य को आप अधिक समय भी दे सकते हैं।

मेरे क्षेत्र की प्रमुख समस्या पेयजल की है। मैंने जिन गांवों का पहले हवाला दिया है वहां पानी की समस्या बड़ी खराब है। वहां के कुंएं सूखे पड़े हैं। तालाब सूखे पड़े हैं, कहीं गांव में पानी नहीं है। वहां का जन-मानस और पशु सभी प्यासे मर रहे हैं। बहुत से ग्राम तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को 2—2 और 3—3 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। नंगला मंगोली एक गांव है, जहां पर नहर का पानी तालाब में इकट्ठा किया जाता है वहां से लोग पानी लाते हैं। मेरे यहां के 291 गांव में से 31 गांव ही ऐसे हैं जहां का पानी मीठा है और शेष 260 गांवों का पानी खारी है।

इसके अलावा मान्यवर, सांघन, सिंगारपुर, जाजऊ, रुनकता में पेयजल योजना बनायी गयी है पर केवल सांघन और सिंगारपुर योजना ही चालू अभी तक हो पायी है, जाजऊ और रुनकता अभी चालू नहीं हुई हैं, उनमें पानी नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पेयजल समस्या को हल किया जाय। मान्यवर, पेयजल की योजनाएं बनायी जायें, जिसमें ये गांव शामिल किये जायें—"रसूलपुर, कराही, नगला लोधा, डडूकरा, गिलोय, चेमासाहपुर, चुरपारी, मेहदौर, पालीपतसाल, सीकरी हिस्सावार, जैनपुरा, नागिरपुर।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बदन सिंह—

अब मैं माननीय सदन के सामने यह प्रार्थना करता हूं कि फतेहपुर सीकरी जिसका विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर 31 अक्तूबर, 1980 को देश की प्रधान मन्त्री ने जिस प्रकार से फरमाया था, माननीय अम्मार रिजवी यहां पर बैठे हुए हैं, वह वहां पर बिजली लगवाएं और उसको चमकावें। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संकल्प को पारित करने का कष्ट करें।

श्री रियासत हुसैन—

आप ही के प्रस्ताव से ही तो पीड़ित होकर अम्मार रिजवी भाई ने हर विधायकों को 3—3 लाख रुपया दे दिया ऐडवान्स में।

श्री कुबेर भण्डारी—

फतेहपुर सीकरी 14 साल तक हिन्दुस्तान की राजधानी रही है। आप वहां सुलहकुल मनाये हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। उसका थोड़ा भी हिस्सा वहां के भूभाग को सुधारने में लगा देंगे तो उस पर सुलहकुल मनाना ठीक रहेगा।

श्री त्रिवेनी—

अरे भाई, ज्योग्राफी कहां से पढ़ी है ?

श्री कुबेर भण्डारी—

हिन्दुस्तान का नक्शा आप ही तो केवल जानते हैं।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र रसड़ा की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप संकल्प के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री हरदेव--

मान्यवर, क्षेत्रीय बात है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। हरदेव जी आप बैठें ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं संकल्प पर क्लोजर मूव करता हूं। इसको अब समाप्त कर दिया जाय।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मैं समर्थन करता हूं ।

(संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर उन्हें अधिष्ठाता ने अनुमति दे दी ।)

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय बदन सिंह ने जो संकल्प रखा है, जहां तक उनके संकल्प का सम्बन्ध है या उनके क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं जो उनकी चिन्ता है। लेकिन इस प्रकार का संकल्प सदन के द्वारा, शासन के द्वारा माने जाने का जहां तक प्रश्न है, अगर इस तरह के संकल्प माने जाने लगें, तो इस तरह की आवाजें आना शुरू होने लगेंगी, जब कि शासन की खुद ही नीति है कि पिछड़े हुए क्षेत्र जो हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। वहां कार्य ऐसे किए जायं जिससे उनका पिछड़ापन दूर किया जा सके। अगर कोई असमानताएं हैं, तो उनको दूर किया जाय। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष को इस प्रकार से ले लेते हैं, तो आपने अभी देखा कि माननीय हरदेव जी ने रसड़ा से शुरू किया था। तो इस प्रकार की आवाजें आयेंगी, जो माननीय बदन सिंह जी ने शुरू किया था। इस प्रकार के सुझाव आने लगेंगे। जो वहां का एक ऐतिहासिक, जो भारत वर्ष के इतिहास में उसका एक स्थान है और योगदान है, उससे मान्यवर, सरकार पूरी तरह से सहमत है और उस सिलसिले में सरकार का जो भी योगदान होगा, शासन जो कुछ भी कर सकेगा, उस पिछड़े हुए इलाके को ऊंचा उठाने के लिए, वह करेगा। अभी वहां पर रिग्स भेजवाया जा रहा है, प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें भारत सरकार का काफी हाथ है। बल्कि भारतवर्ष के उन स्थानों में से हो जाय जो पर्यटन के एतबार से पूरे तौर से विकसित किया जाय। जब फतेहपुर सीकरी का विकास होगा तो आसपास के इलाकों का अपने आप विकास हो जायगा। इसलिए इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं माननीय बदन सिंह के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री बदन सिंह से) क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री बदन सिंह--

मेरे जिले में जरवा गांव है। वहां कुओं के पानी में क्लोराइड की अधिकता है जिससे स्त्री पुरुष जिनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर है उनकी कमर झुक जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं और जोड़ों में दर्द होने लगता है। उस पानी का परीक्षण कराकर उस ग्राम के लोगों को जीवन दान देने का प्रयास किया जाय। मैं अपने संकल्प को वापस नहीं लूंगा जब तक वहां की समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता है।

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी व्यवस्था कराने का प्रयास किया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र (तहसील किरावली) के सर्वाधिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने, विद्युतीकरण करने, उद्योग लगवाने और पेयजल संकट को दूर करवाने की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

आयकर सीमा से नीचे अभिभावकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के छात्र-छात्राओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो निम्न प्रकार है :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार उच्चतम माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को, जिनके अभिभावक आयकर देने की सीमा से नीचे हैं, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दें।" शासन गरीबों को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहती है तो आज जो प्रदेश की स्थिति है उसको देखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय। ऐसी स्थिति में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी देन माननीय मन्त्री जी की हो जायगी। इतना कह कर मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

जो संकल्प माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने रखा है, उस की गहराई में जाने की जरूरत है और इस माननीय सदन को इसे मान लेना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक इस प्रदेश की शिक्षा से है। आज यह देखने में आता है कि इस प्रदेश के जो बड़े-बड़े चन्द लोग हैं जिनकी आमदनी की कोई लिमिट नहीं है उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय रियासत हुसैन जी का शिक्षा से क्या ताल्लुक है, मेरी समझ में नही आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई प्रश्न नहीं है, न इसमें व्यवस्था का कोई सवाल पैदा होता है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह ठीक है, इस प्रदेश के सारे ही समझदार लोग यह जानते हैं कि शिक्षा से किसका कितना सम्बन्ध है। तो म यह कह रहा था कि जो यह संकल्प है, इसके पीछे जो भावनाएं ह कि देखने म यह आया है कि दो क्लासेज हैं समाज में—एक "हैव्ज" का और दूसरा "हैव नाट्स" का। जिनके पास सब कुछ है, वे "हैव्ज" की कटगरी में आते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में होती है, जो बच्चे अभी पैदल चलना भी नही सीख पाते ह, उनको ऐसी शिक्षा संस्थाओं म पढ़ने के लिए भेजा जाता है और सैकड़ों रुपया महीना उनके ऊपर खर्च होता है। दूसरी तरफ "हैव नाट्स" हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। यह हम मानते हैं कि तीसरी और पांचवी कक्षा तक कोई शिक्षा शुल्क नहीं है, लेकिन उनके साथ भी यह सवाल खड़ा हो जाता है कि बच्चों की किताबें, कापियां, चन्दे और खेलकूद के नाम से जो एक आना या दो आना लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, अच्छों की अच्छी तालीम के लिए वह भी उनके बस में नहीं होता। "हैव नाट्स" के बच्चों की तालीम प्राइमरी सेकेण्डरी और फिर हायर क्लासेज तक ...

(श्री त्रिवेनी के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय त्रिवेनी राय जी के सवाल की रोशनी में "हैव्ज" और "हैव नाट्स" का तर्जुमा कर दें।

श्री रियासत हुसैन—

इसके मायने मान्यवर, यह है कि माननीय त्रिवेनी राय जी और इस माननीय सदन के और भी सदस्य, जो सरकार के हैं, वे "हैव्ज" की श्रेणी में आते ह। इनके पास बच्चों की अच्छी तालीम के लिए सारी सुविधाएं हैं, नाम के आगे एम0एल0ए0 लिखा जाता है, छपे हुए पैड पर लाल मुहर है।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, मेरे बच्चे प्राइमरी देहात के स्कूल में पढ़ते हैं। माननीय रियासत भाई भूल रहे हैं कि मैं कोई पूंजीपति या ताल्लुकेदार नहीं हूं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

"पूंजीपति" शब्द से "पूंजी" शब्द को निकाल दिया जाय तो बाकी तो आप हैं ही।

श्री रियासत हुसैन—

गरीब क्लास, जो पावरटी लाइन से नीचे हैं तथा मिडिल क्लास के लोगों में भी इस मजबूरी के साथ कि उनके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, उनका अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए मिडिल क्लास के आदमी को भी "अनफेयर मीन्स" इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वह सोचता ह कि मेरे अधिकारी या मेरे पड़ोसी के बच्चे, जिनके पास अधिक संसाधन हैं, वे जब पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनको पढ़ान के लिए ट्यूटर लगा है, तो उसके मुंह में भी पानी भर जाता है कि वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रियासत जी, आज संकल्पों के लिए जो समय निर्धारित था, वह पूरा हो चुका है। इस पर आपका भाषण जारी रहेगा, अब अगला आइटम लेंगे।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980†

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस समय सिनेमा के स्थायी भवन के निर्माण के सम्बन्ध में जो लाइसेंसिंग एथारिटी होती है उसकी अनुमति तो ली ही जाती है लेकिन उनके साथ ही साथ यह वह भवन स्थायी निकाय के अन्दर बनाया जाता है तो उसके नियत आफिसर से परमीशन ली जाती है साथ ही साथ यदि डेवलपमेन्ट एथारिटी के अन्दर आता है तो वाइस चेयरमैन से परमीशन ली जाती है, यदि रिगुलेटेड एरिया के अन्दर निर्माण किया जाता है तो पी0डब्लू0 डी0 से परमीशन ली जाती है। उससे होता क्या है कि निर्माण में देरी होती है और जाहिर है कि सिनेमा उद्योग से हमारे राजस्व को लाभ होता है और साथ ही साथ मनोरंजन का साधन भी जनता को उपलब्ध होता है। इस स्थिति में जब लाइसेंसिंग अथारिटी सारी औपचारिकताओं को देखने के बाद लाइसेन्स जारी करता है तो दूसरे अधिकारियों से चाहे स्थानीय निकाय का अधिकारी हो या वाइस चेयरमैन हो या पी0डब्लू0डी0 का

---

†दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री राम आसरे वर्मा]
इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, इन लोगों से भवन निर्माण के सम्बन्ध में अनुमति न रह जाय, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन विधेयक मैंने रखा है और मैं चाहूंगा कि सदन इसको पारित करे।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो यह विधेयक रखा है, सदन के सामने, उसका मतलब यह है कि जब एक बार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति मिल जाय सिनेमा बनने की तो फिर किसी अन्य झंझट में न पड़ना पड़े और उसके बाद सिनेमा बन जाय और इजाजत दे दी जाय। श्रीमन्, वैसे यह देखने में प्राइमाफेसी लगता है कि अच्छा सुझाव है और मुझे भी यह महसूस हुआ था कि अच्छा है लेकिन जब विचार करें इस पर, तो ऐसा लगेगा कि इसके अन्दर सिर्फ स्वीकृति की बात नहीं है, अनुमति की बात नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। जिलाधिकारी एक नान टेक्निकल अधिकारी होता है जो प्रार्थना-पत्र पर स्वीकृति प्रदान करता है। उसके बाद किस प्रकार बिल्डिग रहे, किस तरह उसके अंदर सीटें लगें, कहाँ स्क्रीन लगायी जाय और क्या इक्यूपमेन्ट दिए जायं जिससे दर्शको को सुविधा हो, यह तमाम बातें हैं जिनको बिना प्रमाणित किए हुए और इसके जो स्पेशिलिस्ट्स हैं उनकी अनुमति प्राप्त किए बिना सिनेमा बन जाय, तो इस तरह से ऐसे सिनेमा हाल बनना शुरू हो जायेंगे जिसमें कि बैठने की दिक्कत होगी और भवन स्टैंडर्ड का नहीं होगा एवं जो इफीशियेंसी होनी चाहिए उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां श्री राम आसरे वर्मा जैसे मासूम हैं, वैसे ही वह मासूमियत में तो बातें कह जाते हैं लेकिन उसके पीछे होता बहुत है और इसी तरह यह विधेयक है कि उसके पीछे काफी कुछ है। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता के हित के लिए और इफीशिएन्सी लाने के लिए यह उचित नहीं होगा कि इस विधेयक को माना जाय।

श्री अधिष्ठाता--

श्री वर्मा जी, आप क्या इसको वापस लेते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने राज भरी बात कह दिया कि इसके पीछे राज छिपा है और उसको मन्त्री जी भी नहीं समझ पाए, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से विधेयक को वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1980†

[3बजकर 5 मिनट]

श्री दूध नाथ राजभर--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक सन् 1945 का बना है उस समय यह विधेयक बना जिस समय अंग्रेजों का शासन इस देश में था और हिन्दुस्तान में जितन कानून बने उन सारे कानूनों म यहां तक कि आई०पी०सी० (इंडियन पैनल कोड) में इस तरह की व्यवस्था है कि कुछ धाराओं को छोड़कर सुलह करने की व्यवस्था है। लेकिन यह ऐक्ट ऐसा है जिसमें सुलह करने की कम्पाउण्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने यह संशोधन विधेयक माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज देखने को मिलता है कि हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 13 अक्टूबर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

प्रदेश में सीमेंट और लोहे की कितनी कमी है। इस जमाने में कोई कन्स्ट्रक्शन कराने के बाद अगर उससे कोई अवरोध नहीं होता कोई यातायात आदि में बाधा नहीं होती है तो जन-हित में कम्पाउन्ड या सुलह की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। नहीं तो लाखों रुपए की जो बिल्डिग बनकर तैयार हो जाती है उसको डिमोलिश कराने उसको गिराने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। इसलिए मैंने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है, एक वकील होने के नाते मैंने उस ऐक्ट को पढ़ा और हमारी नजर में यह कानूनी कमी आई और मैंने माननीय सदन के सामने रखा। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं एक बिल्डिग श्री पी0एल0 भार्गव की बनी है। बिल्डिग के निर्माण के समय प्रेसक्राइब्ड एथारिटी से अनु-मति तो ले ली गयी थी किन्तु कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गयी थी ऐक्ट में व्यवस्था है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना निर्माण अवैधानिक है, यह कमी उसमें रह गई थी उस कमी के एवज में एक ही रास्ता रह जाता है कि उस बिल्डिग को डिमोलिश कराया जाय। श्री पी0 एल0 भार्गव की बिल्डिग आज भी राज होटल के सामने खड़ी ह जो विधान सभा मार्ग पर स्थित है। जिलाधिकारी ने यह आदेश दिए थे कि उस बिल्डिग को गिरा दिया जाय। अधिकारीगण उसको गिराने के लिए उस बिल्डिग पर गए और उन्होंने उसका बारजा थोड़ा सा गिराया भी बाकी सारी बिल्डिग आज भी खड़ी है। अधिकारियों की समझ मे आया कि लम्बी चौड़ी राशि से बिल्डिग बनी है, इसलिये उन्होंने उसको नहीं गिराया। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उक्त आदेश का उल्लंघन जारी है यदि उस आदेश को माना जाय तो उस के मुताबिक उस बिल्डिग को गिरा देना चाहिए था। इस ख्याल से हमने यह संशोधन विधेयक पेश किया है और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिलाधिकारी को इस प्रकार के निर्देश हो जाय कि पूरी छानबीन के बाद ही अनुमति दें।

मैं माननीय सदन के सामने इस विधेयक को रखते हुए आशा करता हूं कि माननीय सदन इसकी ग्राह्यता को समझते हुये जो कानूनी कमी है, अंग्रेजों के जमाने का बना कानून है जिस वक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं थी और यह सारी समस्यायें नहीं थी कि यह जरूरत हो सकती है। आज देश और प्रदेश में इस तरह के हालात हैं ऐसा माहौल बना है कि मैं समझता है मुनासिब होगा कि अगर कोई बिल्डिग बना दी गई है और उससे यातायात में कोई अवरोध नहीं हो रहा है जनहित के विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन टेक्निकली गलत है तो उसको गिराने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है कानून के अनुपालन में। मैं माननीय सदस्यों से, सरकार से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह संशो-धन विधेयक पास होने से बड़ा जनहित का काम होगा। और कानूनी कमी जो ऐक्ट के अन्दर है वह दूर होगी। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पास किया जाय।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य राजभर जी जो स्वयं एक अच्छे वकील हैं, उन्होंने अपना मामला बड़ी खूबी के साथ सदन के सामने रखा। जनहित की बात उन्होंने कही है, मैं वह बात दोहराना चाहूंगा। कोई काम करवा लिया जाय या कर दिया जाय, कोई निर्माण कार्य करा लिया जाय और उसके बाद कंडोन करने की बात हो। निर्माण कार्य कराने के पहले अगर इजाजत नहीं ली है और बाद में कंडोन करने की बात हो तो मैं समझता हूं कि जहां तक जनहित का सवाल है, अगर माननीय की बात मानी जाती है तो आगे चलकर जो परिस्थितियां पैदा होंगी, अगर इस तरह की बात मान ली जाती है तो बहुत दूर तक वह बात पहुंचती है। सड़क के किनारे या किसी स्थान पर निर्माण कार्य करा लिया जाय और जब हो जाय तो उसको कंडोन करने की दरख्वास्त दे दें, पहले कब्जा कर लिया जाय और बाद में नियमितीकरण करायें, सरकार कानून के जरिये यह बात कर दे तो मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजबी]

हू कि यह बात जनहित में उचित नहीं है। आपने स्वयं देखा होगा कि शहरों में और दूसरी जगहों पर सड़क के करीब लोग जगह-जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं और मकान या दूकान बनवा लेते हैं। इससे जो आबादी बढ़ रही है, ट्रेफिक ज्यादा हो रहा है, इस से बड़ी कठिनाई हो रही है। कहीं-कहीं पर निकलना और चलना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर इस तरह की कोई चीज पारित की जाती है या इसको कानूनी शक्ल दी जाती है तो आगे चलकर इसका जो असर होगा वह बहुत ज्यादा खराब होगा और जो सड़कों पर थोड़ा बहुत रास्ता रह गया है वह नहीं रह जायगा। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जनहित में यह चीज संभव नहीं है और जो उन्होंने संशोधन रखा है उसको वापस ले लें, मेरा यह अनुरोध है।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981†

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक वर्तमान परिस्थितियों में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सम्मानित सदन के सभी सदस्य इस ओर बहुत ध्यान देंगे। इस वक्त विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शायद प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर शिक्षा सत्र नियमित हो। मान्यवर, हमारे पास कुछ लड़के आये और उन्होंने कहा कि 1978 की डिग्री 1980 में दी गयी है। इसका मतलब यह है कि अगर उनसे पूछा जाय कि तुम दो साल क्या करते रहे तो वह बेचारे चुप खड़े रह जायेंगे। 1978 में बी0 ए0 पास किया और 80 में डिग्री मिली तो उनकी दो साल की जिन्दगी खराब हो गयी। अगर एक विश्वविद्यालय में यह स्थिति होती तो कह दिया जाता कि विशेष परिस्थिति में यह हुआ है लेकिन सारे सूबे के विश्वविद्यालयों की यही परिस्थिति है कि शिक्षा सत्र नियमित नहीं है। दोनों सरकारों ने दावा किया है कि हम शिक्षा सत्र को नियमित करेंगे लेकिन शिक्षा सत्र नियमित नहीं हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री बैठी हुयी हैं इनका दावा था कि शिक्षा सत्र को हम नियमित करेंगे लेकिन शिक्षा सत्र नियमित नहीं हुआ। अभी भी उनकी भर्तियां चल रही हैं। सत्र के नियमित न होने के सबसे बड़ा कारण भर्ती का भी है और दूसरा सबब इसका जो है प्रशासन। आज विश्वविद्यालयों में सब जगह उथल-पुथल मचा हुआ है। किसी जगह विद्यार्थियों ने हड़ताल कर रखी है और कहीं अध्यापकगण विरोध में काम कर रहे हैं। तो इस तरह विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार का शांतिमय वातावरण नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा एक लेख 'अमृत प्रभात' में निकला था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में था, जिसमें उसने लिखा था कि 60 हजार रु0 प्रतिमाह लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के स्टाइपिन्ड में खर्च होता है और 70 हजार रु0 प्रतिमाह यहां के वाइसचांसलर की रक्षा पर खर्च होता है। मान्यवर, यह आज स्थिति कैसे पहुंच गयी। जबकि एक जमाना था कि कुलपति को रखने के लिये विद्यार्थी आन्दोलन किया करते थे।

मान्यवर, एक समय था, आपको याद होगा कि जब आचार्य नरेन्द्र देव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वह माह दिसम्बर में लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर

---

†दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट म छपा है।

बनारस जाना चाहते थे, तो विद्यार्थियों ने इस बात पर प्रदर्शन किया था और प्रार्थना की थी कि आचार्य जी बनारस न जाएं और विश्वविद्यालय को अभी अपना संरक्षण दें। परन्तु आज यह स्थिति कैसे आ गयी कि आज आये दिन उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि उनको हटा दिया जाय और यह स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि उनकी रक्षा के लिए पुलिस पर 70 हजार रु0 प्रतिमाह खर्च हो रहा है। और वह पुलिस के संरक्षण में बाहर आ जा रहे हैं। ऐसे आदमी को कुलपति बनाने की क्या जरूरत पेश आयी। यह मैं आपके विवेक पर सदन के सम्मुख छोड़ता हूं, सरकार के विवेक पर छोड़ता हूं। एक प्रश्न और आता है सामने कि विश्वविद्यालय ठीक नहीं चल रहे हैं। सारा प्रशासन खत्म हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसके कई कारण है एक तो जो भी अध्यापकगण वहां नियुक्त होते हैं, वह विद्वता के आधार पर न होकर पावर के बल पर होते हैं। जबकि यह परम्परा पहले नहीं थी। सारे गुरुजन वहां पर जो नियुक्त होते थे, वह विद्वता के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में खरे उतरते थे, तभी उनकी नियुक्ति होती थी और यही कारण था कि उस समय विश्वविद्यालयों में शांति थी और जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से निकलते थे वह योग्य बन कर शालीन बनकर निकलते थे। और जिस दिन से इन सरकारों के हाथ में इनका प्रशासन आया है, उस दिन से सही लोगों की नियुक्ति न होकर, प्रशासनिक दृष्टिकोण की आड़ लगाकर अपने स्वार्थ के लिए गलत नियुक्तियां होने लगी और तभी से अशांति का वातावरण विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ हुआ और जिसके नतीजे के रूप में आज दो साल से सत्र पिछड़ा हुआ है। इसलिये मैं इन मामलात में संशोधन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जितने भी बुजुर्ग लोग है, वह इस बात को महसूस करते होंगे। वह लोग भी इस बात का अनुभव करते हुए कि यूनिवर्सिटी में उस वक्त कितनी शान्ति विराजित थी कि किसी दिन, भई आज वाइस चांसलर का भाषण एम0 ए0 की फलां कक्षा में होने वाला है तो वहां जा कर उस कक्षा में विद्यार्थी भाषण को सुनते थे, कितनी निष्ठा थी उस समय वाइस चांसलर के प्रति, वह सब अब समाप्त हो गयी है।

मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों से विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी सुविधा के लिये वह चाहे कुछ करें, चाहे शिक्षा सत्र समाप्त हो, चाहे विद्यार्थी जेल जायं लेकिन इस आदरणीय सदन के सदस्यों की जिम्मेदारी है क्योंकि वह सारे प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी है इसलिए वह ऐसा प्रशासन विश्वविद्यालय में लावें जिसकी वजह से विद्यार्थियों में शांति विराजे, शिक्षा का वातावरण बढ़े। शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध सौहार्द्रपूर्ण हों और शिक्षा का काम आगे बढ़े। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुछ शाब्दिक संशोधन इस प्रकार हैं कि समिति आपकी जो सिफारिश करती है वर्तमान समय में वही होता है। एक समिति बनती है चांसलर साहब के द्वारा जिसमें तीन आदमियों या पांच आदमियों के नाम की सिफारिश की जाती है, उसी में से किसी को आप वाइस चांसलर या कुलपति नियुक्त कर देते हैं। मेरा संशोधन है कि विश्वविद्यालयों में पहले जैसी स्थिति को लाना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि जिसने 15 साल किसी भी महाविद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया हो। यदि 15 साल से कम किसी ने अध्यापन कार्य किया है, वह वाइस चांसलर नहीं हो सकता है। किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होने के लिये 15 साल के शिक्षण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य हो, यह इस बात को साबित करे कि वह वाइस चांसलर बनने के योग्य है। कम से कम अध्यापकगण में विद्यार्थियों में उसकी प्रतिष्ठा तो होगी। अपने ज्ञान की गरिमा से, अपनी बुद्धि की कुशलता से एक गहरी छाप विद्यार्थियों पर छोड़ चुका होगा। 15 वर्ष का उसे अध्यापन का अनुभव होगा और वह विद्यार्थियों की हर समस्याओं से परिचित होगा। तो कम से कम 15 साल से कम किसी को यदि अनुभव अध्यापन कार्य का है तो ऐसे आदमी का नाम कुलपति बनाने के लिये नहीं प्रस्तावित होना चाहिये।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

दूसरा सुझाव यह है कि विद्यार्थियों में आमतौर से वह प्रवृत्ति होती है कि वह उसकी इज्जत करते है और श्रद्धा करते हैं जिसमें विद्वता होती है क्योंकि वे अध्ययन करने के लिये जाते हैं, वह किसी प्रशासनिक स्तर के आदमी को पसन्द नहीं करते है जिसने कि एम0 ए0, बी0 ए0 तो कर लिया है परन्तु वह विद्यार्थियों की समस्याओं से अनभिज्ञ है। कोई समस्या आयी, पुलिस को बुलाकर भेज दिया, मिलकर समस्या का निराकरण नहीं कर पाये। कुलपति के पास जो विद्यार्थी मिलने के लिये जाते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी मिलने से इनकार कर देता है और अगर विद्यार्थियों ने कोशिश की तो फिर स्कूल के परिसर में पुलिस बुला लेता है।

अधिष्ठाता महोदय, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था तो उस समय किसी सिनेमा घर को छात्रों ने जला दिया। जब शिकायत आयी तो वहां के कुलपति ने मिलने से इन्कार नहीं किया बल्कि दोनों तरफ को सुना था। उन्होंने समस्या को निपटाने की कोशिश की लेकिन परिसर में किसी पुलिस अधिकारी को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन आज पुलिस के बिना शिक्षण कार्य नहीं चल सकता है, शिक्षण का काल कहां है, यह तो मरण कार्य चल रहा है।

एक संशोधन है वाइस चांसलर के कर्त्तव्यों के बारे में कि वाइस चांसलर वही आदमी होना चाहिये जिसे कम से कम 15 साल के शिक्षण के कार्य का अनुभव हो और उसे साल में कम से कम 15 लेक्चर भी जिस विषय का वह शिक्षक हो उस विषय में उसे स्नातकोत्तर कक्षा में देना अनिवार्य हो। यह उसके लिये अनिवार्य हो कि वह स्नातकोत्तर क्लासेज में, एम0 ए0 की कक्षा में साल में 15 व्याख्यान अवश्य देगा। इसे विद्यार्थियों से उसका सीधा सम्पर्क भी स्थापित होगा तथा विद्यार्थियों में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जब विद्यार्थी उसके व्याख्यान को सुनेंगे तो उसकी विद्वता से प्रभावित भी अवश्य होंगे और इसके अतिरिक्त ऐसा करने से विद्यार्थियों में अनुशासन भी बढ़ेगा। अनुशासन हार्दिक होता है, इसे लाठी और डंडे के जोर से नही पैदा किया जा सकता। इसके संबंध में मुझे एक शेर याद आता है कि——

"कैद मजबूत नहीं दामों कफस की सैयाद,
रख वह बरताव कि दिल माइले परवाज न हो।"

तो अगर आपने किसी पक्षी को पिजड़े में बन्द कर दिया या डोर से बांध दिया तो वह मौका मिलते ही उड़ जायेगा। ऐसा बरताव न करें कि रहने के लिए . . . .

श्री अधिष्ठाता——

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने वह शेर सुना है जो राम स्वरूप जी ने अभी सुनाया है? आप दोबारा वह शेर सुना दें।

(हंसी)

श्री राम स्वरूप वर्मा——

म कह रहा था कि, वह शायद ध्यान नहीं दे रहे थे, आपने वाइस चांसलर प्रशासनिक नियुक्त किये हैं उनके प्रति विद्यार्थियों की निष्ठा नहीं होगी। कम से कम 15 लेक्चर स्नातकोत्तर कक्षाओं में देने के लिए वे बाध्य हों तो ऐसी काबिलियत के लिए सब विद्यार्थी उन्हें सुनना चाहेंगे, अनुशासन बढ़ेगा। एक शेर है, जो मैंने कहा था " कैद मजबूत नहीं दामों कफस की सैयाद, रख वह बरताव कि दिल माइले परवाज न हो।" अगर पिंजरा बनवा कर, रस्सी में बांध कर पक्षी को रखना चाहें तो कैसे हो सकता है। ऐसा बर्ताव करें कि वह उड़न की बात ही न करें। अतः हम आपसे निवेदन कर रहे है और सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लें। इस वक्त यह बहुत ही मुफीद है। मान्यवर, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजा साहब होते हैं राम नगर के। सब जगह आपने प्रीवीपर्स खतम कर दिया, राजाओं के और राजाओं को भी खतम किया है लेकिन वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को 60 लाख रुपया सालाना अनुदान देते हैं। तो क्या कारण है कि राजा साहब को कुलाधिपति बनाया जाय धारा 11 के

अन्तर्गत। इसलिए इस धारा 11 को निकाल दिया जाय और जैसा कि सब जगह होता है वैसे ही वहां हर भी कुलपति नियुक्त कर दिया जाय। एक राजा वाला सिस्टम चला करके थोड़ी सी कालिमा लग जायेगी तो क्यों लगाते हैं। उसको समाप्त कर दें। तो ये मेरी तरफ से 3 संशोधन हैं, मामूली से हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत दूरगामी होगा। मेरा विश्वास है सरकार ने अपने हाथ में सारी बागडोर लेने का, सारे अध्यापकों की भलाई के लिए, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की भलाई के लिये सरकार आज ही संकल्प ले ले कि जो योग्यतम शिक्षक होगा उसी को कुलपति बनायेंगे तो यह सत्र नियमित हो जायेंगे और अनुशासन बढ़ेगा, अध्यापकों के प्रति निष्ठा आयेगी, अध्यापकों को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही साथ सारे काम नियमित हो जायेंगे इन शब्दों के साथ इस विधेयक को विचारार्थ पेश करते हुए आशा है आप स्वीकार करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो विधेयक रखा है उसका समर्थन करता हूं इस आधार पर कि जो शिक्षा की यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षा के केन्द्र हैं और उस शिक्षा के अन्तर्गत हर तरह की शिक्षा दी जाती है, अलग- अलग सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल, नाण टेक्निकल, एग्रीकल्चर, डीन हैं, फैकल्टीज हैं, लेकिन जो संस्था है, ऐज सच कलेक्टवली, वह एक है और उसके हिसाब से वह उस वक्त फंक्शन कर सकती है जब उनको चलाने वाला हेड, वाइस चांसलर जो है, ऐसी योग्यता रखता हो.....

श्री त्रिवेनी—

माननीय अधिठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा की जान छोड़ दें .....

(हंसी)

रियासत साहब मुरादाबाद को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंच गये।

(हंसी)

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, राय साहब का शिक्षा से क्या संबंध है।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन—

कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शिक्षा के केन्द्र हैं, प्रदेश के अन्दर युनिवर्सिटीज ह, वे शिक्षा के केन्द्र न होकर ऐडमिनिस्ट्रेशन के केन्द्र बन गये हैं और उस का मूल कारण यह है कि जो वाइस चांसलर एप्वाइंट होते ह उनकी प्रक्रिया और प्रणाली के अन्दर अधिकार होते हैं। यह समझा जाता है कि आई0ए0एस0 को भेज दें तो वह अच्छा साबित होगा। लेकिन देखने में वह आया है कि ऐसा अधिकारी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकता है लेकिन एक अच्छा टेक्नीशियन आफिसर नहीं हो सकता। और इस तरह के आई0ए0एस0 आफिसर जहां एप्वाइंट कर के भेजे गये हैं इसीलिए वहां पर हर सब मामला गड़बड़ हो गया, वहां गड़बड़ी शुरू हो गयी। इस प्रदेश में ऐसा ही बिजली बोर्ड का मामला हुआ था और एक इशू इस प्रदेश में चल गया। यह सोचना पड़ा कि टेक्नोक्रेट का हड ब्यूरोक्रट का हेड नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिक्षा संस्थाओं में एक एज ग्रुप के लड़के जाते हैं, एक वर्ग के लड़के आते हैं वहां जिनके अन्दर हर तरीके से, उसके दिमाग का विकास हो जाता है तो उनके दिमाग में यह बात आ जाती है कि जो इस संस्था को चलाने वाला है वह कोई अच्छा शिक्षा के जगत में योग्य आदमी नहीं है और जब उसके दिमाग में यह चीज आयेगी तो जहां लड़के रिसर्च कर रहे हैं, डाक्टर्स बन रहे हैं, तब उनके दिमाग में यह बात आ जायेगी कि मैं इनसे किसी कीमत पर शिक्षा के जगत में कम पढ़ा लिखा नही हूं और वहीं से यह सवाल शुरू हो जाता है कि हम इनका पालन क्यों करें। शासन प्रशासनिक दृष्टि से होता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]
न कि शिक्षा की दृष्टि से और वहीं उनके दिमाग में विरोध की बात शुरू हो जाती है और जगह-जगह यह बात शुरू हो जाती है कि समय पर इम्तहान नही होते हैं ।

इसी माननीय सदन के अन्दर बार-बार यह प्रश्न आया है कि मार्कशीट जाली रहती हैं तो अब जब दो-दो साल लगेंगे डिग्री मिलने में इसलिए यह बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो मा0 राम आसरे वर्मा जी ने कहा है कि नीचे से जो उसका प्रोसीजर बना हुआ है, एक तो उनमें से ए बी सी किसी को लिया जाय लेकिन अगर उसमें से कोई आदमी इस तरह का है जिसकी काबिलियत अच्छी नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो, जो आई0ए0एस0 हैं, वह अच्छे अफसर हो सकते हैं लेकिन इस चीज को देखते हुए कैसे हल करेंगे। श्रीमन्, जब आचार्य नरेन्द्रदेव वाइस चान्सलर थे तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, उनसे जब बात करने गये तो सारा मामला साफ हो गया। दूसरी मिसाल इस सदन की है । हम सब लोग आज मिसाल देते हैं इसी सदन में माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन की । मौजूदा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उनकी यह मिसाल आज भी दुनिया के अन्दर कोट की जाती है । उन्होंने कहा था कि अगर इस माननीय सदन का एक भी मेम्बर यह कहेगा कि मुझे उनमें विश्वास नहीं है तो मैं उसी समय कुर्सी छोड़ दूंगा। हम समझते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष है उसमें तजुर्बा है, वह सारी चीजें हम लोगों पर एक असर डालती हैं और इसीलिए हम महसूस करते हैं कि माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जो रखा है यह विधेयक, सदन इसे पास करे और माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस बात पर ध्यान दें और अपनी तरफ से इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करेंगी जिससे पास करने में परेशानी न हो । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 विचार करने के लिए यहां पर रखा है उस पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, कभी-कभी शिक्षा संस्था में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब रोग जो है वह काबू से बाहर निकल जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है और जब ऐसी दशा हो जाती है तो माननीय रियासत साहब तब जैसा कि शेखशादी ने फारसी में कहा है--

"अंई मुल्ला अंई मकतवस्त, कारे तिफलां तमाम ख्वाहीशुद"

इस तरह की हालत हो जाती है, लाइलाज हो जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा देने की, विश्वविद्यालयों को चलाने की, उनके अन्दर परीक्षा कराने की, मार्क-शीट का जिक्र माननीय वर्मा जी कर रहे थे, मार्क-शीट दिलाने की, सही मार्क-शीट दिलाने की, जब यह सारी जिम्मेदारी है तो यह सरकार के विवेक के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा कि सरकार किसके द्वारा उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन चलाए। यह कहना माननीय वर्मा जी का बहुत युक्ति संगत नहीं है, मेरी दृष्टि में कि केवल विद्यालयों के जो अध्यापक हैं सिनि-यारिटी के हिसाब से अथवा जो बड़े शिक्षा शास्त्री हैं वही अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी चलायें। अगर आप देखें, मान्यवर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खास कर इतनी पार्टी पालिटिक्स चल रही है, इतनी ज्यादा उनके अन्दर राजनीति प्रवेश कर गयी है कि अगर हम बिल्कुल अलग बाहर खड़े होकर देखें--मैं तो माननीय वर्मा जी से कहूंगा बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो जायें कि एक तरफ जन्नत है और जहुन्नम है और बीच में एराफ-ऐराफ बीच की दीवार को कहते हैं-- इस तरह से खड़े होकर अगर आप देखें तो मैं कुछ विश्वविद्यालयों का नाम लेकर इंगित नहीं कर रहा हूं इतना जरूर कहता हूं कि कुछ विश्वविद्यालयों की हालत कभी-कभी इतनी खराब और बदत्तर हो जाती है कि वहां पर अगर प्रशासनिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारी न किया जाय तो आपस में (उनको यदि प्रमोशन देकर कुलपति बनाया जाय) ही लड़-भिड़ कर नष्ट हो जायेंगे और विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर देंगे ।

यह भी देखा गया है कि भारतवर्ष में कई जगहों पर जो फौज से निवृत्त अधिकारी होते हैं उनको लगा दिया जाता है। इंचार्ज बना लिया जाता है जैसे किसी कारपोरेशन को बना दिया । एक बार तो शायद यहां पर एक कोई कर्नल थे उनको स्वास्थ्य सेवा निदेशक रखा गया था। मतलब यह है कहने का कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको इस बात का अनुभव हो जाता है कि वह किस तरीके से सीमाओं के अन्दर रहते हुए नियमानुसार किसी संस्था को चलायें और साथ ही साथ वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके अन्दर वह इस प्रकार का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप न रखे । उस का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होता है, उनका मस्तिष्क बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्दर वे बिल्कुल साफ दृष्टिकोण रखते हैं और किसी भी संस्था का प्रशासन संभालते हैं और यह भी देखा गया है कि अक्सर उनको सफलता मिलती है। इसलिए मान्यवर, मैं तो यह प्रार्थना करूंगा समय को ध्यान में रखते हुए, कि चर्चा तो उनकी बात पर हो ही गयी, लेकिन उसको पारित न किया जाय ।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य कानपुर श्री वर्मा जी ने एक बहुत ही सामयिक विधेयक प्रस्तुत किया है कि सरकार जो सो रही थी उसको इसके द्वारा जगाने का प्रयास किया गया है। यह विधेयक वास्तव में सरकार की ओर से आना चाहिए। मान्यवर, एक शेर माननीय शर्मा जी ने कहा और एक वर्मा जी ने पढ़ा था । मैं भी एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं । मान्यवर, आपको पसन्द आयेगा। शेर है :—

आंफतां को इश्की आशिक से पूछना चाहिए,
क्या खबर फासिक को है सादिक से पूछना चाहिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वर्मा जी ने एक शेर पढ़ा था और माननीय गंगवार जी ने भी एक शेर पढ़ा । मैं भी आपके द्वारा उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं—

ये सब ना आंशनाये लज्जते परवाज हैं शायद,
असीरों में अभी तक शिकवये सैय्याद होता है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, असीर भी उधर ही हैं और सैय्याद भी उधर ही हैं ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का मशकूर हूं कि उन्हें मेरा शेर पसन्द आया। मान्यवर, अभी वर्मा जी ने कहा कि आप वाइस चान्सलर उस व्यक्ति को नियुक्त करें जिस का अध्यापन का कार्य 15 वर्ष का रहा है । यह बड़ा सीधा, अपने में स्वाभाविक और बहुत ही अच्छा संशोधन वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। आप किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को नियुक्त करने जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो आई0ए0एस0 हो, टेक्निशियन हो वह उतनी अच्छी तरह से संचालन नहीं कर सकता है जितना कि एक 15 साल का अध्यापन कार्य किए हुये व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। माननीय शर्मा जी ने कर्नल साहब की बात की कि वे भी डाइरेक्टर रहे। मान्यवर, वे भी डाक्टर थे। खाली कर्नल नहीं थे। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की थी और तब वे डाइरेक्टर बने थे ।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]

दूसरा संशोधन जो माननीय वर्मा जी ने रखा है कि जब वाइस चांसलर को नियुक्ति किया जाय तो उस समय उनको साल में 15 लेक्चर देने की क्षमता हो। मान्यवर, वह लेक्चर दें और इसको कम्पलसरी होना चाहिए। जब तक उनको किसी सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं होगा तब तक वह लेक्चर कैसे दे पायेगा। इसलिए यह जरूरी है कि माननीय वर्मा जी द्वारा सुझाए गए संशोधनों को यदि आप मान लेते हैं और पास कर देते हैं तो आज जो विश्वविद्यालयों में वातावरण है जिसका कि पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, वह सुधर सकेगा। मान्यवर, मैं बरेली का एक किस्सा सुनाऊं। 5 दिन पहले 29 तारीख को वहां विश्वविद्यालय के प्रांगण में लाठी चार्ज हो गया, दो-तीन पुलिस कर्मी घायल हो गये और कुछ को चोटें भी आयीं। आपने अखबारों में इसको पढ़ा होगा। कालेज अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के आफिस में लड़के घुस गये य केवल बरेली कालेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं है बल्कि इलाहाबाद, कानपुर और अलीगढ़ में भी यही वातावरण है। सारी जगह फसादात हो रहे हैं। इसलिए मान्यवर, जो संशोधन रखे गए हैं अगर उनको आप स्वीकार करते हैं तो फिर वही शेर वाली बात होगी। कि जो असली आदमी होगा, जो सादिक होगा, जो शिक्षा के बारे में ज्ञान रखता होगा, वही उसके वी0सी0 नियुक्त होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, आजमगढ़ को वी0सी0 बना दिया तो माननीय राय साहब के लिए लड़कों को लगेगा कि एक बेहूदा आदमी आ गया जिसको कोई ज्ञान पढ़ाने का नहीं है और उनको अपने आप उदण्डता करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस संशोधन को पास करा देने से ऐसे व्यक्तियों की गुन्जाइश नहीं रह जायगी जिसमें क्षमता न हो और जो उसके उपयुक्त न हो। मैंने निवेदन किया कि यह संशोधन सामयिक है. . . .

श्री अम्मार रिजवी—

मेरा निवेदन है कि सम्मानित सदस्य ने किसी सम्मानित सदस्य की क्षमता पर सन्देह प्रकट किया क्या उनको यह अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझता हूं कि सदन में कोई माननीय सदस्य की क्षमता का आंकलन नहीं कर सकते। हमारी आपकी क्षमता तो बाहर के लोग देखते हैं। आपस में क्षमता के सम्बन्ध में आंकलन नहीं कर सकते हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैंने राय साहब की क्षमता के बारे में नहीं कहा हम सब उनकी क्षमता का लोहा मानते हैं। मैंने तो एक मिसाल दी, मान लीजिए मुझे ही बना दिया जाय तो लड़के उदण्डता के सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। क्षमता वाले व्यक्ति भी बैठे हैं जैसे आचार्य नरेन्द्रदेव जी थे जिन्होंने राष्ट्र का कार्यभार सम्भाला। जब आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए थे तो आपने राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी का हवाला दिया। तो ऐसे व्यक्ति कुर्सी पर बैठेंगे तो सभी मानेंगे। मैं राय साहब की क्षमता पर टिप्पणी नहीं कर रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्मा जी के तीनों संशोधनों को स्वीकार कर लें तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जायगी और इस सरकार को सुविधा और मदद उससे मिलेगी। माननीय वर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक दिया है उसका समर्थन करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष—

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के खड़े होने पर)

अगर इधर से कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है तो आप ही बोल लीजिए।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों के बारे में विधेयक

प्रस्तुत करते समय उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब प्रशासनिक अधिकारी, आई0 ए0एस0 अधिकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त होंगे तो उनमें विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति और आत्मीयता नहीं आयगी।

श्री अध्यक्ष--

4 बजे तक आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

उससे पहले कर दूंगा। उन्होंने हवाला दिया कि विश्वविद्यालय बनारस के कुलपति वहां के महाराज को आजीवन बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रदेश में जब डण्डा मारने की परम्परा सरकार कायम करना चाहती है और विश्वविद्यालयों को चलाना चाहती है तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, हो यह रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कुलपति पद पर आकर काम करते हैं तो विश्वविद्यालयों का काम साफ नहीं होता। क्योंकि विद्या से विनय होनी चाहिए वह नहीं जगा पायेंगे। आई0ए0एस0 आफिसर डण्डा मार कर किसी विश्वविद्यालय को नहीं चला सकते हैं क्योंकि वहां विद्या और विनय होनी चाहिए, इन गुणों के परिवेश में ही विश्वविद्यालय का कार्य संचालन हो सकता है। अन्यथा वह तनावपूर्ण स्थिति हर साल बनी रहती है। मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं जहां प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालय हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महाराजगंज में है। वहां पर प्रिंसिपल कभी रहता नहीं है, वह बिना रहे सदेव वेतन लेता रहता है। वहां पर बी0एड0 की भी कक्षायें हैं, जिनमें 20 छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ, जिनका मानक के आधार पर प्रवेश होना चाहिए था। इस सम्बन्ध में जब छात्र कुलपति से शिकायत करने गये, तो उन्होंने डंडा मार भाषा में उनसे कह दिया कि वहां के प्रधानाचार्य ही इसे देखेंगे, तुम लोग वापस जाओ। तो जो अधिकारी नान-टेक्निकल हैं और शिक्षा से जिनका कोई लगाव नहीं है, वह छात्रों का या शिक्षा व्यवस्था का कोई भला नहीं कर सकते हैं, उनसे वातावरण खराब ही होता है। ऐसे लोगों से उनका कार्य और विश्वविद्यालयों पर उनका असर अच्छा नहीं होगा। मैं वर्मा जी के बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसमें शिक्षा के मर्मज्ञों को ही रखा जाना चाहिए जो शिक्षा में वरिष्ठतम हों।

श्री अध्यक्ष--

अब 4 बजने वाला है, हम आइटम नं0 20 ले रहे हैं, इस पर आगे विचार जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से श्री मोहन सिंह जी की सूचना--विगत एक सप्ताह से रायबरेली स्थित स्टेट रोलिंग मिल के लगभग एक हजार मजदूरों द्वारा 16 प्रतिशत बोनस की अदायगी, ओवरटाइम के पैसों का नियमानुसार भुगतान, आवास भत्ता तथा उत्पीड़न समाप्त करने की मांग के समर्थन में सम्पूर्ण हड़ताल करने के बारे में थी, उसे नियम 51 में वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है और शेष सूचनाएं अस्वीकार हुयीं।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दोगावां, थाना डिबाई के अन्तर्गत एक सरपंच द्वारा गोली चलाए जाने से हरिजनों की मृत्यु तथा कुछ लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(4 बजकर 3 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या 21, माननीय मुख्य मन्त्री .....

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैंने गृह मन्त्री को बुलवाया है।

श्री अध्यक्ष—

तब तक आप वक्तव्य की एक कापी ले लीजिए ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21–3–81 को ग्राम दोगावां, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में श्री राजपाल जाटव का श्री राजपाल लोधा सरपंच के साथ मजदूरी के रुपयों के प्रश्न पर झगड़ा हुआ । सरपंच ने राजपाल जाटव को गाली दी और राजपाल जाटव ने सरपंच को चांटा मारा । सरपंच द्वारा शोर करने पर उसके लड़के तथा उसके गुट के अन्य लोग बन्दूकों और लाठियों सहित घटनास्थल पर आ गये और आते ही फायरिंग व लाठी प्रहार करना शुरू कर दिया । फायरिंग से घटनास्थल पर दो जाटवों, एक महिला तथा एक पुरुष की मृत्यु हो गयी तथा बीस अन्य जाटव फायरिंग व लाठी के प्रहारों से घायल हो गये । चार ठाकुरों को भी चोटें आयीं । एक जाटव की झोपड़ी जिसमें जानवर बधते थे, किन्तु जिसमें उस समय कोई जानवर नहीं था, में भी किसी ने आग लगा दी ।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में श्री राजाराम जाटव ने थाना डिबाई पर 16 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर धारा 147/148/149/307/302/436/323 भा0दं0वि0 का अभियोग कायम किया गया । घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा विवेचना प्रारम्भ की । दिनांक 22-3-81 को पांच अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । एक दुनाली बन्दूक, जो घटना में प्रयोग की गयी थी, बरामद की गयी । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही कर दी गयी है । घटना की रात से ही पुलिस तथा पी0ए0सी0 की टुकड़ी गांव में सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गयी ।

दिनांक 22–3–81 को ही जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया । दो मृतकों के परिवारों को प्रति परिवार एक हजार रुपए तथा घायलों को सौ रुपया प्रति व्यक्ति एवं जिस व्यक्ति की झोपड़ी जली थी, उसे भी सौ रुपया की सहायता जिला प्रशासन ने दी है । गांव में जातीय तनाव एवं असुरक्षा की स्थिति नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि मजदूरी के मामले को लेकर जाटव परिवार से झगड़ा हुआ था तो मजदूरी का कौन सा मामला था, जिस पर झगड़ा हुआ ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

ईंटों के पाथने की मजदूरी थी ।

श्री जयदीप सिंह—

घटना का समय एफ0आई0आर0 में कब दर्ज हुआ और जिला मजिस्ट्रेट और एस0पी0 घटना स्थल पर कब पहुंचे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सवा 9 बजे वे वहां पर पहुंच गये थे ।

श्री अध्यक्ष—

घटना का समय क्या था यह भी देख कर बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

6 बजे सायंकाल की घटना है ।

श्री अकबर हुसैन—

जिस बन्दूक का प्रयोग किया गया था इस घटना में वह जब्त की गयी है या लाइसेंसधारी के पास ही है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जब्त कर ली गयी है। उसे दूसरे ही दिन पकड़ लिया गया था।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कोई मजदूरी देने की बात थी, वह कितनी मांगी जा रही थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य भ्रम में हैं। मजदूरी को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। वे ईंट पाथने के 44 रुपए बकाया था उनको मांगने के लिए गये थे। इसलिए कुछ कहा सुनी हो गयी थी।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

कितनी ईंटें पाथी गयीं थीं, जिसके ये पैसे थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन—

यह झगड़ा ठाकुरों और जाटवों का था। यह हरिजनों के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है। जैसा कि मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मृतकों के प्रति परिवार को एक-एक हजार रुपया दे दिया गया है। तो जब यह हरिजनों के उत्पीड़न का मामला है जो क्या सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000 रुपया दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह जाटवों और लोधों का झगड़ा था।

श्री रियासत हुसैन—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव लोग चमार होते हैं। जाटव हरिजन ही होते हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था। इसे और स्पष्ट किए देता हूं। यह झगड़ा जाटव जो हरिजन लोग हैं उनके और लोधों के, जो बैकवर्ड हैं, बीच में हुआ था। जो ठाकुर लोग घायल हुए है वे बीच बचाव और छुड़ाने गये थे। तो वे घायल हो गये थे।

श्री रियासत हुसैन—

लोध बैकवर्ड लोग हैं और जाटव हरिजनों में आते हैं। इसमें हरिजन लोग मरे है तो क्या सरकार मृतकों के परिवार वालों को 5-5 हजार रुपया दिलाने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चेतराम गंगवार—

क्या आपने कोई फार्मूला बनाया है कि उसके अनुसार इन हरिजनों को 5-5 हजार रुपया दिया जायगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, वह हरिजन उत्पीड़न का झगड़ा नहीं था, आपस में यह झगड़ा हुआ और इसमें जितनी अधिक से अधिक सहायता हो सकेगी, यह सरकार देगी, अब तक 1 हजार रुपये की सहायता दी गयी है।

श्री हुकम सिंह—

जिस भट्टे को लेकर झगड़ा हुआ था उसके मालिक लोध राजपूत लोग हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह हरिजन उत्पीड़न का मामला नहीं है, तो वे कृपया बता दें कि हरिजन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है ? दिल्ली के अखबारों तक में यह घटना छप चुकी

[श्री हुकम सिंह]

है, तो इसको हरिजन उत्पीड़न का मामला ही समझते हुए क्या सरकार इनको 5-5 हजार रुपये की सहायता देगी ?

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह शासन अधिकतम सहायता देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

क्या ऐसा कोई जी0 ओ0 निकला है कि हरिजन उत्पीड़न के मामले में 5-5 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, शासन ने तो वह तय किया है कि इस तरह की दुर्घटनायें होने पर 5 हजार क्या, इससे भी अधिक सहायता देने का प्राविधान है। ऐसा नहीं है कि 5 हजार ही दिया जाय।

जालौन जिले के थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष, एक सब-इंस्पेक्टर और एक सिपाही की डकैतों द्वारा हत्या एवं कतिपय व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समाचार पत्र प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर चर्चा होगी, माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

*श्री शंकर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने अहम मसले पर चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस चर्चा का अर्थ यह है कि हम हर तरह से सरकार का सहयोग करने की इच्छा रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको कोई लड़ाई लड़नी है। जो सरकार ने प्रबन्ध कर रखा है हम उससे भी संतुष्ट हैं, जितनी पी0 ए0सी0 व पुलिस आदि लगा रखी है आपने वह संतोषजनक है और जनता में भी संतोष है, पर अगर कहीं पर कुछ भी है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करायें।

माननीय मंत्री जी ने परसों कहा था कि शहीदों का हर तरह से सम्मान होना चाहिए.....

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, इसके पूर्व, यदि और कोई कन्फर्म्ड सूचना मंत्री जी के पास लेटेस्ट आयी हो तो वे कृपया पहले बता दें उससे डिबेट में आसानी हो जायेगी।

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन की व्यग्रता को समझता हूं और इस सम्मानित सदन के विचारों का आदर करता हूं, और चूंकि आज पहली अप्रैल है, इसलिये मेरी बात को माननीय सदस्य दूसरी दृष्टि से न लें। माननीय सदस्यों की दिलचस्पी को देखते हुये मैं यह बताना चाहता हूं कि मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बढ़ाते जा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कुछ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, अब तक जो 3 बजे तक समाचार आया है, 3 बजे के समाचार में यह है कि अभी कुछ मकान बाकी रह गये हैं। कुछ मकानों तक पुलिस नहीं पहुंच पायी। जो लाशें मिली हैं, उनमें फूलन देवी की लाश नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शंकर सिंह—

अभी तक कितनी लाशें मिली हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

51

श्री शंकर सिंह—

शहीदों के सम्मान के लिए जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उसको हम मानते हैं। जो आज की चर्चा करने में कहीं शहीदों के सम्मान में खलल पड़ती हो, तो इस पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाय। मैं इसको भी मानने के लिये तैयार हूं। आपने परसों यह भी कहा था कि जो 3 मांगें सूनी हो गयीं, आज उनकी सूनी मांगों का तकाजा है। जो तीन पुलिस के बहादुरों को मारने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको तो मौत के घाट उतारा ही जाय, ऐसे लोग चाहे जिस हैसियत के हों। जिन्होंने यह स्थिति पैदा की उनको भी सजा दी जाय। मान्यवर, वह भी गुनाहगार होते हैं जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। ये तो मान्यवर, शहीद हुए हैं, इनकी मौत किन कारणों से हुई है, क्या यह कर्त्तव्य सरकार का नहीं हो जाता है कि किन कारणों से उनकी मौत हुई है, उसका पता करें। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की कद्र करता हूं कि उरई में जब श्रद्धांजलि उनकी दी जा रही थी, तो माननीय मंत्री जी ने कंधा दिया। अगर 5 मिनट के लिए उस गांव में चले जाते, तो स्थिति साफ हो जाती। जो आज तमाम आरोप लग रहे हैं, इसमें यह गलती थी कि बजाय पुलिस के वायरलेस को आधार बनाया। बगैर यह सोचे हुए कि वहां पर जो उनका संवाददाता रहता है, वह शायद किसी पार्टी पालिटिक्स की वजह से कोई समाचार सही नहीं दे सका। उसने पूरी की पूरी टीम कानपुर भेज दी। मौके पर गये और जांच करने के बाद फोटो लेकर जो सत्य है, उसको सामने भेज दिया ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास वह प्रति नहीं थी, वह प्रति मैंने उनको कल दिया है। क्या आज अखबार का यही कसूर है कि उनने बैनर के ऊपर उन 3 शहीदों के फोटो छापे हैं। क्या अखबार का यही कसूर है कि जो खून शहीदों ने बहाया है, वह छपा है। अगर यही कसूर है, तो आज वह कसूरदार हैं। जो उन्होंने शहीदों की फोटो छापी, वह कसूरवार हो गये। शहीदों के सम्मान का दावा किये बैठे हैं, उन्होंने जनता के सामने क्या किया ? थोड़ा सा आप इस पर विचार करिये। हम और हमारे साथी दलगंजन सिंह उस दिन उस गांव को गये थे।

मान्यवर, किस तरह मोबालता किया गया, जो वहां का लोकल पेपर होता है, पाईनियर, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह उसको आपने देखा होगा। माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जो उस दिन वक्तव्य दिया था, उसमें जो है, वहां पर जो मुठभेड़ दिखाई गयी, वह गांव वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर है। मान्यवर, स्थिति साफ है। अगर आप, जो सरकारी वक्तव्य है, माननीय मंत्री जी का, उसमें देखें, उसमें शुरुआत होती है विजय सिंह की तरफ से, मुठभेड़ विजय सिंह की तरफ से दिखाई जाती है। सूचना मिली, इसलिए वह वहां पर चले गये। लेकिन यह सूचना कब मिली कि सेम गांव में श्रीराम गैंग पड़ा हुआ है। किस समय सेम गांव में दरोगा जाता है इसका कोई पता नहीं। वहां कुल 10, 12 छोटी-छोटी झोपड़ियां हैं, थानाध्यक्ष जहां शहीद हुए उससे तीन चार मील पर गांव स्थित है। एक तरफ नाला बहता है, थोड़ा सा जंगल है, फसल काटी जा चुकी है। दूर तक गांव दिखाई देता है। कोई बीहड़ या जंगल नहीं है जैसा कि स्टेटमेन्ट में जिक्र है। स्थिति यह है कि पुलिस अधीक्षक किसी न किसी गैंग को पालता है। श्रीराम पर विशेष कृपा है। जब सूचना मिली की श्रीराम गैंग फलां जगह फंसा हुआ है तो उनको फ्लेश कर दिया जाता है। जहां पी0 ए0 सी0 की चौकियां हैं वहां से कुछ टुकड़ी चल देती है,

[श्री शंकर सिंह]

6, 7 कांस्टेबिल लेकर भाग जाता है। डबल क्रास इस तरह से किया जाता है। 'आज' में कुछ कहानी निकली है लेकिन इसमें एक कहानी यह आई है कि युवती से दुराचार के कारण पुलिस के कत्ल हुए। यहां पर कुछ शराब उतरती थी और कुछ पुलिस जनों ने उनके सामने ही एक युवती के साथ दुराचार किया। गांव वालों ने श्रीराम से कहा कि हमारा बदला ले लो। फूलन देवी गैंग के साथ श्री राम गैंग की दुश्मनी है। श्रीराम की बिरादरी बलवान की बिरादरी को मारती है। जो थानाध्यक्ष था उसका यह दुर्भाग्य था कि वह बलवान की बिरादरी का था। जहां बलवान की बिरादरी के लोगों को मारा गया होगा तो एक आध ठांकुर को भी छू दिया होगा। अब मुखबिर ने यह खबर दी कि श्री राम गैंग पड़ा हुआ है और दरोगा ने सोचा कि चलो थोड़े से सिपाहियों को लेकर पूरा ईनाम उसे मिल जायगा। दरोगा जी के साथ 6 सिपाही थे चार कांस्टेबिल ढाई फर्लांग पर गांव से दूर एक बंधे के नीचे खड़े कर दिये जाते ह। दूर तक गांव दिखाई देता है। सादी वर्दी में पुलिस वाले पहुंचते हैं। बनवारी तथा सन्तराम दो लोगों के मकान वहां थे। सन्तराम के घर में भी एक दो बदमाश रहे होंगे लेकिन घटना है बनवारी के घर की। संतराम के घर का दरवाजा पूर्व को पड़ता है और बनवारी का पड़ता है पश्चिम को। दरोगा वहां पहुंच कर पूछता है कि बनवारी कोई है। बनवारी बड़ी आसानी से मिल जाता है। कहता है हम हैं। ऐसी स्थिति में कोई जिसके घर बदमाश हो कभी मिलता है? कभी नहीं मिलता है। लेकिन वह तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब पुलिस आये और वह मिले। उसने कहा हम बनवारी है। उन्होंने कहा आपके घर की तलाशी लेनी है। उसने कहा चलिये। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और तुरन्त दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही रिवाल्वर लिये वहां लोग खड़े हैं। एक गोली इधर को जाती है, एक गोली उधर को जाती है। एक एक मकान है और गांव खत्म हो जाता है। इधर एस0 आई0 खड़ा हुआ है एक कांस्टेबिल के साथ, एस0 ओ0 खड़ा है एक कांस्टेबिल के साथ, एक गोली एस0 आई0 को मारी जाती है एक कांस्टेबिल को मारी जाती है, एस0 आई0 लड़खड़ाता है, कांस्टेबिल उनको ले जाता है। एक राइफिल लेकर एक सिपाही चलता है, यह सिपाही थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। दरोगा जी को गला पकड़ कर के अन्दर खींचा जाता है। हम लोग उस कोठरी में गये हैं, वहां पर खून भरा पड़ा है। सामने से जहां पर गोली मारी जाती है, गोली आर पार लगी है। गांव वालों ने बताया कि हां, उसको काटा गया है। इस बात पर जोर देते हैं कि टेस्टीकिल्स काटे गये है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता है। एस0 पी0 कहते है कि इसको दबा दीजिये। एस0 पी0 की बात नहीं मानते है, जो देखते है, लिख देते हैं। उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि एस0 पी0 का बयान आया है कि सब भ्रामक है। मान्यवर, जो निष्पक्ष लोग है उनके साथ इमरजेन्सी जैसी सलूक हो रहा है, कल्पना कीजिये जिला जालौन के लोगों की, जिनको भुगतना पड़ रहा है। एक ओर पुलिस पूछती है कि डाकू आये कैसे, और दूसरी ओर डाकू उनका पीछा नहीं छोड़ते। जनता पिसी जा रही है।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि दरोगा को काटते है और काटकर वहां डाल देते है, उनकी बन्दूक लेकर निकल जाते है। 4 कांस्टेबिल उनका पीछा करते है, दो मील तक गोली चलाते हैं, खेत के बीच में डाकू छिप जाते है, पुलिस के जवान पीछा करते है तो कहते हैं कि भाग जाओ। पी0 ए0 सी0 वहां पर कहीं नहीं है। पी0 ए0 सी0 एक घण्टे के बाद वहां पर पहुंचती है और उनके बाद एक डेढ़ हजार फायर पता नहीं किस पर होते हैं। ढाई घण्टे का समय मिलता है, कौन सा अन्धेरा हो रहा था कि बीहड़ के कारण फायदा उठाकर निकल गये। इसी समाचार पत्र में लिखा है कि हैलीकाप्टर मडराता रहा और डाकू निकल गये। क्या हैलीकाप्टर सैर करने के लिये आपके बच्चों को घुमाने के लिये निकला था। मान्यवर, दरोगा मारा जाता है, किसी को पता नहीं चलता। पहली सूचना जो उरई में आयी है कि एक एस0 आई0 और एक कांस्टेबिल मारा गया, एस0

ओ0 का कहीं जिक्र नहीं था, एस0 ओ0 घर के अन्दर पड़ा हुआ था, किसी ने देखा ही नहीं। उनके बारे में यह समझते रहे कि डाकुओं का पीछा करते चले जा रहे हैं। जब पुलिस आयी, सारे गांव की तलाशी ली तब पता चला कि एस0 ओ0 एक कोठरी में कटे पड़े हैं। पुलिस अधीक्षक का संक्षरण किसी न किसी गैंग को रहा है। एक छोटे मिश्रा करके वहां जाने जाते हैं. पता नहीं कितने इल्जाम उन पर है। दिल्ली के चोपड़ा बच्चों की हत्या करने वाले रंगा-बिल्ला का केस तो एक बड़ा केस बन गया। यही छोटे मिश्रा दोनों बच्चों को पकड़ता है और उनके मुंह में कपड़ा भरकर कुयें की जगत पर रखकर ईटों से कुचल कर उनको मार डालता है। यह वही छोटे मिश्रा है जिनको पुलिस अधीक्षक अपने घर पर बुला कर बात करते रहे हैं। इन्हीं छोटे मिश्रा द्वारा विक्रम को गोली लगवाई गयी।

इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपराधियों को पनाह देते रहे और वहां ऐसे अधिकारी रहे तो जिला जालौन में गैंग न बने यह असंभव है। फिर उनके पास दरोगाओं की फौज है। उनमें श्री धुवलाल यादव ईमानदार और बहादुर है, श्री सुरेन्द्र पाल बहादुर हैं इसमें कोई शक नहीं है। एटा का भष्ट थानेदार जिसने 39 किलो चांदी हड़प ली उसके खिलाफ कार्यवाही किया वह अच्छा किया। आपके कांग्रेस के विधायक ने इसी दरोगा की पुलिस अधीक्षक से इसकी भ्रष्टाचार की शिकायत किया जिसको नहीं सुना गया। आपके उरई के विधायक कांग्रेस के श्री पालीवाल भी साइट पर गये थे जहां पुलिस जन मारे गये थे। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप अपने विधायक से पूछ लें और वह कह दें कि पुलिस की वर्जन सही है तो मैं अपने आपको दोषी ठहराता हूं और यदि मैं गलत बोलता हूं तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। लेकिन जालौन, इटावा, कानपुर की जनता जो पुलिस और डाकुओं के बीच में पिसी जा रही है उसको राहत मिलना चाहिये। कदौरा के दरोगा श्री रामायण सिंह को देखें। नियम 51 में यहां आया और शिकायत हुई कि एक महिला के साथ व्यभिचार किया गया, गांव की चार महिलाओं को बे पर्दा किया गया, उनके कपड़े उतारे गये और कहा गया यह फूलनदेवी है और उनको बेइज्जत किया गया जिसके लिये विशेष जांच शाखा को जांच दी गयी और पुलिस जन दोषी पाये गये लेकिन वह आज भी दरोगा वहीं उपस्थित है क्योंकि कौन जुर्रत कर सकता है कि उस दरोगा के खिलाफ गवाही दे। कदौरा का यह दरोगा कहता है मोटी रस्सी टांगे हुये कि यह लक्ष्मन झूला है, दो हजार रुपये दो वरना तुमको डकैती में लिखा दिया जायेगा। यदि रुपया नहीं मिलता है तो उस पर मुकदमा चलता ही है साथ ही उसको लक्ष्मण झूला भी झूलना पड़ता है किन्तु उसकी शिकायत एस0 पी0 महोदय सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। इस पर क्षेत्रीय जनता ने आन्दोलन करके राष्ट्रीय मार्ग को बन्द रखा और उसमें जितनी शिकायतें हो सकती थीं, वह किया। मुख्य मंत्री, राज्य गृह मंत्री, श्री अम्मार रिजवी और मान्यवर, आपको भी लिखकर दिया लेकिन कोई सुनने के लिये तैयार नहीं था।

मान्यवर, आटा थाने में श्यामजी त्रिपाठी, एस0ओ0 हैं। माननीय गृह मन्त्री राज्य का कल काउन्सिल में बयान हुआ कि प्रतिदिन तीन डकैत मारने का हमारा एवरेजआ रहा है मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इमरजेंसी में प्रमोशन का यह मापदण्ड था कि किस अधिकारी ने कितने नशबदी करायी और उसी आधार पर प्रोमोशन होते थे। तोउसी तरह से माप दण्ड आज थानेदारों के बारे में बनाया गया है कि कौन थानेदार कितने बेगुनाह के खून को बहाता है और उसके आधार पर उसका प्रमोशन होगा। मान्यवर, इनके कांग्रेस आई0 के महामन्त्री, कानपुर ने शिकायत किया कि उनके भाई जालौन में 25 हजार रुपए लेकर चार लोग ट्रैक्टर खरीदने गए। रास्ते में श्याम जी त्रिपाठी, एस0ओ0 ने नहर के किनारे चारों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया और फिर इन्काउन्टर दिखा दिया। मान्यवर, इसी प्रकार फूल सिंह, आयु 22 साल, ग्राम हरकूपुर को गोली से उड़ा दिया गया। लेकिन कोई इनकी शिकायतों को सुनने वाला नहीं है। हमारे ऊपर जुर्म हो रहे हैं लेकिन

[श्री शंकर सिंह]

कोई सुनने वाला नही है। आपके पं0 गोविन्द नारायण तिवारी जो कग्रेस आई0 के नेता हैं

मान्यवर, गोविन्द नारायण तिवारी का अपहरण हुआ वह उस समय इस माननीय सदन के सदस्य थे जो माननीय मन्त्री जी अण्डर वियर पहन कर गुल्ली खेलते रहे होंगे। उनका अपहरण हुआ 55 हजार रुपया देकर छूट कर आये लेकिन एस0पी0 साहब को यह भी गवारा नहीं हुआ कि वह पूछते कि तिवारी जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। श्री श्याम सुन्दर पुरवार का अपहरण हुआ। उनके ऊपर क्या गुजरी है वह कहते हैं हमसे कोई कुछ न पूछे मैं तो अज्ञात वास में चला गया था लेकिन जालौन का बच्चा-बच्चा जानता है कि 2 लाख रुपया देकर आए हैं। मान्यवर, श्री बाबू राम एम0काम0 जो पहले जनता पार्टी के महा मन्त्री थे और अब भारतीय जनता पार्टी के महामन्त्री हैं, के पास पत्र आया कि 50 हजार रुपया भेज दो वरना तुम्हें उठाकर ले जावेंगे। मान्यवर, दिन प्रति दिन यह घटनायें हो रही हैं। आप जो रुपया डकैती को खत्म करने के लिए खर्च कर रहे हैं, हेलीकाप्टर भी रखा है, सही निर्देशन होने के कारण सारा पैसा बरबाद जा रहा है। 4 से 5 मारा है, शासन इसको देखे सदन में एक हफ्ते से जो कोड़े लगाए जा रहे हैं उसके लिए कुछ न कुछ खानापुरी करने के लिए उनको करना है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक पुराने हैं, पुलिस बदली नहीं। उन्होंने कह दिया कि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे मन्त्री जी आप उनकी सिफारिश लेकर तो सदन में चले आयें लेकिन क्या उनसे वह भी पूछा कि बांजपेयी जी अब तक आप क्यों चैन से बैठे थे। आज ही ऐसी स्थिति से गुजर रही हैं आदमी चाहे शहर में रहता हो, जो शहर में रहता है उसको डकैतों की वजह से जीना मुश्किल है, जो गरीब हैं उसको पुलिस नहीं जीने दे रही है। न हम जी सकते हैं न मर सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए चूंकि समय कम है मैं माननीय मन्त्री जी से पुनः चाहूंगा कि मन्त्री जी इस पर कुछ न कुछ करें।

*श्री दलगंजन सिंह—

जनपद जालौन डकैतों की स्थली बना हुआ है। 2 साल के समय के अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के डकैत पैदा हो गये।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा जालौन के इतिहास को उठाकर देखें 2 साल के पहले मान्यवर, कोई डकैती कहीं एक–दो हुआ करती थीं। बहुत पहले एक लाखन सिंह डकैत का गैंग था लेकिन जिले में उसका आतंक नहीं के बराबर था लेकिन 2 साल के अन्दर जो स्थिति जिला जालौन में पैदा हो गयी है उससे पूरा जालौन ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान का दिल हिला देता है। पूरे जालौन के अन्दर डकैती को लेकर आई0जी0 और प्रशासनिक परिवर्तन हुए लेकिन पुलिस को लीडरशिप जो जिला जालौन में थी वह उन्हीं के पास बनी है जिसके कारण पूरे जालौन में अन्तराष्ट्रीय ख्याति के डकैत पैदा हो रहे हैं। सेन गांव की घटना पर जो बयान आया है और इन्होंने जो नाम लिए हैं जैसा चौधरी साहब ने बताया वह नाम गलत है। उससे स्पष्ट होता है कि जिला जालौन का प्रशासन निहायत गन्दा है और उसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है। फायरिंग हुई बनवारी के मकान के दरवाजे से पश्चिम में, बनवारी के दरवाजे के अन्दर ही दरोगा जी का कत्ल किया गया। काफी खून भरा था। लेकिन जो दूसरे सन्तराम हैं उनके घर में कोई खून नहीं है। सन्तराम के घर से कोई फायरिंग नहीं हुई। मान्यवर, कहेंगे कि यह षडयन्त्र है, 3 आदमियों की यह जो हत्या है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे पास इस बात का प्रमाण है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी हत्या या तो डाकुओं के षडयन्त्र से हुई या फिर पुलिस कर्मियों के षडयन्त्र से हुई। मेरे पास सबूत है, यह डिबिया है। इसमें बनवारी के घर की ओर से, पश्चिम की ओर फायर किया गया और यह थ्री-नाट-थ्री का कारतूस है।

(माननीय सदस्य ने सदन में कारतूस दिखायी।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय सदस्य एक डिबिया भी लिए थे ।)

मान्यवर, यह मेक है, 1980 का। इसके साथ मान्यवर, उसके दरवाजे के अपोजिट डायरेक्शन में एक फायर किया गया। इसमें एक ईथल गोली है जो दीवार के अन्दर घुसी पाई गयी। तो यह प्रमाणित होता है कि थ्री-नाट-थ्री के कारतूस जो बनवारी के घर से डाकुओं द्वारा फायर किए गये उससे तीनों कर्मियों की हत्या हुई है। मान्यवर, बेहमई में प्रश्न उठा था कि थ्री-नाट-थ्री के कारतूस को पुलिस ने इकट्ठा कर लिया और 12 बोर के कारतूस मौके पर फैला दिए। म एक और प्रमाण दूंगा कि जिस समय दरोगा जी को खबर लगती है कि सेन गांव में गैंग है और मेजर घटना श्याम गांव की है, तो अब दरोगा जी ने थाने से श्याम गांव के लिए प्रस्थान किया तो मान्यवर, कहीं कोई जी0डी0 में टाइम डाला गया होगा कि कितने बजे प्रस्थान किया और किस उद्देश्य से प्रस्थान किया। लेकिन जो बयान मन्त्री जी का आया है उसमें प्रस्थान करने का समय नहीं दिया गया है और न प्रस्थान करने का कोई उद्देश्य दिया गया है। अगर पुलिस चाहती और पुलिस की लीडरशिप चाहती तो यह डकैतों का गैंग किसी भी तरह से सैन गांव से जिन्दा नहीं निकल सकते थे। सारा गांव समतल है और काफी इनके पास समय था। अगर वायरलेस की सूचना होती, जब दरोगा डकैती आपरेशन के लिए गये तो निश्चय ही वायरलेस का प्रयोग किया गया होगा कि लाला राम गैंग की सूचना मिली है और वह फलां-फलां गांव में मौजूद है। लेकिन मान्यवर, स्थिति वहां पर यह थी कि सारी फोर्स और सारी प्रशासनिक क्षमता का डाइवर्जन सैदपुर गांव के लिए कर दिया जो इस गांव से 15–16 किलोमीटर दूर है। हमें दुख है, कोई भी सरकार हो, हर आदमी की मत्यु पर दुख होता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि मन्त्री जी देखें इन व्यक्तियों को जो निर्दोष हैं पुलिस ने गोलियों से भून दिया है। सबके खून की कीमत समाजवादी शासन में बराबर होनी चाहिए। म मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो घटना हुई है उसकी हाई लेबिल इंक्वायरी करायें और फर्जी इन्काउन्टर करके जो इनाम लिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं शंकर सिंह जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आपको जिन अधिकारियों ने इस बात की राय दी है कि हेलीकाप्टर डैक्वायट आपरेशन के लिए लगाया जाय, मैं आपसे निवदन करूंगा कि आप पुलिस शेक करिए, अगर आप अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं और दूसरी चीज यह कि जो आप हेलीकाप्टर दस्यु उन्मूलन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी गलत है। क्या उन डाकुओं के कान नहीं होते जो उस हैलीकाप्टर की आवाज को सुनकर भाग जाते होंगे, क्योंकि हेलीकाप्टर इतनी तेज आवाज करता है, जिसकी आवाज को वह सुनकर फौरन इधर उधर छिप जाते ह। तो इस तरह आपको हेलीकाप्टर के इस्तेमाल से कामयाबी नहीं मिल सकती और बल्कि उससे आपकी बदनामी और अधिक हुई है तो इस तरह डैक्वायट आपरेशन के लिए हेलीकाप्टर के प्रयोग से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती और मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मलखान सिंह और फूलन देवी अब भी जिला जालौन में हैं। मैं मानता हूं कि आप का पुलिस का डेरा अब भी वहां पड़ा है। लेकिन इन सबके बावजूद मलखान सिंह, फूलन देवी और अन्य वहां गग मौजूद हैं। जब एम0पी0 की पुलिस ने इस बात को सूचना दी।

(शोर)

श्री मुईद अहमद—

तो मान्यवर, वह लोग जिला जालौन में कहां छुपे हैं, इनसे पता पूछ लिया जाय अगर वह फूलन देवी और अन्य गैंग कहीं छुपाए हों, तो उसका पता बता दें। सारा काम हल हो जायगा।

श्री दलगंजन सिंह—

जब एम0 पी0 को पुलिस ने यह सूचना दी कि मलखान सिंह जिला जालौन में है तो 7 मार्च को रामपुर थाने में उसको 7 तरफ से घेर लिया गया, सैकड़ों पुलिस का घेरा वहां पर था, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब पुलिस ने अपना पहला वर्जन यह पेश किया कि वह घेरे से निकल गया। फिर दूसरा वर्जन पेश किया कि वह घेरे में था ही नहीं। उसके बाद पता नही क्या-क्या कहती रही। तो मुझे यह बताइए कि आखिर वह चला कहां गया क्या उसको जमीन निगल गयी। इस समय बड़ा अच्छा मौका है डाकुओं को पकड़ने का, इससे अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं आयेगा, डैक्वायटी आपरेशन का। अगर आप योजना बद्ध तरीके से काम लें, तो सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस वक्त काफी पुलिस फोर्स है और इस समय सभी गैंग भी वहां मौजूद हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि जिस तरह से आपने कानपुर की लीडरशिप को बदल दिया, इसी तरह से अगर आप वहां भी और आदमी भेज दें, तो कामयाबी मिल सकती है और इस समय डैक्वायटी आपरेशन में डिस्ट्रिक्ट जालौन में जिन थानेदारों को आपने भेज रखा है, उन सबको हटायें। दूसरे मान्यवर, बनवारी के मकान के अन्दर जिस दरोगा का कत्ल हुआ, उस मामले की हाई लेविल पर जांच करायें। यह बहुत जरूरी है। मान्यवर, जनपद जालौन में कहीं पर कोई बड़ा जंगल नहीं है, जिसमें डकैतों को आश्रय मिल सके। केवल अगर कमी है जिला जालौन में सही पुलिस लिक्वीडेशन की, सही मार्गदर्शन की। जिसकी वजह से आज सरकार के लिए और हम लोगों के लिए एक सर दर्द बन चुका है। मैं मान्यवर, मन्त्री जी से यह नहीं चाहूंगा कि जो आपने टाइम दिया है, मान लीजिए आपने बयान दिया है, हमारे जिले में जो इम्पारटेंट गैंग थे, यह तो मान्यवर, मन्त्री जी को मालूम होगा कि जो भी गैंग आपरेट कर रहे हैं इटावा में, कानपुर में, जालौन में।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, जरा आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, समय का ध्यान रखते हुए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, यह कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है, मैं केवल निष्पक्ष रूप से बता रहा हूं, न तो मेरी सरकार की आलोचना करने की मंशा है, आप जवान मन्त्री हैं आपके मार्फत से आपको कामयाबी मिले इसलिए आप जिला जालौन का पुनर्वालोकन करें जिससे कि आप डकैतों को पकड़ने में कामयाब हो सकें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आज सदन में इस बात को दोहराता हूं कि मैंने माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन किया था कि जिला जालौन में वहां के पुलिस अधीक्षक श्री उमा शंकर बाजपेयी के बारे में कि जो इस सदन में सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा की बात किसके हाथ में है, इस बात पर मन्त्री जी विचार करें।

दूसरी बात अगर उमा शंकर बाजपेयी जालौन में रहते हैं तो जो डकैतों की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है उनको समाप्त करने के लिए पता नहीं कितने नौजवानों को, पता नहीं कितने जनता के लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ेगा। माननीय मन्त्री जी को मैंने यह जानकारी एक माह पहले दी थी और कहा था कि जो डकैत हैं वह बाजपेयी जी के घर में खुले रूप से जाते हैं, चाय पीते हैं, तिलक लगवाते हैं। डकैतों को उनका पूरा सरक्षण उन्हें प्राप्त है, इसकी निष्पक्ष जांच माननीय गृह मन्त्री करावें। जो इस प्रकार की घटना घटित हुई है, यह डकैत खुले मैदान में, कैसे सादी वर्दी में पहुंच गये, इसमें निश्चित रूप से उनका हाथ होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं माननीय गृह मन्त्री जी से कि आज जिस प्रकार से जालौन जनपद की हालत हो रही है, उसी प्रकार से बुन्देलखण्ड में ललितपुर जनपद इस समय भयंकर स्थिति में खड़ा हो गया है। जो लोग पकड़े जाते हैं, वह दो-दो लाख रुपए लिए जाते हैं और एक घंटे के अन्दर वह लोग छोड़ दिए जाते हैं। बुन्देलखण्ड के अन्दर हम लोगों का जीवन इस प्रकार का हो गया है कि होली के त्योहार में अपने क्षेत्र में नहीं जा पाया हूं। डकैतों के गुण्डे मुझसे आकर कहते हैं कि आप अपना आरोप वापस लीजिए पत्रकारों के प्रतिनिधियों से कहते हैं कि आपने अमुक बात क्यों छापी ?

मैंने कई माननीय मन्त्रियों से अपने पत्रों के द्वारा इस प्रकार के प्रमाण दे दिए हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज तक हमारे पत्रों के उत्तर में माननीय गृह मन्त्री का बस यही उत्तर मिल जाता है कि "मैं बहुत सचेत हूं" लेकिन जो हम लोगों के आरोप हैं जो आरोप हम लोगों द्वारा लगाए जाते हैं उसकी सच्चाई जानन का कोई उपाय नहीं किया जाता है।

आज मैं एक बात कहता हूं और फिर बुन्देलखण्ड के लिए सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के लिए खुले रूप में कहता हूं कि जालौन और झांसी जनपद में भी वही भयंकर स्थिति है। जालौन के लिए सुनने में दुख हो रहा है, ललितपुर में झगड़ा कर रहे हैं, डाकू खुले आम घूम रहे हैं, यह कैसे घूम रहे हैं ? जो चौधरी शंकर सिंह का आरोप है मैं उसका बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसे थानाध्यक्षों का बुन्देलखण्ड मे स्थानान्तरण किया जाय जिनके खिलाफ जन-प्रतिनिधियों ने, जनता ने शिकायत की है। वहां के थानों में 10--10 डकैतियां पड़ीं, कत्ल हुए, किडनैप हुए, आज तक पता नहीं चला, खुला पत्र गृह मन्त्री जी को दिया है, आज सदन में हमारा पत्र पेश करें जिसमें मैंने उमा शंकर बाजपेयी, झांसी के डी0आई0जी0 शर्मा जी, जिनका ट्रान्सफर हो चुका है लेकिन झांसी में विराजमान है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग क्यों झांसी में हैं उनको तुरन्त झांसी से हटाया जाय। और जो मैंने पत्र दिया है मन्त्री जी उसमे सदन को अवगत करायें।

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य शंकर सिंह, दल गंजन सिंह जी और राजेन्द्र अग्निहोत्री जी का अनुगृहीत हूं जो उन्होंने इस भीषण समस्या की ओर अपनी चिन्ता प्रकट की और कुछ सुझाव दिए। इसके साथ-साथ मान्यवर, म उनकी कुछ संशय जो स्वतः उनके अन्दर पैदा हुई, उसका निवारण करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि कुछ विन्दुओं पर, वे विन्दु हैं सबमे बड़ी वहां समस्या डकैती की, दूसरा बिन्दु आज समाचार पत्र में एस0पी0 का तथाकथित आरोप कि उसने उस को फाड़ा और तीसरा तीन पुलिसकर्मी थे, उनके जीवन को आप कहें वीरगति प्राप्त हुई है, इन तमाम, तीनों मुद्दों पर इन लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। एक बात दलगंजन सिंह जी ने कही है और उन्होंने कहा कि वर्षों से जालौन में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के डकैत पैदा हो गये हैं, मान्यवर, उसमें केवल थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं कि दो वर्षों में नहीं, तीन वर्षों में पैदा हुई हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि. . .

(विरोध पक्ष से शोर)

मुझको लग रहा है कि राजेन्द्र अग्निहोत्री जी सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तयार हैं तो क्या आपने सुना नहीं था कि आपके सामने उन्होंने कहा था कि दो वर्षों से डकैत पैदा हो गए हैं. . .

अनेक सदस्य--

दो वर्षों से नहीं एक वर्ष से पैदा हो गए हैं !

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ठीक है एक वर्ष से ही सही, तो मैं कहना चाहता था कि माननीय सदस्य दलगंजन सिंह जी ने सच्चाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इसीलिए भी कहना चाहता था कि डकैत पैदा हुए हैं, दो वर्षों में हुए हों, तीन वर्षों में हुए हों, एक वर्ष में हुए हों, यह विवाद हो सकता ह। अगर इसमें विवाद नहीं है तो कोई बात नहीं है। उनका मैं दो हो मान सकता हूं लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मूल समस्या की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह मूल समस्या है डकैतों से संघर्ष के लिए, डकैतों से लड़ने के लिए, उनको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए, वर्तमान संविधान के अन्तर्गत जो भी अधिकार पुलिस बल को प्राप्त हैं उनके अन्तर्गत उनको कानून के हवाले करने के लिए क्या मूल समस्याएं हैं? वह मूल समस्यायें आप जान लें, वह हैं साक्ष्य की गवाही। एक डकैत के खिलाफ एक गवाह ढूंढा जाता है तो जो साक्ष्य खड़ा भी होता है, गवाही देता है और डकैत जब जमानत पर छूट कर आता है तो उसकी पहली आवाज होती है कि जिसने गवाही दिया है उसको देख लिया जायगा तो इस समस्या का समाधान पुलिस के ही माध्यम से नहीं हो सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए समाज के लोगों को आगे आकर कानून के साथ उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। एक बात कहूंगा, सच्चाई पर हमारे कुछ सदस्य खड़े हो जाते हैं, जब वह बोलते थे तो वह क्या कह रहे थे मैंने उनको सुना और एक माननीय सदस्य जो बार-बार खड़े हो जाते हैं, मैं उनकी भावना को समझ रहा हूं। कोई और बात चाहे न मिले लेकिन नाम का दूसरा हिस्सा तो मिलता ही है। आप किसी अधिकारी की अगर सिफारिश करें तो शासन का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि उसकी जांच करे।

(मेजों को थपथपाया गया।)

इसके साथ माननीय शंकर सिंह का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि 3 पुलिस कर्मी जो वीरगति को प्राप्त हुए और मा0 दलगंजन सिंह ने जो कहा कि पूरे के पूरे प्रकरण में किस समय पर गये, कब दर्ज है, क्या डिपार्चर दिखाया है इन बातों का उल्लेख किया। जिस वक्त यह आया था, जल्दी-जल्दी में इसको किया गया था। जब मैं स्वयं वहां गया तो तथ्य लेकर आया था। यह बात सच है कि समय की कमी के कारण उस गांव में नहीं गया जहां 3 पुलिसकर्मी दिवंगत हुए थे। यह पता चला कि पूरे गांव में लोग नहीं हैं, लोग वहां से चले गए हैं और वहां पर घटना का वकिया जो घेरे पर लगे थे और दूसरे स्थान पर पुलिस का घेरा डालना चाहते थे तो आपकी ही राय के अनुसार कि हेलीकाप्टर की आवाज सुनकर डाकू भाग जाते हैं इसलिए मैंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। यह मैं उसकी गम्भीरता के साथ ही दे रहा हूं और आपका उद्धरण दे रहा हूं तो वह गम्भीरता ही है। शासन ने इस मूल समस्या के समाधान के लिए अपने स्रोतों और संसाधनों को लगाने का संकल्प लिया है। हमारे मा0 सदस्य ने ज्यादा भ्रमण किया है, उस इलाके का। उस इलाके में 100 गज, 200 गज की दूरी पर अगर किसी कोने पर दूसरा गिरोह बैठा है तो खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जब आपको चलना होगा तो ऊंचाई पर चलना होगा और दूसरी ओर जहां कोई पोजीशन लेकर बैठा है तो उससे कोई बिल्कुल नहीं बच सकता। डकैतों के गैंग उनकी कहीं अगर लोकेट हो जायं तो चारों तरफ से इन-सर्किल किया जाय इस चीज के लिए उनको आवश्यकता होगी तो शासन ने तय किया है कि उनको हेलीकाप्टर दिया जायेगा, न कि हेलीकाप्टर से उनको भगाने का कोई प्रयत्न है। हेलीकाप्टर का प्रयोग करके भी उनको घेरने की नियत है। इसके लिए आप को बधाई देनी चाहिए।

कुछ अधिकारियों के बारे में यह कहा कि वे वहां पर लक्ष्मनझूला बनाये हैं, कुछ अधिकारियों के बारे में यह कहा कि उन्होंने गलत और फर्जी काम किये हैं। श्रीमन्, इसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का खास कर माननीय सदस्य शंकर सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी उनसे स्वयं भी बात होती रहती है। एक तरफ से मैंने उस नाम की

पूजा की है। मान्यवर, मैं उनसे पहले भी कहता आया हूं कि कोई सलाह दे दें.....

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरे नाम की पूजा होती है मेरे सिर पर हाथ रख कर भस्म करने के लिए...

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह अगर आप समझ रहे हैं तो उसका डर न माने, आप का सर बचा रहेगा। यह वायदा करता हूं कि कोई खतरा नहीं होगा। अगर कहीं गड़बड़ आयेगी तो मजबूरन मुझे अपना कर्त्तव्य पूरा करना पड़ेगा।

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता था। आप लोगों ने खास कर के एस0 पी0 के बारे में यह कहा कि अगर एस0 पी0 वहां रहते हैं तो इसमें सफलता नहीं मिल सकेगी। दूसरी शंका प्रकट किया आपने मान्यवर कि कुछ बेगुनाह लोगों के इनकाउन्टर हो रहे हैं। आपने यह शंका प्रकट की कि कानपुर में वहां के कांग्रेस (आई) के कोई माननीय मंत्री हैं उनके भाई से कोई इनकाउन्टर हुआ है या वह मारे गये हैं। श्रीमन्, मैं आपसे कहता हूं कि इनकाउन्टर में अपराधी अगर कहीं लड़ाई में मर जाता है तो चाहे आप की पार्टी का हो चाहे हमारी पार्टी का हो.....

एक सदस्य--

अपराधी था कि नहीं--

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उस दिन मैंने कहा था कि जांच कराई जायगी। अगर कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति गलत तरीके से मारा गया प्रतीत हुआ, जरा भी शंका होगी, तो कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा। जब आपने एक दिन यहां पर वक्तव्य के लिए कहा था तो मैंने ही माननीय सदन में निवेदन किया था कि समय दे दें कुछ कार्यवाही कठोर हो सके। श्रीमन्, एक बात और कही खास कर माननीय दलगंजन सिंह जी से कि उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए कोई षडयंत्र तो नहीं है। मैं फिर चाहूंगा आप बुरा न मान जाय कि आप कृपा कर चश्मा उतार कर देखें षडयंत्र बिल्कुल नहीं है। अगर पक्ष विपक्ष की दृष्टि से देखेंगे, राजनीतिक कारणों से देखेंगे दुश्मनी की दृष्टि से देखेंगे तो कोई बात हो सकती है.....

(व्यवधान)

(5 बजकर 3 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी बोल रहे है, आप बैठें। मसरूर जाफरी जी आप भी बैठें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, आप बात तो सुन लें। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे तो हम ध्यान-पूर्वक सुन रहे थे। आप 50 मिनट तक बातें कहें, 10 मिनट हमारी बात तो सुन लें। मैं एक निवेदन करना चाहता था दूसरे बिन्दु पर। दूसरा बिन्दु, मान्यवर, समाचार पत्र है। (व्यवधान) एस0 पी0 के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर, कि अगर किसी तरह का दोष एस0 पी0 का पाया गया तो एस0 पी0 को किसी तरह से भी बक्सा नहीं जा सकता जैसे किसी दूसरे को नहीं बक्सा गया है। आप देख तो लें.....

श्री रियासत हुसैन--

दोषी है या नहीं किससे इनक्वायरी करायेंगे?

(व्यवधान)

(श्री हुकम सिंह तथा श्री मसरूर जाफरी एक साथ बोलने लगे)

श्री मसरूर जाफरी--

जांच करें (व्यवधान) नेताओं की जान माल की हिफाजत करना सारी जिम्मेदारी आपकी है. . . . . .

(व्यवधान). . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री हुकम सिंह--

आपने एस0 पी0 को हटाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री हुकम सिंह लोक दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

हम भी इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री थम्मन सिंह गहलौत तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्रसेन--

मैं भी अपनी पार्टी के साथ इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन तथा श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय शंकर सिंह ने जो अपने बयान में आरोप लगाया है कि जो एस0पी0 जालौन हैं उनका किसी न किसी रूप से इन वारदातों में हाथ है। या तो आप सदन को एश्योर करें कि आप किसी हाई पावर कमेटी से इसकी इन्क्वायरी करायेंगे जिससे पता चल जायेगा कि आरोप सही है या गलत है। यह कहना कि यदि वह दोषी पाया जायेगा तो सजा देंगे, तब तक तो वह क्षेत्र तबाह हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं चाहता था कि माननीय सदस्य यहां पर मौजूद रहते। मैं कहना चाहता हूं कि वहां की हाई पावर जांच कमेटी एस0 पी0 की भी जांच करें और वहां के कुछ लोगों की भी जांच करे। हमारा यह निश्चित मत है कि वहां पर संरक्षण देने वाले और वहां पर जो काम करने वाले अधिकारी हैं जो इस काम में लगे हुये हैं उनको एक उच्च स्तरीय कमेटी वहां पर जाकर देखें और निश्चित करें. . . . . .

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी उसके लिये हाई पावर कमेटी अप्वाइन्ट करने की घोषणा करते हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैंने पहले ही कह दिया कि मैं करता हूं लेकिन आप उन लोगों के लिये भी कह दें. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

चर्चा का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं मंत्री जी की सब बातों से सहमत हूं लेकिन वे सिर्फ इतना बता दें कि क्या वे इस मामले में हाई पावर कमेटी अप्वाइन्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, आखिरी बात कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य चले गये हैं लेकिन माननीय रियासत साहब के द्वारा ही उनको यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो उन्होंने

समाचार पत्र का आधार दिया है कि यह बात समाचार पत्र में छपी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीज समाचार-पत्र मे गलत प्रकाशित होती है तो उसका खन्डन करना भी आवश्यक हो जाता है। "आज" के समाचार पत्र में छपा है कि डकैतों ने थानाध्यक्ष को घसीट कर कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन काट दी है, यह बिल्कुल असत्य है। उस समाचार पत्र की प्रतिलिपि श्री शंकर सिंह जी ने मुझे दी थी। मैं उनका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मुझे इस काम में सहयोग दें ताकि डकैतों का सफाया किया जा सके।

श्री रियासत हुसैन---

आपने स्पष्ट घोषणा नहीं की..... (व्यवधान)। उन्होंने नहीं कहा कि वे हाई पावर कमेटी अप्वाइन्ट करते हैं। इसलिये जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम स्वरुप वर्मा---

रामपुर जिले से डकैत जालौन जिले में चले गये हैं....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें।

एक सदस्य---

माननीय सदस्य जालौन जायेंगे तो मार दिये जायेंगे, कृपया इनके संरक्षण की व्यवस्था करा दें।

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, जब यह लोग जालौन जायेंगे तो मार डाले जायेंगे जो शंकर सिंह जी ने यहां कहा है

(व्यवधान)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981†

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत है इसमें तीन प्वाइन्ट्स हैं। एक तो यह कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3(1) (ग) में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के 11 प्रधान तथा ऐसी संस्थाओं के 11 अध्यापक, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रियानुसार निर्वाचित होने पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य होते हैं। मान्यवर, संस्थाओं के प्रधान की उपर्युक्त 11 की संख्या शिक्षा संभागों की संख्या पर आधारित है और ये शिक्षा संभाग आयुक्तों के मण्डलों के अनुरूप ही होते हैं। अभी शासन द्वारा हाल में लिए गये निर्णय के अन्तर्गत मुरादाबाद के एक मण्डल का दर्जा दिया जा चुका है। जिसमें बिजनौर, रामपुर व मुरादाबाद जिले हैं। नए मण्डल हेतु शिक्षा विभागीय संभाग की स्थापना की जा रही है। अतएव, आवश्यक है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में जिसमें 11 प्रधानों व 11 अध्यापकों के निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। इसमें आवश्यक संशोधन की बात है ताकि मुरादाबाद मण्डल संभाग का भी एक प्रधानाचार्य और एक अध्यापक निर्वाचित हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो सके।

---

†दिनांक 27 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरा प्वाइंट यह है कि अभी कुछ दिन हुए इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक, 1980 पास हुआ था। उसके 16—ड0ड0 में यह प्राविधान है कि जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छंटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां संभागीय शिक्षा उप निदेशक इस निमित्त आवेदन-पत्र दिए जाने पर निर्देश दे सकता है कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय।

मान्यवर, यह उन अध्यापकों के लिए किया गया था जो किसी संस्था से निकाले जाते हैं या छंटनी किए जाते हैं और वह बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको किसी दूसरे विद्यालय में सर्विस दिलाने में सुविधा हो जायगी और उनकी नौकरी न खत्म हो इसीलिए यह संशोधन किया गया था। लेकिन हमने विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक को जब माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेजा तो भारत सरकार द्वारा एक आपत्ति हुई और वह यह कि विधेयक के द्वारा अधिनियम में जोड़ी जा रही नई धारा 16—ड0ड0 के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस धारा के द्वारा प्रस्तावित उपबन्ध ऐसे विद्यालयों में जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत किसी अल्प संख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हों पर लागू नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रश्नगत धारा के उपबन्ध को जिसके द्वारा छंटनी शुदा अध्यापकों को दूसरे विद्यालय में खपाने की व्यवस्था की जा रही है और उसे अल्प संख्यकों द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू करने का कोई आशय नहीं था। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार जो माइनारिटीज हैं उन्हें उनके जो अपने विद्यालय या दूसरे आर्गनाइजेशन्स हैं उनको उन्हें अपने तरीके से चलाने का पूरा अधिकार है। तो इस बात को भारत सरकार ने कहा कि इसको क्लेरिफाई कर दिया जाय। उसी चीज को लेकर हमने इस विधेयक में यह क्लियर कर दिया है कि यह जो हमारा 1980 का संशोधित अधिनियम है इस में छंटनीशुदा अध्यापकों को लेने की जो बात है, उसमें अल्पसंख्यकों की संस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरा प्वाइन्ट यह है कि अध्यापकों की आचार संहिता के बारे में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करने हेतु शासन द्वारा कोई आचार संहिता विहित की जा सके, जबकि इन विद्यालयों के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त उपबन्धों की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है। अतएव प्रस्तावित विधेयक द्वारा अधिनियम की धारा 16—छ की पधारा 2 में एक नया उपखण्ड 'च' जोड़ कर प्रश्नगत कर्मचारियों के लिए आचार संहिता विहित करने हेतु शक्ति प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, ऐसा है हमारे विद्यालयों में चाहे प्राइमरी स्कूल हों, या जूनियर हाई स्कूल हों, या माध्यमिक विद्यालय हों या डिग्री कालेज हों, उनमें बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उनमें उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और हमारे समाज का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उन विद्यालयों में जिनके जीवन का निर्माण करते हैं और छोड़ देते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग दें, जिससे हम उनमें उच्च भावनाओं को जागृत कर सकें और उनके चरित्र का सुन्दर निर्माण कर सकें, ताकि वह सुन्दर और आदर्श नागरिक बन सकें। जिनमें एक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना हो और जातिवाद के अंकुर उनमें न पैदा हों। जिनमें साम्प्रदायिक भावना भी उत्पन्न न हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ साम्प्रदायिक तत्व, प्रजातन्त्र विरोधी शक्तियां, प्रतिक्रियावादी शक्तियां बराबर अपनी यह कोशिश कर रही हैं कि किसी प्रकार से भारत के

संविधान और उसके प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के रूप को कमजोर किया जाय और उन पर कुठाराघात किया जाय। इसी वजह से हमें यह देखना है कि यह साम्प्रदायिक शक्तियां प्रजातन्त्र विरोधी शक्तियां हमारी शिक्षा संस्थाओं में कतई प्रवेश न करने पावें। हमारे विद्यालयों के चरित्र को वह दूषित न करने पावें। इसलिए हम यह अधिकार चाह रहे हैं कि ऐसा नियम बना दिया जाय, जिससे यदि कोई अध्यापक कोई साम्प्रदायिकतापूर्ण व्यवहार करता है, बच्चों में हिन्दू, मुसलमान या सिख की भावना को फैलाता है या छुआछूत की भावना को जागृत करता है या प्रजातन्त्र विरोधी प्रवृत्तियां वहां पर फैलाना चाहता है या फैलाने की कोशिश करता है या उसके द्वारा किसी राष्ट्र विरोधी घातक षडयंत्र की बात होती है, तो हम सक्षम हों कि हम उन विद्यार्थियों या अध्यापकों के विरुद्ध कोई मजबूत ऐक्शन ले सकें। इसको ध्यान में रखकर शिक्षा के वातावरण को और शिक्षा मन्दिरों को पवित्र और पावन रखने के लिए और उ की रक्षा करने के लिए कि कोई दूषित वाइब्रेशन या प्रवृत्तियां वहां पर प्रवेश न कर सकें आप नियंत्रण रख सकें और शिक्षा के क्षेत्र में जो साम्प्रदायिकता या धर्मनिपेक्षता के विरोधी हैं वे प्रवेश न कर सकें। इसके लिए हम आचार संहिता बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे माननीय सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी हमें इसमें सहयोग देंगे ताकि हम अपने विद्यार्थियों के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी शिक्षा संस्थाओं को पवित्र और सुन्दर रख सकें। हमें अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। मुझे आशा है कि वह विधेयक सर्व सम्मति से पास कर दिया जायगा।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को राय जानने के लिए 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय।

यह जो आज पुनः इण्टरमीडिएट (संशोधन) विधेयक सदन में 6 माह के अर्से में ही रखा गया है इस बात का सबूत है कि शिक्षा मन्त्री या अन्य मन्त्री जिसने भी यह विधेयक प्रस्तुत किया था इतनी जल्दी में पेश किया था कि इसमें इतनी कमियां रह गयीं जिसके कारण इस पर पुनः विचार करना पड़ गया। इस अधिनियम में हर साल 6 महीने के बाद में संशोधन प्रस्तुत होते रहते हैं।

मैंने जो इसे परिचालित करने के लिए प्रस्ताव रखा है उसके बारे में 2–1 बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन, विधान सभा की विधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल ही समाप्त सी हो गयी है। कार्यपालिका के अधिकारियों ने विचार किया, मन्त्री जी ने इस पर विचार किया लेकिन न तो सत्ता पक्ष के और न विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की राय ली गई है। श्रीमन्, शिक्षा का क्षेत्र हमारे प्रदेश और समाज के जुड़ा हुआ है और जो चुनकर विधायक आवेगा उस पर विस्तृत जानकारी रखता है। मेरा निश्चित मत है कि जिस अधिकारी ने मन्त्री महोदय के सामने यह विधेयक बनाकर रखा उनको इतनी जानकारी नहीं है। दुर्भाग्यवश सदन के पास भी इतना समय नहीं रहता कि जो विधेयक सदन में रखा जाय उस पर विस्तार में विचार कर सकें। यह प्रदेश बहुत बड़ा है और यहां की बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, सदस्यों की संख्या भी इतनी ज्यादा है कि सब लोग अपने-अपने विचार नही रख सकते हैं और जब सरकार सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत करती है तो उस के सम्मान का प्रश्न हो जाता है। अगर उसमें कोई गलती भी होती है तो वे उसे विचार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वर्ष 1980 में जब यह विधेयक आया था अगर उस समय कोई समिति बना दी गयी होती तो जो गलतियां रह गयी थीं, उस पर विचार कर लेती परन्तु माननीय मन्त्री जी ने तब भी कोई ध्यान नहीं दिया जिसका कारण यह है कि आज फिर इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। शासन में आने के बाद, सत्ता पक्ष के लोग जन-भावनाओं से कट जाते हैं हालांकि ये लोग केवल 38 प्रतिशत वोट प्राप्त करके ही सत्ता में आये हैं लेकिन विपक्ष में बैठने वाले भले ही हम कम संख्या में हों लेकिन 62 प्रतिशत जनता के वोटों को प्राप्त किए हुए हैं। अतः उनकी भावनाओं को जानने के लिए हमारी बात सुने और उन पर ध्यान दें।

[श्री जयदीप सिंह]

अब इस विधेयक के बारे में 2–1 बातें कहना चाहता हूं। इसमें जो धारा 2 है, इसमें कोई असंगति नहीं है। कमिश्नरियां 12 हो गयीं हैं इसलिए 12 सदस्य आने चाहिए परन्तु धारा 3 द्वारा धारा 16–ङङ का जो संशोधन किया गया है वह छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में है, माननीय मन्त्री जी ने उसे तो पढ़ा, पर उसमें नीचे जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसे नहीं पढ़ा। स्पष्टीकरण की उपधारा (ग) को मैं पढ़ देता हूं। जिसमें लिखा है कि "छंटनी" का तात्पर्य त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दंड स्वरूप हटाए जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है। जिन लोगों को पुनः नौकरी दिलाने की बात है वह इन शैक्षणिक संस्थाओं चाहे माइनारिटीज की हों, को किसी दण्ड अथवा ऐसे कारण से नहीं हटाए गये। और पुनः दिलाने की बात भी तब है जब उस संस्था में रिक्ति हो। जहां तक मान्यवर, माइनारिटीज को संरक्षण देने की बात है उसके लिए आर्टिकिल 30 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है––

"30 (1) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा"

मान्यवर, मेरे पास जो यह हिन्दी में ट्रान्सलेटेड संविधान की प्रति है जो विधान सभा पुस्तकालय से प्राप्त हुई है यह सन् 1976 तक ही संशोधित है, मेरी प्रार्थना है कि इसे अपटूडेट करा दिया जाय। इसमें जो संशोधन चिपकाए गये हैं वे भी अंग्रेजी में ही हैं इसके कारण बड़ी दिक्कत पड़ती है।

मान्यवर, जो आर्टिकिल मैंने पढ़ कर सुनाया उसको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक की धारा 3 के द्वारा माइनारिटीज की जो प्रोटेक्शन देने की बात है वह पूरी नहीं होती है। इस विधेयक की इस धारा से जो संशोधन किए जा रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को, जो पूर्व भी इन संस्थाओं में काम कर रहे थे और उनके आचरण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, को अगर पुनः रिक्ति होने पर नौकरी मिल जायगी, तो आर्टिकिल तीस का अतिक्रमण नहीं है।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 14 में यह दिया हुआ है कि सबको समता का अधिकार होगा। इसलिए इस आर्टिकिल के अनुसार सभी को संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे सभी छंटनीशुदा लोगों को आप संरक्षण दें।

इस विधेयक की धारा 4 द्वारा जो धारा 16-छ का संशोधन किया जा रहा है उसे देखने की कृपा करें।

4(च) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में नियोजित व्यक्ति के लिए आचरण संहिता और उसके उल्लंघन में की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही। मान्यवर, यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो आप माइनारिटीज की आड़ में उन लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं थी और नौकरी से हटा दिए गये, तो उनको संरक्षण न देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह चीज कर रहे हैं इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो आप चाहते हैं। जहां आप संरक्षण देना चाहते हैं वहां आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं और यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। कम से कम आप अगर माइनारिटीज को संरक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मिनिमम स्टैंडर्ड तो रखते। माननीय मन्त्री जी ने राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करने वालों का बहाना लेकर यह धारा रख दी है अगर कोई राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करता है तो इसके लिए आपके पास और बहुत से अधिनियम हैं आप एक राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम बना चुके हैं। उसके अलावा आपके पास नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट है, अगर ऐसा कोई कार्य किसी भी संस्था में कोई व्यक्ति करता है, तो इस ऐक्ट के अन्तर्गत उसके लिए प्राविधान है। जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऐसी कोई कार्यवाही स्कूलों में न हो पाए, इसका प्राविधान किया गया है। मैं इसका कोई सही कारण नहीं समझता हूं, शिक्षण संस्थाओं में आप आर्टिकिल 30 के अन्तर्गत संरक्षण दें। मान्यवर, आखिरी जो धारा इस

विधेयक की 5 है। मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, पैरा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "धर्म" निकाल दिया जायगा और 11 फरवरी, 1981 से निकाला गया समझा जायगा। ठीक है मान्यवर, आप "धर्म" शब्द को निकाल रहे हैं।

एक तरफ आप बात करते हैं कि सभी हमारे बच्चे एक सी तालीम पायें पंथ तथा धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म की आड़ में कुछ बच्चों को अलग शिक्षा मिलती है। अगर आपको प्रोटेक्शन देना है, तो माननीया मन्त्री जी का ध्यान संविधान के आर्टिकिल 25 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकिल 25, व्याख्या (2), खण्ड (2), उपखण्ड (ख) सिख–जैन या बौद्ध धर्म। मान्यवर, संविधान में जो शब्द प्रयोग हुआ है सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के लिए जो यह है, उसमें यह है कि यह हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं में लागू होता है। इसको संविधान में स्पष्टतः माना है कि जो क्रिश्चियन और मुसलमानों के अलावा हैं, हिन्दू धर्म शब्द तो आपने रख दिया है। यहां पर इन लोगों के लिए भी धर्म की संज्ञा दी गयी है, संविधान में। जब आप यह शब्द वहां पर रखेंगे, तो उनको संरक्षण नहीं रहेगा। मेरी आग्रह है मन्त्री जी से कि यह जो दूसरे हिन्दू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जिनके लिए शब्द पंथ का प्रयोग होता है उनको भी वह अधिकार होना चाहिए कि उनको भी अपने इंस्टीट्यूट इस धारा के अन्तर्गत चलाने का अधिकार होना चाहिए इसलिए शब्द पंथ भी आप निकाल दें। इसलिए मैंने माननीया मन्त्री जी से अनुरोध किया कि सदन के अन्दर यह प्रस्ताव रखें कि राय जानने के लिए इसे परिचालित करें। यह नहीं कर सकतीं तो जो आपकी, सदन की न्याय और विधि सम्बन्धी प्रवर समिति है, उसमें विचार के लिए इसे भेज दिया जाय।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि इण्टर-मीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीया शिक्षा मन्त्री महोदया, ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उसके बारे में दो–तीन बातें उन्होंने मोटे तौर पर कही हैं। एक बात उन्होंने यह कही कि एक कमिश्नरी बढ़ गयी हैजिसमें शिक्षा का एक मण्डल कायम करना है और 11 के स्थान पर 12 अध्यापक उसमें लिए जाने हैं। लेकिन यह जो बोर्ड बन रहा है उसमें यह तय हो जाना चाहिए कि यह जो मण्डल बनेगा, उसमें बहुत से प्रिंसिपल और अध्यापक हैं, उनमें से किसी एक को आपको लेना है, तो आप मण्डल में से किसको लेना चाहती हैं, यह सही रूप से तय नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको आप सदन की एक प्रवर समिति में भेज दीजिए ताकि उसमें पूर्ण रूप सेविचार हो जाय और आपको पुनः इस तरह का कोई संशोधन लाने की जरूरत न पड़े। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे अल्पसंख्यकों के नाम से स्कूल हैं जो धर्म के नाम पर चलते हैं। धर्म की आड़ लेकर तरह-तरह के लड़के उन विद्यालयों में पढ़ते हैं और उससे तरह-तरह की धनराशियां अर्जित की जाती हैं। लखनऊ में भी ऐसे विद्यालय हैं जैसे चर्च के बगल में जाइए तो मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं। गार्जियन वहां पर लाइन लगाए हुये मिलेंगे और चपरासी से लेकर ऊपर तक सबका काम केवल शोषण करना है। इस संशोधन विधेयक के जरिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं और वहां पर जो इस तरह के शोषण हो रहे हैं उस पर शासन अपनी रोक लगा सके।

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरे 16(6) के अन्तर्गत जो संशोधन किया जा रहा है उसमें निजी प्रबन्धमें चलने वाले जो अध्यापक हैं और पहले से ही प्रबन्ध समितियों से पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा और बढ़ जायगी। वे बराबर प्रदेश सरकार से प्रदर्शन के जरिए से अपने लीडर्स के जरिए से यह मांग करते रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की मार उनकी पीठ और पेट पर है, उससे उनको

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। किन्तु इस सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। जो भ्रष्टाचार मैनेजमेंट पहले से ही करता आ रहा है, इस संशोधन के जरिए आप मैनेजमेंट को इंस्पेक्टर आफ स्कूल को और जो पदाधिकारी हैं उनको और अधिक ताकत दे रहे हैं कि वे अपने मन के मुताबिक काम करें। इस संशोधन के जरिए वे अध्यापकों पर यह चार्ज लगाकर कि वे जातिपात और धर्म को फैला रहे हैं, इनको तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मा0 मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी कोई बहुत जल्दी नहीं है आप इसको प्रवर समिति को भेज दें, जो अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में दे देगी और इसमें बार-बार संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक निवेदन यह भी करना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने टीचर्स, चपरासी और क्लर्क प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं उन सब पर आप यह विधेयक लागू करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट की तलवार तो पहले ही उन पर लटकती थी, लेकिन अब इस संशोधन विधेयक के जरिए आप उनकी गर्दन पर कानूनी तलवार भी लटकाने जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि शिक्षकों, क्लर्कों, कर्मचारियों, आचार्यों के लिए आचार संहिता के नाम पर इन पर अंकुश रखने के लिए अधिक कठोर कानून प्रशासन को दिया जाय। इस संशोधन से जो नियम बनेंगे उससे अध्यापक अधिक लाचार हो जायगा। अतः संशोधन के इस अंश का मैं जोरदार विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1980 जो पिछले वर्ष पेश किया गया था, इसमें संशोधन करने के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कुछ थोड़े से प्वाइंट रखे हैं, जिनमें पहला प्वाइंट यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् है, वह हमारे हाई स्कूल इण्टरमीडिएट की शिक्षा संचालित करती है। वे सदस्य चुनाव लड़ कर जाते हैं, तो एक प्रक्रिया यह अपनाई गयी थी कि जितने हमारे डिवीजन हैं, उनमें से हर एक में से एक अध्यापक और एक प्रिंसिपल चुन कर जायें क्योंकि अब एक बारहवां मण्डल और बन गया है--मुरादाबाद, इस लिए उसकी आवश्यकता पड़ी कि एक अध्यापक और एक प्रधानाचार्य चुनकर जायं। दूसरी बात जो इसके अन्दर है विशेष, वह यह है कि जब हमने पिछला संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें छटनीशुदा और सरप्लस टीचर्स के बारे में प्राविधान किया गया था, उसमें एक बात यह रह गयी थी और वह बात इसमें स्पष्ट करनी है कि जितने भी माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन पर लागू करने का उद्देश्य नहीं था, जो संशोधन आज पेश हो रहा है उसमें आवश्यकता नहीं थी इसको लाने की, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था लेकिन जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि यह भारत सरकार को गया हुआ था और वहां पर यह इंगित किया गया कि यह माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स के लिए लागू नहीं होता। कभी भी हमारा यह उद्देश्य नहीं था इसे माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स पर लगाने का, लेकिन क्योंकि इंगित किया गया है, इसलिए यह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिया जा रहा है।

तीसरी बात, आचार-संहिता की है। मैं खुद एक अध्यापक हूं 24 वर्ष से यह एक डार्क पहलू है और माननीय मन्त्री जी इसको अन्यथा न लेते हुए मेरा एक टीचर की हैसियत से जो अनुभव है, उसे सुन लें खासतौर से जो माध्यमिक शिक्षा है, इसकी तो वह हालत है कि--दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोय। ऊपर है उच्च शिक्षा और नीचे प्राइमरी शिक्षा है, उसके बीच में हम पड़े हुए हैं। इसके अलावा अध्यापक के लिए इतने कानून लागू हैं। अगर हम इण्टरमीडिएट ऐक्ट उठाकर देखें तो शुरु-शुरु में तो बिलकुल पिसे हुए थे मैनेजमेंट के ही मारे हुए थे। भला हो इस कांग्रेस शासन का कि पं0 कमलापति त्रिपाठी ले आए तो जो आज हम यहां पर हैं और जीवित हैं अन्यथा अब तक तो बहुत बुरी दशा में रहे। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस ऐक्ट को उठाकर देखें तो उसी ऐक्ट के अन्दर दंडित करने के नियम इतने अधिक हैं कि उसमें यहां तक भी है कि--"इफ ही इज अनफेथफुल टु दि इस्टीट्यूशन" उस पर भी दंडित हो सकता है, जोकि एक छोटी चीज है । अपनी इंस्टीट्यूशन के प्रति भी अगर श्रद्धा नहीं है तो भी दंडित किया जा सकता है। हर प्रकार के नियम बनाए गये हैं कि किस प्रकार से उस को दंडित किया जा सकता है। आचार-संहिता में यह हो सकता है कि "मिस कण्डक्ट" क्या है । इसको क्लेरीफाई करने के लिए मैं समझता हूं कि इसको साधारण तरीके से ही कहा जा सकता है कि "मिस कण्डक्ट" क्या है। इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, जी0ओ0 के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। एक संशोधन करके आचार-संहिता में यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक इलेक्शन्स भी नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पैर बिल्कुल काट दिए जायेंगे, तो इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है--

तुम्हारी नवाजिश का शुक्रिया लेकिन,
हमारे मुंह में हमारी जबान रहने दो ।

हम जो अध्यापक हैं, हमारे लिए जो थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं,वे हमारे पास रहने दीजिए। यदि कोई गलती कहीं रह गयी है तो रियासत हुसैन जी उसको ठीक कर देंगे । लेकिन अन्तिम बात जो श्री अबरार जी ने कहा धर्म के बारे में तो वह वाकई में देखें तो हमने जो प्रस्तुत किया था उसके तृतीय अनुसूची की धारा 16 में नं0 3 देखें । उसमें लिखा है कि प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति की जात-पांत, धर्म या विशेष पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हैं । यह प्रशासन से सम्बन्ध रखता है और इसमें वाकई में भूल हो गयी है कि धर्म शब्द लिख दिया गया है। इसको वास्तव में नहीं होना चाहिए था । यह कोई ऐसी चीज नहीं है । मैं अन्त में कहूंगा कि जो इसमें आचार-संहिता वाला हिस्सा है उसमें परिवर्तन या उसको वापस लेते हुए यह कर दिया जाय तो बुराई नहीं होगी और अध्यापकों के हित में होगा।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 जो पेश किया गया है उसकी धारा 4 को निकाल दिया जाय । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट में अध्यापकों को प्रताड़ित करने का या अनुशासित कार्यवाही करने का प्राविधान है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य विभागों के लिए आचार-संहिता नहीं बनी है इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि जो नई धारा है इसको पास कर दिया जाय और केवल 4 को निकाल दिया जाय।

***श्री पंचानन--**

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 जो विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। किन्तु मेरी समझ से इसकी धारा 4 का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। इस बात को मैं मानता हूं कि निर्धारित धारा में परिवर्तन नहीं किया जायगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि गैर शिक्षकों एवं शिक्षकों की सेवा शर्तों में जो उचित समझें वह कर सकती है । जो संस्तुति की है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं--

16--छ-(1)--किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

तो मान्यवर, शासन को अधिकार प्राप्त है, इस अधिनियम द्वारा की वह जो चाहे विनियम बना सकती है और जो विनियमों में प्राविधान है वह भी कहना चाहता हूं कि विनियम 32(1) में प्राविधान है--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन]

32—(1) कर्मचारी को सेवा से घोर अनधीनता, जानबूझकर अथवा गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा दंडनीय कार्य के लिए बेईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन-प्रतिकूलता अथवा नैतिक अधमता जैसे कार्यों के आधार पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है ।

(2) कर्मचारियों को ऊपर उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा शैक्षणिक कार्य की अदक्षता अथवा अनाधिकृत शिक्षण अथवा सेवा पर नौकरी से पृथक किया जा सकता है ।

(3) कर्मचारी को प्रशासन में न्यूनता, असन्तोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप की अभिरुचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में कमी अथवा सन्देहपूर्ण सत्यनिष्ठा जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनति किया जा सकता है अथवा उसकी परिलब्धियों में कमी की जा सकती है । यह कमी एक निम्नतर पद अथवा वेतन के कालमान अथवा वेतन के कालमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है ।

तो मान्यवर, कोई ऐसा काम नहीं बचा जो विनियम में न लिखा हो । यदि कोई साम्प्रदायिक भावना फैलाता है तो राष्ट्रद्रोह और आचार-संहिता का आधार लेकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । इस प्रकार सेवा की शर्तों को निर्धारित कर दिया गया है और जहां तक मुझे जानकारी है जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों में चाहे जितने भी कठोर प्राविधान करा दें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

आचार-संहिता सेल्फ इमप्लायमेंट के लिए होगी जैसे वकील आचार-संहिता का उल्लंघन करता है तो उसका निर्णय बार कौंसिल लेगा, डाक्टर आचार-संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे मेडिकल कोर्ट निर्णय लेगा । लेकिन कहीं भी किसी भी कर्मचारी के लिए आचार-संहिता का प्राविधान नहीं है । हमारी कठिनाई यह है कि सरकार द्वारा बनाए गये नियमों का पालन व्यक्तिगत मैनेजमेंट नहीं कर रहा है वह उसमें उत्पीड़ित करता है आप रोज देखते हैं मान्यवर, यहां सवाल होते हैं सैकड़ों अध्यापक हैं जो सरकार से वेतन लेते हैं लेकिन स्कूल में घुसने नहीं पाते । लाखों रुपया प्राविडेंट फण्ड का गायब है । मान्यवर, अब दूसरा नियम बनने जा रहा है किसी भी सेवा में सेवा के दो नियमों के प्राविधान नहीं हैं, एक ही सेवा की नियमावली है । माननीय शिक्षा मन्त्री जी सख्त कानून बनाना चाहती हैं । मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मन्त्री जी से कि वह जितना सख्त से सख्त कानून बनायें मैं उसका समर्थन करता हूं । साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाने के लिए । मान्यवर, जो साम्प्रदायिक भावना को फैलाते हैं उनके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । और यदि हम उस श्रेणी में आते हैं तो सरकार के पास बहुत अधिकार है इस अधिनियम में वह कठोर कार्यवाही करें । इस संशोधन विधेयक से ऐसा वातावरण व्याप्त है आचार-संहिता क्या बनेगी, कैसे बनेगी । एक सन्देह का वातावरण इस प्रदेश के अध्यापक समुदाय में व्याप्त है । इसलिए मेरा आग्रह है माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि इस संशोधन विधेयक की धारा 4 को सम्मानपूर्वक वापस ले लें । जिस तरह से शिक्षक समुदाय के प्रति हमारी सरकार उदार है और उदारता का व्यवहार कर रही है, शिक्षा मन्त्री जी इस धारा को वापस लेकर शिक्षक समुदाय में सौहार्द का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगी । मैं शिक्षा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह जो विधेयक शिक्षा मन्त्री ने पेश किया है इसमें धारा 4—च का मैं घोर विरोध करता हूं । इसलिए करता हूं कि इसमें पहले हम लोगों की सेवा नियमावली बनी है जिसके तहत काम होता है जैसा पंचानन राय ने कहा सैकड़ों अध्यापक ऐसे हैं जो वेतन ले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहे हैं और विद्यालय में नहीं जाने पाते। मैनेजमेंट और सरकार के बीच में हम पिसे जा रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ गया मैं सुनाना चाहता हूं—

इश्क दाए इश्क है रोता है क्या,
आगे-आगे देखिए होता है क्या।

जब शिक्षक संघ आन्दोलन कर रहा था जनता पार्टी के शासन काल में तो इन्दिरा जी ने घूम-घूम कर कहा कि शिक्षक संघ के साथ अन्याय किया जा रहा है और उससे शिक्षक संघ थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने कहा इन्दिरा जी हमारी रहनुमा हैं भाई पंचानन राय जी क्यों तकलाफ हो रही है। आगे-आगे देखिए क्या होता है, यह आचार-संहिता बनाना कच्ची फांसी देने के समान है। मैं कहता हूं आचार संहिता बने तो पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 और सभी के लिए बने। केवल अध्यापकों के लिए बनाना प्रजातन्त्र के अधिकार का अतिक्रमण होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दीदी इस धारा को वापस ले लें क्योंकि वह प्रिंसिपल भी रह चुकी ह।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शिक्षा के प्रश्न को लेकर शिक्षा के सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत है इतनी दिलचस्पी दिखाई और अपने-अपने मूल्यवान सुझाव दिए। लेकिन मैं विरोधी पक्ष से अनुरोध करूंगी कि वह अपने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वापस ले लें। हम लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर अपने बाल-बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश करें। शिक्षा ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोगों की प्रेस्टिज का क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। आप विरोध पक्ष में हैं इसलिए आप हमेशा विरोध करते हैं, ऐसा न करें। एक कदम हम पीछे हटते हैं तो एक कदम आप पीछे हटिए। डेढ़ करोड़ बच्चों का सवाल है। पता नहीं रियासत साहब मुझको बार-बार क्यों टीज करते हैं। मां की भावनाओं को कहीं बांधा जा सकता है। मैं अपनी बात निबाहती हूं। अम्मार साहब बैठे हैं, पी0के0 शर्मा और पंचानन राय जी बैठे हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करती हूं और धारा 4 जिसके ऊपर आप लोगों ने विचार प्रकट किए हैं, मैं उसको वापस लेती हूं। मैं एक कदम पीछे हटती हूं तो एक कदम आप पीछे हटें और इसको वापस लीजिये, वापस लीजिए, वापस लीजिए।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें।)

श्री अध्यक्ष—

आप वापस लेते हैं?

श्री जयदीप सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने विशाल हृदय का परिचय दिया है। मैं कुछ कहना चाहता था पर माननीय मन्त्री जी ने सदन की भावना का आदर किया है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं—

मेरा पैमाना वह पैमाना जो माना न गया,
मेरा अफसाना वह अफसाना जो जाना न गया।

उन्होंने मेरे अफसाने को जान लिया है इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि.....

श्री गौरी शंकर मैय्या—

एक संशोधन मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष—

रुक जायं; एक एक हो जाने दीजिए।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि यह सदन, श्री जयदीप सिंह को अपना संशोधन का प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को राय जानने के लिए 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय, जो उन्होंने वापस लिया है, वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से श्री जयदीप सिंह का संशोधन प्रस्ताव वापस हुआ।)

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप वापस लेते हैं।

श्री गौरी शंकर भैया—

माननीय मन्त्री जी ने जनता पार्टी की परम्पराओं को मानकर चौथी धारा को वापस लिया है। उसके आधार पर मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री गौरी शंकर भैय्या के प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 व 3

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 3 का संशोधन

2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, जहां कहीं भी शब्द, "ग्यारह" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जायगा।

धारा 16-ङङ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16-ङङ में, उपधारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, और 11 फरवरी, 1981 से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा 16-छ का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16-छ में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(च) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में नियोजित व्यक्तियों के लिए आचरण संहिता और उसके उल्लंघन में की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 जिसको कि वापस लेने के लिए माननीय मन्त्री जी ने कहा है, वह इस विधेयक का अंग न माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

5—मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, पैरा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "धर्म" निकाल दिया जायगा और 11 फरवरी, 1981 से निकाला गया समझा जायगा। तृतीय अनुसूची का संशोधन

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रेतर संशोधन करन के लिए विधेयक, 1981

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

संशोधित रूप से पारित किया जाय, यह भी माननीय मन्त्री जी कहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनः प्रस्तुत कर दीजिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 अप्रैल, 1981।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियां 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 335 पर)

कापी आफ रिजोल्यूशन न 02 आफ आर0 टी0 ए0 इलाहाबाद डेटेड 11/12-12-1950 टू क्लासीफाई दि रूट्स गिवेन इन अपेन्डिक्स A क्लासीफाइड ऐज प्रोपोज्ड

अपेंडिक्स "A"

सीरियल नं0	नेम आफ रूट	माइलेज		टोटल	क्लासी-फिकेशन प्रजेन्ट	क्लासी-फिकेशन प्रोपोज्ड	रिमार्क
		पक्का	कच्चा				
22	वाराणसी–मड़ियाहूं	16	16	32	B	B	..
37	वाराणसी–आजमगढ़ थाया जौनपुर।	76	..	76	C	A	..

अदर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 336 पर)

कार्यालय परिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश

न0 8961/आर0डब्लू0/173 आर0डब्लू0-57

डेटेट, लखनऊ 27-9-1962

फ्राम,

यू0 पी0 परिवहन आयुक्त (रोडवेज),

उत्तर प्रदेश।

टू,

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर,

इलाहाबाद।

सब्जेक्टः—परमीशन फार ओवरलैपिंग आन दी नोटीफाइड पोरशन वाराणसी—बाबतपुर क्रासिंग।

सर,

विद रिफेरेंस टू दि सब्जेक्ट नोटेड एबोव आई हैव दि आनर टू स्टेट दैट श्री हाकिम सिंह एण्ड श्री सूर्य नारायण सिंह, हू होल्ड्स परमिट् फार दि नान-नोटीफाइड पार्ट आफ वाराणसी—मड़ियाहूं एण्ड वाराणसी—जमालपुर रूट्स हैव एप्लाइड टू दि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फार एकोरडिंग परमिशन इन रेस्पेक्ट आफ देयर वेहिकिल्स। दि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैज बीन प्लीज्ड टू अकार्ड परमीशन फार दि एबव सेड नोटीफाइड परसन फार दि पीरिएड एनडिंग अप्रैल 30, 1963 विद यूजुअल कोरीडोर रेस्ट्रिक्शन्स।

प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन टू एन्डोर्स दि परमिट एकारडिंगली।

योर्स फेथफुली,

एस0डी0 (आर0एल0 मिश्रा,)

27/9

यू0पी0 परिवहन आयुक्त (रोडवेज।)

पी0एस0यू0पी0—एल0 66 वि0सभा (117)—1982—813।